2021 का विधेयक संख्यांक 99.

अन्तर्देशीय जलयान विधेयक, 2021

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. लागू होना और विस्तार ।
3. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

अन्तर्देशीय जल क्षेत्र का जोन में घोषणा

4. अन्तर्देशीय जल क्षेत्र का जोन में घोषणा ।

अध्याय 3

प्रशासनिक उपबंध

5. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के प्रशासनिक कार्य ।
6. सक्षम प्राधिकारी ।

अध्याय 4

अन्तर्देशीय जलयान का सर्वेक्षण

7. सर्वेक्षण करने के प्रयोजन के लिए वर्गीकरण करने और प्रवर्गीकरण करने की शक्ति ।
8. यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का सन्निर्माण, परिवर्तन या उपांतरण ।
9. जलयानों का सर्वेक्षण ।
10. सर्वेक्षकों की नियुक्ति औरअर्हताएं ।
11. सर्वेक्षकों की शक्तियां ।
12. सर्वेक्षण और प्रक्रियाओं का प्रमाणपत्र मंजूर करना ।
13. सर्वेक्षक का अनंतिम प्रमाणपत्र और उसका प्रभाव ।
14. सर्वेक्षण प्रमाणपत्र और ऐसे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट किए गए जोन की अपेक्षा के बिना यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का अग्रसर होना ।
15. सर्वेक्षण प्रमाणपत्र का निलंबन और रद्दकरण ।
16. समाप्त, निलंबित या रद्द सर्वेक्षण प्रमाणपत्र का परिदान ।

अध्याय 5

रजिस्ट्रीकरण

17. रजिस्ट्रीकरण ।
18. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अपेक्षा ।
19. स्वामी या मास्टर द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का वहन किया जाना ।
20. अन्तर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्री के पत्तनों या स्थानों और रजिस्ट्रारों की नियुक्ति ।

खंड

21. रजिस्ट्री की पुस्तक ।
22. अन्तर्देशीय जलयानों का केंद्रीय डाटाबेस ।
23. जलयानों के रजिस्ट्रीकरण का आवेदन और प्रक्रिया ।
24. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का दिया जाना और जलयान को चिह्नित किया जाना ।
25. रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का प्रभाव ।
26. प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति ।
27. रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाणपत्र ।
28. उपांतरणों या परिवर्तनों का रजिस्ट्रीकरण ।
29. निवास या कारबार के स्थान का परिवर्तन ।
30. जलयान के स्वामित्व के अंतरण के विरुद्ध प्रतिषेध ।
31. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन ।
32. रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना ।
33. यंत्रचालित जलयान या उसमें शेयर का बंधक ।

अध्याय 6

प्रबंध, अर्हता, प्रशिक्षण, परीक्षा और सत्यापन

34. रोजगार के लिए प्रशिक्षण और न्यूनतम आयु ।
35. न्यूनतम प्रबंध मान और प्रबंध अपेक्षाएं ।
36. परीक्षक की नियुक्ति और कर्तव्य ।
37. सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करना ।
38. सेवा प्रमाणपत्र ।
39. सक्षमता प्रमाणपत्र या सेवा प्रमाणपत्र का प्रभाव ।
40. प्रमाणपत्र का निलंबन और रद्दकरण ।
41. प्रमाणपत्र धारकों की रजिस्ट्री और केन्द्रीय रजिस्ट्री ।

अध्याय 7

विशेष श्रेणी जलयान

42. विशेष श्रेणी जलयान ।
43. उपयुक्तता आदि के प्रमाणपत्र को प्रदान करने के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति या उनका प्राधिकृत किया जाना ।
44. यात्रियों या सेवा उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा ।
45. जलयान का निरीक्षण ।
46. उपयुक्तता प्रमाणपत्र का निलंबन और रद्दकरण ।

अध्यान 8

नौपरिवहन सुरक्षा और संकेत

47. नौपरिवहन सुरक्षा, प्रकाश और संकेत ।
48. सुरक्षित नौपरिवहन सुनिश्चित करने की बाध्यता ।
49. संकटग्रस्त संकेत ।
50. संकटग्रस्त जलयान और संकटग्रस्त व्यक्ति को सहायता ।
51. जीवनरक्षक, अग्निसुरक्षा और संसूचना साधन ।

खंड

अध्याय 9

अन्तर्देशीय जलयान द्वारा होने वाले प्रदूषण का निवारण

52. रसायनिक आदि का प्रदूषक के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाना ।
53. प्रदूषण निवारण का प्रमाणपत्र ।
54. ग्रहण सुविधाएं और प्रदूषण सरोधन ।
55. निरीक्षण करने के लिए पर्यवेक्षक या अधिकारी की नियुक्ति ।
56. प्रदूषण की घटनाओं में अन्वेषण ।

अध्याय 10

ध्वंसावशेष और कबाड

57. आशयपूर्वक ध्वंसावशेष करने के विरुद्ध प्रतिषेद्ध ।
58. ध्वंसावशेष का प्रापक ।
59. अध्याय 10 के लिए नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

अध्याय 11

उत्तरदायित्व और उत्तरदायित्व की परिसीमा

60. अधिनियम के अधीन उत्तरदायित्व ।
61. हानि का प्रभाजन ।
62. निजी चोट, जीवन की हानि या पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायित्व ।
63. यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का निरोध ।
64. उत्तरदायित्व की परिसीमा ।
65. परिसीमा का लागू न होना ।

अध्याय 12

अन्तर्देशीय जल में चलने वाले यंत्रचालित जलयानों का बीमा

66. बीमा कवर ।
67. संविदात्मक दायित्व के अधीन न आना ।
68. बीमा और बीमा पालिसी के निबंधन ।
69. बीमाकर्ता के विरद्ध क्षतिपूर्ति करने और कार्रवाई का निदेश देने का कर्तव्य ।
70. कतिपय मामलों में मृत्यु का प्रभाव ।
71. बीमा प्रमाणपत्र का प्रभाव ।
72. बीमा प्रमाणपत्र का अंतरण ।
73. अध्याय 12 के लिए नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

अध्याय 13

अपघटन, दुर्घटना या नष्ट पोत की जांच

74. अपघटन, दुर्घटना, नष्ट पोत आदि की रिपोर्ट देना ।
75. अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करना ।
76. असेसर ।
77. राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट अधिसूचित किया जाना ।
78. जांच के लिए अनुवर्ती जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां ।

खंड

79. निलंबन रद्द और अधिहरण को राज्य सरकार की शक्ति ।

अध्याय 14

व्यापार परिपाटी का विनियमन

80. प्रदाताओं की सेवा और उपयोक्ताओं के हितों का संरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्तियां।
81. प्रतिषिद्ध माल और खतरनाक माल ।
82. जलयान व्यापार अनुज्ञा और विदेशी जलयानों को प्रमाणपत्रों का पृष्ठांकन ।

अध्याय 15

पोत संचालन, जलयान, अवरोधन और विकास निधि

83. पोत संचालन।
84. 1908 की धारा 15 के अधीन पायलट समझे गए प्रमाणित मास्टर ।
85. जलयान अवरोधन और समपहरण ।
86. विकास निधि का गठन ।

अध्याय 16

अपराध और शास्तियां

87. अपऱाध और शास्तियां ।
88. कंपनी, सीमित दायित्व वाली भागीदारी फर्म या इसी प्रकार के किसी ठहराव द्वारा अपराध ।
89. फीस, अतिरिक्त फीस का संदाय और संग्रह ।
90. अपराध का संज्ञान ।

अध्याय 17

गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान

91. स्थानीय स्वशासन ।
92. अभ्यावेशन की बाध्यता ।
93. जलयान के नामांकन और बनाने के लिए प्रमाणपत्र ।
94. सन्निर्माण और सुरक्षा के मानक ।
95. गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।
96. कल्याण निधि का गठन ।

अध्याय 18

प्रकीर्ण

97. बिना छुट्टी के अभित्यजन और अनुपस्थिति ।
98. केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की साधारण शक्तियां ।
99. आपातकालीन तैयारी ।
100. विधिपूर्ण रूप से बाधा का हटाया जाना ।
101. इस अधिनियम के सिवाय विधियों के अधीन जारी प्रमाणपत्रों की वैधता ।
102. नियुक्त किए गए या प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा बाधा हटाना ।

खंड

103. विचारण का स्थान ।
104. अपराधों का शमन ।
105. अपील ।
106. नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति ।
107. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति
108. निदेश देने की केंद्रीय सरकार की शक्तियां ।
109. सद्भाव में की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
110. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
111. अन्य विधियों के साथ संगतता ।
112. अधिनियम को लागू करने के लिए निलंबन या परिवर्तन और प्रचालन ।
113. नियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना ।
114. निरसन और व्यावृत्ति ।

2021 का विधेयक संख्यांक 99.

[दि इनलैण्ड वेसल्स बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

अन्तर्देशीय जलयान विधेयक, 2021

अन्तर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से मितव्ययी और सुरक्षित परिवहन तथा व्यापार की अभिवृद्धि करने, देश के भीतर अन्तर्देशीय जलमार्गों और नौपरिवहन संबंधी विधि को लागू करने में एकरूपता लाने, नौपरिवहन की सुरक्षा, जीवन और स्थोरा की संरक्षा के लिए उपबंध करने और प्रदूषण जो कि अन्तर्देशीय जलयान के उपयोग या नौपरिवहन के उपयोग द्वारा कारित हो सकता है का निवारण करने, अन्तर्देशीय जल परिवहन के प्रशासन का पारदर्शी और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने, अन्तर्देशीय जलयानों, उनका सन्निर्माण, सर्वेक्षण, रजिस्ट्रीकरण, मैनिंग, नौपरिवहन के संचालन प्रक्रियाओं को मजबूत करने और इनसे संबद्ध या उनके आनुषंगिक ऐसे अन्य मामलों के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा ।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु यह कि भिन्न-भिन्न तारीखें जो केंद्रीय सरकार द्वारा उचित समझी जाएं, भिन्न-भिन्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तन में लाने के लिए नियत की जाएंगी ।

लागू होना और विस्तार ।

2. (1) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्याय 1, अध्याय 3, अध्याय 10, अध्याय 16 और अध्याय 18 के उपबंध, भारत के अन्तर्देशीय जलमार्गों के भीतर चलने वाले सभी अन्तर्देशीय जलयान पर लागू होंगे और—

(क) अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10, अध्याय 11, अध्याय 12, अध्याय 13 और अध्याय 14 इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी यंत्रचालित जलयानों पर लागू होंगे ;

(ख) अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10, अध्याय 11, अध्याय 12 और अध्याय 13 इस अधिनियम से भिन्न भारत में प्रवृत्त ऐसी विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयानों पर या भारत से भिन्न अन्य देश में प्रवृत्त ऐसी विधियों में रजिस्ट्रीकृत जलयानों पर लागू होंगे; किंतु जो अन्तर्देशीय जलमार्गों के भीतर चलाने के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन पृष्ठांकित या मान्यताप्राप्त हों ;

(ग) अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10, अध्याय 11, अध्याय 12, अध्याय 13 और अध्याय 14 ऐसे सभी परिलक्षित जलयानों पर लागू होंगे जो अन्तर्देशीय जलमार्गों पर चलने वाले या उपयोग करने वाले विशेष प्रवर्ग के जलयान होंगे ;

(घ) अध्याय 17 सभी गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयानों पर लागू होंगे ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्तर्देशीय जलों के किसी वर्ग या प्रवर्ग अथवा अन्तर्देशीय जलों के किसी क्षेत्र को इस अधिनियम के किसी अध्याय या उपबंध के उपयोजन का विस्तार कर सकेगी ।

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “प्राधिकृत बीमाकर्ता” से समुद्री बीमा कारबार के किसी वर्ग पर बीमा करने वाला कोई बीमा कंपनी अभिप्रेत है जो भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत या मान्यताप्राप्त हो ;

(ख) “अनावृत्त नौका चार्टर” से बिना कर्मीदल के जलयान को करार करने के लिए कोई ठहराव अभिप्रेत है जहां चार्टर कर्मीदल की नियुक्ति करने के लिए और अन्य ठहराव के लिए उत्तरदायित्व हो ;

(ग) “अनावृत्त नौका चार्टर-सह-पट्टांतरण” एक ऐसा अनावृत नौका चार्टर विकसित है, जहां जलयान का स्वामित्व ऐसी कंपनी को जिसको किसी विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् अंतरित किए जाने के लिए आशयित है, वह चार्टर्ड किया गया है ;

(घ) “स्थोरा टर्मिनल” से स्थोरा के चढ़ाई और उतराई के प्रयोजन के लिए अन्तर्देशीय जलों के भीतर विकसित पत्तन, जैटी, माल या ऐसे अन्य स्थान में स्थोरा के चढ़ाई या उतराई या ऐसे चढ़ाई या उतराई की किसी अन्य सहबद्ध प्रक्रियाओं के लिए अभिहित स्थान अभिप्रेत है ;

(ङ) "दुर्घटना" जिसमें ऐसे जलयान सम्मिलित है जिनका—

(i) हानि, परित्याग, तत्वत: नुकसानी ;

(ii) सामग्री की हानि के कारण या किसी अन्य जलयान से नुकसान ;

(iii) जीवन के किसी हानि के कारण या व्यक्तिगत क्षति ;

(iv) पर्यावरण के परिणामस्वरूप या उसके प्रचालन के संबंध में हानि,

के कारण हुआ हो;

(च) "केंद्रीय डाटा" से डाटा रिकार्ड करने के लिए अनुरक्षित केंद्रीयकृत रिकार्ड अभिप्रेत है और जिसके ब्यौरे—

(i) जलयान;

(ii) जलयान का रजिस्ट्रीकरण;

(iii) जलयान में कर्मीदल और मैनिंग;

(iv) जलयान की बाबत जारी प्रमाणपत्र;

(v) ग्रहण सुविधाएं; और

(vi) ऐसे अन्य डाटा,

किसी इलैक्ट्रानिक पोर्टल के रूप में या ऐसे अन्य प्ररूप और रीति में जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अभिलिखित और सुरक्षित की जाए;

(छ) "बीमा प्रमाणपत्र" से किसी बीमाकृत द्वारा संदत्त बीमा प्रीमियम के अनुसरण में किसी प्राधिकृत बीमाकर्ता द्वारा जारी प्रमाणपत्र अभिप्रेत है और इसमें ऐसी अपेक्षाओं का पालन करते हुए एक कवर नोट होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए;

(ज) "सक्षम प्राधिकारी" से धारा 6 में निर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(झ) "न्यायालय" से इस अधिनियम में यथा उपबंधित दायित्वों और अपराधों के मामलों पर अधिकारिता रखने वाला कोई सिविल न्यायालय, राजस्व न्यायालय या उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत उसकी अधिकारिता के भीतर कारणताओं और दुर्घटनाओं से उद्‌भूत दावों में से अन्वेषण और जांच भी हैं;

(ञ) "कवर नोट" जिसमें बीमाकर्ता द्वारा जारी वचनबंध कोई नोट सम्मिलित है जो बीमा के संविदा में यथा उपबंधित बीमाकृत द्वारा उपगत हानियों के उत्तरदायी और क्षतिपूर्ति को कवर करने के लिए वादा करता है;

(ट) "कर्मीदल" से मैनिंग के कार्यकरण के भाग के रूप में मास्टर या यात्रियों से भिन्न किसी अन्तर्देशीय जलयान के प्रचालन या सेवा करने के लिए नियोजित कार्मिक अभिप्रेत है;

(ठ) "खतरनाक स्थोरा " से ऐसा कोई स्थोरा अभिप्रेत है जो उसके प्रकृति के कारण, प्ररूप या विषय-वस्तु, संपूर्ण या भागरूप में इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अन्तर्देशीय जलों में अन्तर्देशीय जलयानों के किसी श्रेणी या प्रवर्ग पर ले जाते समय खतरनाक या भागत: खतरनाक के रूप में घोषित किया गया है;

(ड) “खतरनाक माल” से ऐसा कोई माल अभिप्रेत है जो उसकी प्रकृति के कारण, प्ररूप या विषय-वस्तु संपूर्ण या भागरूप में इस अधिनियम के अधीन अन्तर्देशीय जलों में अन्तर्देशीय जलयानों के किसी श्रेणी या प्रवर्ग पर ले जाते समय खतरनाक या भागत: खतरनाक के रूप में घोषित किया गया है;

(ढ) “नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी” से धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ण) “मत्स्य जलयान” से नोदन के मैकेनिकल ढंग से फिट किया गया जलयान अभिप्रेत है जो अन्तर्देशीय जलों के भीतर लाभ के लिए मछली मारने में अनन्य रूप से लगा हुआ है;

(त) “परिसंकटमय रसायन” से ऐसा कोई रसायन अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के अधीन या भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रदूषकों के रूप में अभिहित किया गया है;

(थ) “अन्तर्देशीय जलयान” जिसमें कोई अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान या कोई गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान सम्मिलित है जो रजिस्ट्रीकृत है और जिसे अन्तर्देशीय जलों में चलाया जा रहा है, किंतु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है—

(i) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 या सामुद्रिक उत्पाद 1958 का 44
निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 के अधीन रजिस्ट्रीकृत 1972 का 13
मत्स्य जलयान; और

(ii) ऐसा कोई जलयान जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा अन्तर्देशीय जलयान के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह वर्गीकृत किया जाता है
कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसा 1958 का 44
जलयान है और जिसे अन्तर्देशीय जल के भीतर चलाया जाता है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अन्तर्देशीय जलयान समझा जाएगा;

(द) “अन्तर्देशीय जल” ऐसे अन्तर्देशीय नौपरिवहन के प्रयोजन के लिए जिसमें कोई—

(i) आधार रेखा के आवक नहर, नदी, झील या कोई अन्य नाव्य जल या जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाए;

(ii) ज्वारीय जल की सीमा जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाए ;

(iii) केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय जलमार्ग; और

(iv) अन्य जल, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाए;

सम्मिलित है ;

(ध) “धारणाधिकार” एक ऐसा विधिक अधिकार या हित है जो कि एक लेनदार अन्तर्देशीय जलयान या उसकी कोई संपत्ति, विकलन या कर्तव्य सुरक्षित होने तक रखे रहता है या कुछ अन्य आभार का पालन करना संतोषप्रद है;

(न) “दायित्व की सीमा” से ऐसी दायित्व की दर या परिमाण अभिप्रेत है जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन स्वामी या अन्य व्यक्ति हकदार हैं ऐसे अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार जो इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए या जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, दावों से उत्पन्न दायित्व को सीमित कर सकते हैं या दायित्व की सीमा या कैप करने की अनुमति दे सकते हैं;

(प) “ भार रेखा” से ऐसी जल रेखा अभिप्रेत है, जिसे अन्तर्देशीय जलयान पर चिह्नित किया जाता है जो ऐसे जलयान को सुरक्षित ले जाने या लदाई क्षमता का द्योतक है;

(फ) “मास्टर” जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंतर्गत सारंग या अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है जो किसी अन्तर्देशीय जलयान के कमान या भारसाधक है और जिसमें पायलट या बंदरगाह मास्टर नहीं है;

(ब) “सारवान तथ्य” से प्रकृति का ऐसा तथ्य अभिप्रेत है जो व्यवहार कुशल बीमाकर्ता के निर्णय को अवधारित करने, उसके उत्तरदायित्व के निर्धारण, भारित किए जाने वाला प्रीमियम, विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तें और प्रविष्टि किए जाने वाले अन्य निबंधन और बीमाकृत से नातेदार निर्धारित करने वाला बीमा पालिसी निगमित हैं;

(भ) “तात्विक विशिष्ट” से प्रकृति की ऐसी विशिष्ट अभिप्रेत है जो व्यवहार कुशल बीमाकर्ता के निर्णय को अवधारित करने, उसकी उत्तरदायित्व के निर्धारण, भारित किए जाने वाला प्रीमियम का विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तें, प्रविष्ट किए जाने वाला अन्य निबंधन और बीमाकृत से नातेदार निर्धारित करने वाला बीमा पालिसी में निगमित हैं;

(म) “यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान” से अभिप्रेत है—

(i) अन्तर्देशीय जलों में ऐसा कोई अन्तर्देशीय जलयान जो नोदन के यांत्रिक साधनों द्वारा चालित होता है; या

(ii) फ्लोटिंग यूनिट, फ्लोटिंग सतहें, डंप जलयान बार्ज रिग्स, जेटी या ऐसे अन्य गैर-यंत्रचालित जलयान की सहायता से खींचा या धक्का दिया जाता है और जिसका उपयोग वाहन, भंडारण, परिवहन और आवास के लिए किया जाता है और अन्तर्देशीय जलयान में या माध्यम से स्थोरा के यात्रियों के लिए किया जाता है;

(य) “न्यूनतम मैनिंग आवश्यकता” से जलयान की सुरक्षा मैनिंग और नौपरिवहन के लिए अपेक्षित व्यक्तियों का ऐसा मानक और संख्या अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए;

(यक) “गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान” से ऐसा कोई जलयान अभिप्रेत है जो गैर-चालित अन्तर्देशीय जलयान नहीं है;

(यख) “अधिसूचना” से, यथास्थिति, भारत का राजपत्र या किसी राज्य के राजपत्र अभिप्रेत है और अभिव्यक्ति से इसकी व्याकरणिक रूप भेद और सजातीय पद के साथ अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(यग) “घृणाजनक पदार्थ” से ऐसा कोई पदार्थ अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम या भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रदूषक के

रूप में अभिहित किया गया है;

(यघ) “शासकीय संख्या” से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अन्तर्देशीय जलयान के रजिस्ट्रार या ऐसी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी जलयान को एक जलयान से दूसरे जलयान में भेद करने और पहचानने के लिए ऐसे जलयान के सहजदृश्य भाग पर लगाया या प्रदर्शित किया जाता है की समनुदेशित संख्या अभिप्रेत है;

(यङ) “तेल” से किसी भी खाद्य तेल को स्थोरा या अध्यव्यसायी के रूप में जलयान पर ले जाना, स्थोरा या इंधन के रूप में किसी जलयान के फलक पर ले जाया गया स्नेहक अभिप्रेत है;

(यच) “तेलीय मिश्रण” से किसी तेल सामग्री के साथ मिश्रण अभिप्रेत है;

(यछ) “स्वामी” से प्रचालक, चार्टरर, हितग्राही स्वामी या रजिस्ट्रीकृत स्वामी अभिप्रेत है जो जलयान के क्रियाकलाप के लिए उत्तरदायी है और इसके संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों का पालन करने या इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन अभिव्यक्ति या विवक्षित शीर्षक रखने के लिए बाध्य होगा;

(यज) “यात्री” से जलयान के कारबार के संबंध में जलयान के फलक पर किसी हैसियत में नियोजित या लगे हुए व्यक्तियों के सिवाय, किसी जहाज के फलक पर ले जाने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(यझ) “यात्री टर्मिनल” से यात्रियों के एमबार्किंग या डिस एमबार्किंग के लिए अभिहित टर्मिनल और अनुज्ञात स्थोरा, पत्तन, जेट्टी, घाट या वैसे ही स्थान अभिप्रेत हैं;

(यञ) “यात्री जलयान” से बारह से अनधिक यात्रियों को वहन करके ले जाने के लिए अनुज्ञात कोई जलयान अभिप्रेत है;

(यट) “जलयान चालक” से धारा 83 में यथाविनिर्दिष्ट जलयान के स्वामी द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है जो मास्टर की सहायता या अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुसार अन्तर्देशीय जल के ऐसे क्षेत्र में जलयान को चलाए ;

(यठ) “विहित” से, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियम द्वारा विहित की जाए ;

(यड) “धारणाधिकार की प्राथमिकता” से उस क्रम में जिसमें धारणाधिकारों की रैंकिंग अभिप्रेत है जिसे वे रजिस्ट्री के प्रत्येक पत्तन या स्थान पर बनाए रखी गई रजिस्ट्री की बही में सिद्ध या अभिलिखित किए गए हैं;

(यढ) “व्यतिकारी देश” से कोई ऐसा देश अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए व्यतिकारी देश होने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(यण) “मान्यताप्राप्त संगठन” से जलयानों के सर्वेक्षण, वर्गीकरण या प्रमाणन में अंतर्विष्ट क्रियाओं के पालन और निष्पादन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त और प्राधिकृत कोई संगठन अभिप्रेत है;

(यत) “कबाड़” से किसी संपत्ति को पुन:प्राप्त करने के लिए और बचत में उबारक का कार्य मलबे या दुर्घटना के कारण संपत्ति या जीवन खतरे में है और जिसमें कबाड़ सेवा के काम करने में उबारक द्वारा उपगत सभी व्यय शामिल

है, अभिप्रेत है;

(यथ) "उबारक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कबाड़ प्रचालनों को संचालित करता है;

(यद) "सेवा प्रदाता" में ऐसा व्यक्ति शामिल है जो अन्तर्देशीय जलों में प्रयोग में लाने या चलाने में अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी या प्रचालक की हैसियत में, परिवहन, भंडारण या वास-सुविधा के प्रयोजनों के लिए सेवा उपयोगकर्ता के लिए उपबंध करता है;

(यध) "सेवा उपयोक्ता" में ऐसा व्यक्ति शामिल है जो किसी यात्री या किसी स्थोरा के स्वामी के रूप में या ढुलाई अग्रेषक परिवहन, भंडारण या वास सुविधा के प्रयोजनों के लिए अन्तर्देशीय जलों में किसी अन्तर्देशीय जलयान की सेवाओं का उपयोग करता है;

(यन) "विशेष प्रवर्ग का जलयान" से ऐसा यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के अधीन इसके उपयोग, प्रयोजन, कार्य या उपयोगिता या चालन जिसके अंतर्गत ईंधन प्रणाली या चालन के लिए शक्ति के स्रोत जैसे कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस, विद्युत चालन, डिजाइन निर्माण के उपायों पर विचार करके विशेष रूप से पहचाना जाता है या प्रचालन के क्षेत्र में या ऐसे मानदंड या मान भी सम्मिलित है;

(यप) "जलयान" में अन्तर्देशीय जल जिसके अंतर्गत कोई पोत, नाव, चलतयान टग, बजरा भी है या अन्य प्रकार के जलयान जिसके गैर विस्थापन यान, जलस्थलीय यान, विंग-इन-ग्राउंड यान, पेटी, रोल-आन-रोल ऑफ जलयान, आधान जलयान, टैंकर जलयान, गैस वाहक या अस्थाई यूनिट या परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले डम्ब, अन्तर्देशीय जल के भीतर या उसके माध्यम से भंडारण या आवास शामिल है;

(यफ) "ध्वंसावशेष" से किसी भी जलयान की हालत या ऐसा जलयान या जलयान पर अग्रनीत माल या हिस्सा या संपत्ति अभिप्रेत है जो—

(i) अन्तर्देशीय जलों में डाले गए हों या गिर गए हों और डूब गए हों और जल में जल के नीचे रह गए हों या सतह पर तैरते रहे हों; या

(ii) अन्तर्देशीय जलों में डुबा दिए गए हों किंतु जो किसी तैरती हुई वस्तु के साथ जोड़ दिए गए हों जिससे कि उन्हें पुन: खोजा जा सके; या

(iii) ""साशय फेंक दिए गए हों या प्रत्युद्धरण के आशय से या बिना विश्वास के परित्यक्त कर दिए गए हों ; या

(iv) अन्तर्देशीय जलों में उसकी उपस्थिति से परिसंकट होते हों या नौपरिवहन से बाधा का कारण बनते हों या जीवन की सुरक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हों या प्रदूषण का कारण बनते हों ।

अध्याय 2

अन्तर्देशीय जल क्षेत्र का जोन में घोषणा

अन्तर्देशीय जल क्षेत्र का जोन में घोषणा ।

4. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अधिकतम महत्वपूर्ण लहर ऊंचाई मानदंड के आधार पर किसी भी अन्तर्देशीय जल क्षेत्र को अधिसूचना द्वारा "जोन" घोषित कर सकती है ।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में अधिकतम महत्वपूर्ण लहर ऊंचाई मानदंड को वर्गीकृत कर सकती है, अर्थात् :—

(i) जोन 1 उस क्षेत्र (जोन 3 से भिन्न) को विनिर्दिष्ट करता है जहां अधिकतम महत्वपूर्ण लहर की ऊंचाई 2.0 मीटर से अधिक नहीं होती है;

(ii) जोन 2 उस क्षेत्र (जोन 3 से भिन्न) को विनिर्दिष्ट करता है जहां अधिकतम महत्वपूर्ण लहर की ऊंचाई 1.2 मीटर से अधिक नहीं होती है ;

(iii) जोन 3 उस क्षेत्र (जोन 3 से भिन्न) को विनिर्दिष्ट करता है जहां अधिकतम महत्वपूर्ण लहर की ऊंचाई 0.6 मीटर से अधिक नहीं होती है ।

अध्याय 3

प्रशासनिक उपबंध

केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के प्रशासनिक कार्य ।

5. (1) केंद्रीय सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश देती है कि इस अधिनियम के किसी ऐसे उपबंध या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन या उसके संबंध में उसके द्वारा प्रयोग किए जाने योग्य कोई शक्ति, प्राधिकार या अधिकारिता या जो ड्यूटी आबंटित करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाए भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जो इस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रयोक्तव्य होगा ।

(2) केंद्रीय सरकार की इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिसूचनाएं जारी करने की तारीख को और से या केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम के उपबंध निम्नलिखित होंगे—

(क) संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भाग में जो इसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं समान रूप से लागू; और

(ख) ऐसी अधिसूचनाएं या नियम पर अभिभावी होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा, यथास्थिति, जारी किया जाए या बनाया जाए ।

(3) राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों, प्राधिकारों या कर्तव्यों का प्रयोग करने या निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए उनके अपनी अधिकारिता के भीतर, अधिसूचना द्वारा नामनिर्दिष्ट एक या अधिक प्राधिकारियों को नियुक्त करेगी ।

(4) उपधारा (1) और धारा 6 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन गठित विद्यमान प्राधिकारी उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए निरंतर नामनिर्दिष्ट बने रह सकेंगे ।

(5) राज्य सरकार, इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए सामान्य आदेश या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश देती है कि इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त कोई शक्ति या प्राधिकार ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो वह ठीक समझे, अपने नामनिर्दिष्ट प्राधिकारियों या किसी अधिकारी या किसी अन्य संगठन या निकाय द्वारा प्रयोग या निर्वहन करेगी ।

(6) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति होगी और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किए गए उपबंध के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगी ।

(7) इस अधिनियम में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी बात के होते हुए भी अध्याय 17 में विनिर्दिष्ट रूप में गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयानों के प्रशासन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार के पास प्रशासन की कोई शक्ति नहीं होगी और ऐसी राज्य सरकार से, शासकीय अनुरोध की प्राप्ति पर संबंधित राज्य सरकार को केवल सहायता उपलब्ध कराएगी ।

1985 का 82

सक्षम प्राधिकारी ।

6. भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों, प्राधिकार या कर्तव्यों का प्रयोग करने या निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।

अध्याय 4

अन्तर्देशीय जलयान का सर्वेक्षण

सर्वेक्षण करने के प्रयोजन के लिए वर्गीकरण करने और प्रवर्गीकरण करने की शक्ति ।

7. (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए—

(क) यंत्रचालित जलयानों का वर्गीकरण;

(ख) ऐसे वर्गीकरण के लिए मानदंड; और

(ग) ऐसे जलयानों के डिजाइन, सन्निर्माण, उपयुक्तता और कर्मीदल की वास-सुविधा,

ऐसी होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कसौटी और मानदंड के आधार पर यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयानों का वर्गीकरण और प्रवर्गीकरण करेगी ।

यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का सन्निर्माण, परिवर्तन या उपांतरण ।

8. (1) कोई भी व्यक्ति किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का निर्माण नहीं करेगा या किसी भी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान को परिवर्तित या उपांतरित नहीं करेगा ताकि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के सिवाय ऐसी रीति में जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए उसकी सामर्थ्य, उपयुक्तता या सुरक्षा को प्रभावित किया जा सके ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिवर्तन या उपांतरण की सूची जो किसी भी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान की सामर्थ्य, उपयुक्तता या सुरक्षा को प्रभावित करेगी और इसके लिए ऐसा मानदंड वह होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

जलयानों का सर्वेक्षण ।

9. (1) प्रत्येक यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के लिए सर्वेक्षण का प्रकार और आवधिकता का मानक ऐसा होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(2) यथास्थिति, स्वामी, संचालक, मास्टर या निर्माण यार्ड या कोई अन्य आवेदक ऐसे प्ररूप और अंतर्वस्तु में सर्वेक्षण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

सर्वेक्षकों की नियुक्ति और अर्हताएं ।

1860 का 45

10. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सरकार अधिसूचना द्वारा अन्तर्देशीय जलयानों के सर्वेक्षकों के रूप में अधिकारियों या व्यक्तियों को नियुक्त करेगी और ऐसे सर्वेक्षक भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक

समझे जाएंगे ।

(2) सर्वेक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम मानदंड और अर्हताएं वे होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए जिन्हें राज्य सरकारें, सर्वेक्षकों की नियुक्ति में अपनाएंगी ।

सर्वेक्षकों की शक्तियां ।

11. (1) सर्वेक्षण करने के लिए स्वामी या मास्टर या निर्माण यार्ड से आवेदन की प्राप्ति पर, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, सर्वेक्षक यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के फलक पर जाएगा या उसमें प्रवेश करेगा और उसका सर्वेक्षण कर सकेगा :

परंतु यह कि सर्वेक्षक, स्थोरा के चढ़ाई या उतराई में यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान में यात्रियों के चढ़ने या उतरने में या न ही अनावश्यक रूप से प्रतिबाधित करेगा या न ही किसी भी जलयात्रा पर जाने से अनावश्यक रूप से निरुद्ध या विलंबित करेगा ।

(2) यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी, प्रचालक या मास्टर और कर्मीदल को सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षक सभी युक्तियुक्त सुविधाएं देगा और ऐसे यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान और उसकी मशीनरी या मशीन के किसी भाग और फलक पर के सभी उपस्कर और वस्तुओं के बारे में सभी जानकारी देगा जो सर्वेक्षण के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो ।

सर्वेक्षण और प्रक्रियाओं का प्रमाणपत्र मंजूर करना ।

12. (1) यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के सर्वेक्षण पूरा होने पर सर्वेक्षक आवेदक को तुरंत सर्वेक्षण का एक घोषणापत्र जारी करेगा जो ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगा और ऐसे प्ररूप में होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(2) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत घोषणा के सभी उपबंध का अनुपालन किया जा चुका है और ऐसी फीस की प्राप्ति पर जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, आवेदक को एक सर्वेक्षण प्रमाणपत्र जारी करेगी ।

(3) इस धारा के अधीन दिया गया सर्वेक्षण प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए और उस आशय का एक कथन होगा जो कि इस अधिनियम के सभी उपबंध यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के संबंध में हैं और सर्वेक्षक की घोषणा का अनुपालन किया जा चुका है और ऐसी विशिष्टियां या ऐसे अन्य निबंधन और शर्त उपवर्णित होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(4) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा इस धारा के अधीन सभी कार्य को प्रत्यायोजित कर सकेगी या किन्हीं कार्यों को सौंप सकेंगी :

परंतु यह कि सर्वेक्षक द्वारा सर्वेक्षण प्रमाणपत्र के अनुदान को अधिकृत करने के लिए कोई प्रतिनिधि-मंडल नहीं बुलाया जाएगा जिन्होंने उपधारा (1) के अधीन सर्वेक्षण की घोषणा की थी ।

सर्वेक्षक का अनंतिम प्रमाणपत्र और उसका प्रभाव ।

13. (1) आवेदन की प्राप्ति पर और किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी या प्रचालक से फीस लेने पर ऐसे सर्वेक्षक जो सर्वेक्षण करता है सर्वेक्षण का एक अंनतिम प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है । पृष्ठांकन से सर्वेक्षण के विद्यमान प्रमाणपत्र की विधिमान्यता का विस्तारण ऐसे प्ररूप में और ऐसी अवधि के लिए होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(2) कोई भी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान, जिसे उपधारा (1) के अधीन सर्वेक्षण या पृष्ठांकन का अनंतिम प्रमाणपत्र के साथ जारी किया गया है , अस्थाई रूप से जलयात्रा पर आगे बढ़ सकता है या सेवा में उपयोग कर सकता है, सर्वेक्षण प्रमाणपत्र जारी करने में अनिर्णीत ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

सर्वेक्षण प्रमाणपत्र और ऐसे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट किए गए जोन की अपेक्षा के बिना यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का अग्रसर होना ।

14. (1) किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान को सर्वेक्षण के विधिमान्यता प्रमाणपत्र के बिना उपयोग नहीं किया जाएगा और न ही उसे जलयात्रा पर अग्रसर होने दिया जाएगा जो कि अन्यों में से उपबंध करने या उपदर्शित ऐसे जलयान, प्रचालन के लिए आशयित जोन या जलयात्रा को या सेवा को लागू होगा ।

(2) सर्वेक्षण प्रमाणपत्र पूरे भारत में प्रभावी होगा जब तक कि इसमें अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो और ऐसी अन्य शर्तों के अध्यधीन होगा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित की जाए ।

(3) सर्वेक्षण प्रमाणपत्र ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विहित की जाए और जो निम्नलिखित पर प्रवृत्त नहीं होगा—

(क) सर्वेक्षण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात्; या

(ख) ऐसे प्रमाणपत्र को रद्द करने या निलंबित करने के लिए जारी की गई सूचना के पश्चात् ।

(4) इस धारा की कोई बात जलयात्रा पर अग्रनीत करने की अनुमति लेने के लिए जलयान के स्वामी पर मास्टर द्वारा आवेदन करने पर उस तारीख के बीच के अंतराल के दौरान जिस तारीख को सर्वेक्षण प्रमाणपत्र समाप्त हो जाता है और नवीकरण की यथासंभव तारीख राज्य सरकार को उपधारा (1) के अधीन अपेक्षा से किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान को अपवर्जित नहीं करेगी ।

(5) सर्वेक्षण प्रमाणत्र के अस्तित्वहीन होने के पश्चात् सर्वेक्षण विधिमान्य प्रमाणपत्र इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए किसी सर्वेक्षक द्वारा संचालित किए गए यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के पुन: सर्वेक्षण के पश्चात् ही अभिप्राप्त करेगा ।

सर्वेक्षण प्रमाणपत्र का निलंबन और रद्दकरण ।

15. (1) राज्य सरकार, सर्वेक्षण प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द कर सकेगी यदि विश्वास करने का यह कारण है कि—

(क) यंत्रचालित जलयान का पतवार, इंजन या अन्य उपस्कर या किसी भाग की पर्याप्तता और अच्छी स्थिति की सर्वेक्षक की घोषणा कपटपूर्वक या भूल से की गई है; या

(ख) प्रमाणपत्र अन्यथा मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर मंजूर किया गया है; या

(ग) घोषणा करते समय पतवार, इंजन या अन्य मशीनरी या यंत्रचालित जलयान के किसी भी भाग में भौतिक क्षति हुई है या जो अन्यथा अपर्याप्त है ।

(2) राज्य सरकार, स्वामी, प्रचालक, मास्टर या निर्माण यार्ड को सर्वेक्षण प्रमाणपत्र के निलंबन की सूचना की त्रुटियों को सुधारने के लिए जारी करेगी और उन शर्तों का स्वामी, प्रचालक मास्टर या निर्माण यार्ड द्वारा ऐसी सूचना जारी करने की तारीख से तीन मास के भीतर ऐसी रीति में जो उस सरकार द्वारा विहित की जाए, पालन किया जाएगा ।

(3) इसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर स्वामी, प्रचालक, मास्टर या निर्माण यार्ड द्वारा निलंबन की सूचना के अननुपालन की दशा में राज्य सरकार ऐसे अननुपालन को अभिलिखित करेगी और सर्वेक्षण प्रमाणपत्र के रद्दकरण की सूचना जारी करेगी जो तुरंत प्रभाव से लागू होगा ।

समाप्त, निलंबित या रद्द सर्वेक्षण प्रमाणपत्र का परिदान ।

16. (1) स्वामी या मास्टर सर्वेक्षण प्रमाणपत्र वितरित करेगा जो अधिक्रांत हो गया है या जिसे निलंबित या रद्द कर दिया गया है ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे ।

(2) राज्य सरकार, अन्तर्देशीय जलयान के रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई रजिस्ट्री की पुस्तक में रद्द किए गए प्रमाणपत्र के ब्यौरे अभिलिखित करेगी ।

अध्याय 5

रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण ।

17. (1) किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान को, जो पूर्णतः—

(क) भारत के किसी नागरिक के ; या

(ख) सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली किसी सहकारी सोसाइटी के ; या 1912 का 2

(ग) किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटी से संबंधित किसी अधिनियम के अधीन स्थापित निकाय के ; या

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी के ; या 2013 का 18

(ङ) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भागीदारी फर्म के ; या 2009 का 6

(च) किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भागीदारी फर्म, न्यास या सोसाइटी सहित किसी अन्य ऐसे निकाय के, जिसके कारबार का मुख्य स्थान भारत में है ; या

(छ) किसी विधिक कारबार के ऐसे समुच्चय के, जो उस सेक्टर में अनुज्ञेय विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान सीमाओं के भीतर भारत में तत्समय प्रवृत्त विद्यमान वाणिज्यिक कानून के अधीन अनुज्ञात सीमा से अन्यथा है और जिसके कारबार का मुख्य स्थान भारत में है,

स्वामित्वाधीन है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(2) अन्तर्देशीय जलों के भीतर अनन्य रूप से चलाए जाने के प्रयोजनों के लिए, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत या अनुगृहीत जलयान से भिन्न कोई विदेशी जलयान, जिसे किसी भारतीय चार्टरर द्वारा अनावृत नौका चार्टर-सह-पट्टांतरण पर भाड़े पर लिया गया है, को इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा । 1958 का 44

(3) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अन्तर्देशीय जलयान, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन भी रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा । 1958 का 44

स्पष्टीकरण—उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, "भारतीय चार्टरर" से उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (छ) में निर्दिष्ट ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने कोई जलयान अनावृत नौका चार्टर-सह-पट्टांतरण पर भाड़े पर लिया है ।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अपेक्षा ।

18. (1) इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान को तब तक जलयात्रा पर नहीं भेजा जाएगा या उसका किसी सेवा के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक उसके पास इस अधिनियम के अधीन उसके संबंध में अनुदत्त विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र न हो ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत अधिकारी,—

(क) किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान को, जिसका निर्माण रजिस्ट्री के पत्तन या स्थान से भिन्न स्थान पर हुआ है, रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे पत्तन या स्थान को अन्तर्देशीय जल के माध्यम से उसे पहली बार यात्रा करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा ; या

(ख) भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसे जलयान को, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन उपबंध किए गए हैं, अन्तर्देशीय जल के भीतर यात्रा करने की अनुज्ञा दे सकेगा ; या

(ग) भारत से भिन्न, ऐसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत यंत्रचालित जलयान को अनुज्ञा दे सकेगा जो ऐसे निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अन्तर्देशीय जलों में चलने के लिए अनुज्ञा होगी ।

स्वामी या मास्टर द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का वहन किया जाना ।

19. (1) अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी या मास्टर इस अध्याय के अधीन जारी विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का वहन करेगा और जब उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा मांगा जाए, निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाएगा ।

(2) राज्य सरकार या इस अध्याय के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान को तब तक निरुद्ध कर सकेगा, जब तक ऐसे जलयान का संबंधित स्वामी, प्रचालक या मास्टर रजिस्ट्रीकरण का विधिमान्य प्रमाणपत्र नहीं दे देता ।

अन्तर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्री के पत्तनों या स्थानों और रजिस्ट्रारों की नियुक्ति ।

20. (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा,—

(क) रजिस्ट्ररी का पत्तन या स्थान नियत कर सकेगी ; और

(ख) रजिस्ट्री के उक्त पत्तनों या स्थानों पर अन्तर्देशीय जलयानों का रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा ।

(2) अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार, रजिस्ट्री के उक्त पत्तनों या स्थानों के संबंध में, जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है, अपने ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

रजिस्ट्री की पुस्तक ।

21. (1) अन्तर्देशीय जलयानों का रजिस्ट्रार, रजिस्ट्री पुस्तक का अनुरक्षण करेगा और उसे रखेगा, जिसमें रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्ररूप में अंतर्विष्ट सभी विशिष्टियों का ऐसा अभिलेख रखेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(2) अन्तर्देशीय जलयानों का रजिस्ट्रार, राज्य सरकार को निश्चित अंतराल पर ऐसी रीति और अवधि में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, रजिस्ट्री पुस्तक या उसमें की गई प्रविष्टियों के ब्यौरों की सूचना देगा ।

(3) राज्य सरकार, इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया को सुकर बनाने और ग्रहण करने के लिए केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित के संबंध में रिपोर्ट और अद्यतन कराएगी :—

(क) अभिहित पत्तनों और रजिस्ट्री के स्थान ;

(ख) इस अध्याय के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत अधिकारियों के ब्यौरे ; और

(ग) रजिस्ट्री की पुस्तक में यथा प्रविष्ट रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे ।

अन्तर्देशीय जलयानों का केंद्रीय डाटाबेस ।

22. केंद्रीय सरकार, अन्तर्देशीय जलयानों के लिए केंद्रीय डाटाबेस का अनुरक्षण करने हेतु ऐसे प्ररूप और रीति में अधिकारियों को नियुक्त करेगी और ऐसे नियुक्त अधिकारियों के कृत्य वे होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

जलयानों के रजिस्ट्रीकरण का आवेदन और प्रक्रिया ।

23. (1) स्वामी या मास्टर, यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए, जिनके पास इस अधिनियम के अधीन जारी विधिमान्य सर्वेक्षण प्रमाणपत्र हैं, ऐसे प्ररूप, रीति में और ऐसी विशिष्टियों के साथ, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा ।

(2) आवेदकों द्वारा, उपधारा (1) में निर्दिष्ट विशिष्टियों के अतिरिक्त रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत या पेश किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची, वह होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(3) रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन उस संबंधित राज्य की अधिकारिता के भीतर जिसमें यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी,—

(क) मामूली तौर पर निवास करता है ; या

(ख) के कारबार का मुख्य स्थान या अधिकृत रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है,

अन्तर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रार को किया जाएगा ।

(4) यदि अन्तर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि जलयान या रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार कर सकेगा और वह आवेदक को ऐसे इंकार किए जाने के कारणों को अंतर्विष्ट करते हुए एक टिप्पण देगा ।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का दिया जाना और जलयान को चिह्नित किया जाना ।

24. (1) अन्तर्देशीय जलयानों का रजिस्ट्रार, धारा 23 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगा, जिसने ऐसी फीस, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, संदत्त की है और ऐसे रजिस्ट्रीकृत जलयान को अधिकृत नंबर समनुदेशित करेगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में होगा और उसमें ऐसी अंतर्वस्तु होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए और निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :—

(क) स्वामी का रजिस्ट्रीकृत पता और स्वामित्व के अन्य ब्यौरे ;

(ख) बंधक के ब्यौरे, यदि कोई हो ;

(ग) अधिकृत संख्या ;

(घ) जलयान का वर्गीकरण और प्रवर्ग ;

(ङ) अन्य कोई विशिष्टियां, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(3) स्वामी, जलयान के ऐसे सहज दृश्य भाग पर अधिकृत नंबर प्रदर्शित करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का प्रभाव ।

25. (1) जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाए, तब तक धारा 24 के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में विधिमान्य समझा जाएगा ।

(2) आवेदक द्वारा यथा घोषित और अन्तर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री की पुस्तक में यथा प्रविष्ट, इस अध्याय के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, स्वामित्व और हक का निश्चायात्मक सबूत होगा ।

(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति का जिसका यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के स्वामित्व में फायदाप्रद हित है और उसमें उसके शेयर हैं, वही अधिकार होंगे जो रजिस्ट्रीकृत स्वामी के हैं और उसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे जलयान का स्वामी समझा जाएगा ।

प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति ।

26. (1) यदि इस अध्याय के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो रजिस्ट्रीकृत स्वामी, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, अन्तर्देशीय जलयानों के, जिसने ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया है, उस रजिस्ट्रार को, प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए आवेदन करेगा ।

(2) अन्तर्देशीय जलयानों का रजिस्ट्रार, उपधारा (1) के अधीन आवेदन और ऐसी फीस या अतिरिक्त फीस, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा ।

रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाणपत्र ।

27. (1) अन्तर्देशीय जलयानों का रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के जारी होने तक, आवेदक द्वारा आवेदन और फीस का संदाय किए जाने पर ऐसी अवधि के लिए, जो उपधारा (3) के अधीन विहित की जाए, विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन, फीस और रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाणपत्र का जारी किया जाना ऐसे प्ररूप, रेट और रीति में होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(3) रजिस्ट्रीकरण के अनंतिम प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि के दौरान स्वामी, प्रचालक, मास्टर या सन्निर्माण यार्ड इस अध्याय के अधीन जलयान को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए किए जाने वाले सभी आवश्यक कार्रवाइयों का कार्यान्वयन और पालन करेगा ।

उपांतरणों या परिवर्तनों का रजिस्ट्रीकरण ।

28. (1) किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी, प्रचालक या मास्टर अन्तर्देशीय जलयान के संबंधित ऐसे रजिस्ट्रार को, जिसने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया है, ऐसे प्ररूप और रीति तथा ऐसी अवधि के भीतर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान की शक्ति, स्थिरता या सुरक्षा को प्रभावी करने वाले किसी उपांतरण या परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए ऐसे संबंधित सर्वेक्षण प्रमाणपत्र के साथ जिसमें ऐसे उपांतरण या परिवर्तन का अनुमोदन किया गया है, आवेदन करेगा ।

(2) अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार, आवेदन और सर्वेक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर और ऐसी फीस, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, की प्राप्ति पर या तो परिवर्तन या उपांतरण को रजिस्ट्रीकृत करवाएगा या यह निदेश देगा कि जलयान

को नए सिरे से रजिस्ट्रीकृत किया जाए :

परंतु जहां अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार यह निदेश दे कि जलयान नए सिरे से रजिस्ट्रीकृत किया जाए, वहां वह परिवर्तन की विशिष्टियों के बारे में विद्यमान प्रमाणपत्र पर यथापरिवर्तित या पृष्ठांकित जलयान का वर्णन करते हुए विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनंतिम प्रमाणपत्र देगा ।

(3) कोई यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान उपधारा (1) या उपधारा (2) का अनुपालन किए बिना घूमता हुआ पाया जाता है तो उसे ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे, निरुद्ध कर लिया जाएगा ।

निवास या कारबार के स्थान का परिवर्तन ।

29. (1) यदि किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी, जलयान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में अभिलिखित रजिस्ट्रीकृत पते पर निवास या कारबार करना छोड़ देता है तो ऐसा व्यक्ति, केंद्रीय सरकार द्वारा उपधारा (2) के अधीन विहित प्रक्रियाओं का पालन करेगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के ऐसे स्वामी द्वारा, जो स्वामी नहीं रहा है या रजिस्ट्री या रजिस्ट्रीकृत पते में परिवर्तन वाली किन्हीं ऐसी परिस्थितियों के अंतरण की अपेक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है, पालन की जाने वाली प्रक्रियाएं वे होंगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

जलयान के स्वामित्व के अंतरण के विरुद्ध प्रतिषेध ।

30. इस अध्याय के अधीन किसी राज्य सरकार के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का अंतरण अन्तर्देशीय जलयान के ऐसे रजिस्ट्रार के जिसने मूल रूप से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया है, पूर्व अनुमोदन के बिना भारत से भिन्न किसी देश में निवास करने वाले किसी व्यक्ति को नहीं किया जाएगा और ऐसा अंतरण केवल तब ही विधिमान्य होगा, यदि उसमें ऐसी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन ।

31. (1) अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार किसी भी समय अपेक्षा कर सकेगा कि उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी भी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का ऐसे प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाए, जिसे राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे ।

(2) ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप यदि अन्तर्देशीय जलयान के रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को प्रदान करने के पश्चात् यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान अन्तर्देशीय जल में चलने के योग्य नहीं है तो उक्त जलयान के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को निलंबन करने का आदेश ऐसे समय के लिए दे सकता है जैसा वह ठीक समझे ।

(3) अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के निलंबन से पहले स्वामी, प्रचालक या मास्टर को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और निलंबन के ऐसे कारणों को रिकार्ड करेगा ।

(4) अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जो उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन करता है, तो निलंबन के कारणों को बताते हुए और निलंबन के ऐसे आदेश को वापस लेने के लिए ऐसी अवधि के भीतर पालन की जाने वाली शर्तों जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, रजिस्ट्रीकृत स्वामी को नोटिस जारी करेगा ।

(5) जहां यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रीकरण अन्तर्देशीय जलयान

के किसी रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (2) के अधीन निलंबित कर दिया जाता है तो अन्तर्देशीय जलयान के रजिस्ट्रार के सिवाय जिसने रजिस्ट्रीकरण के मूल प्रमाणपत्र को जारी किया था, पूर्व रजिस्ट्रार निलंबन के ऐसे आदेश या निलंबन के ऐसे आदेश की वापसी के संबंध में सूचना बाद वाले रजिस्ट्रार को देगा और बाद वाला रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण की पुस्तक में, जिसमें जलयान का रजिस्ट्रीकरण मूल रूप से रिकार्ड है, ऐसे आदेश की प्रविष्टि करेगा ।

(6) अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित करेगा और ऐसे प्रमाणपत्र का अधिग्रहण करेगा और निलंबन के आदेश के वापस होने पर ही प्रमाणपत्र के स्वामी या मास्टर को वापस करेगा ।

रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना ।

32. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया कोई यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान लापता, नष्ट, खोया या परित्यक्त हुआ घोषित है या सेवा के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य हो गया है या स्क्रैपिंग या विखंडित करने के लिए नियत किया गया है या विदेशी विक्रीत है तो जलयान का स्वामी ऐसे समय के भीतर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए जहां जलयान रजिस्ट्रीकृत है वहां के अन्तर्देशीय जलयान रजिस्ट्रार को तथ्य की रिपोर्ट करेगा और जलयान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रिपोर्ट के साथ प्राधिकारी को भी प्रेषित करेगा और उस पर ऐसे अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को रद्द करेगा ।

(2) अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार किसी भी समय अपेक्षा कर सकेगा कि उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी भी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का ऐसे पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाए, जिसे राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे, यदि ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है की जलयान ऐसी दशा में है कि किसी अन्तर्देशीय जल में चलने के योग्य नहीं है तो अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जलयान के स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् जलयान के रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा और स्वामी से यह अपेक्षा करेगा कि जलयान से संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उसके समक्ष अभ्यर्पण करे यदि ऐसा अभ्यर्पण पहले से नहीं कर दिया गया है ।

यंत्रचालित जलयान या उसमें शेयर का बंधक ।

33. (1) कोई रजिस्ट्रीकृत यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान या उसमें शेयर किसी ऋण या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए प्रतिभूति के रूप में बंधक किए जा सकेंगे और प्रतिभूति बनने वाली लिखत ऐसे प्ररूप में होंगे जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए और ऐसे लिखत को प्रस्तुत करने पर अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है इसे रजिस्ट्री पुस्तिका में रिकार्ड करेगा ।

(2) यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान या उसमें शेयर के अध्यधीन रीति और शर्तें जिसमें बंधक किया गया है ऐसी होंगी जैसी केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

अध्याय 6

प्रबंध, अर्हता, प्रशिक्षण, परीक्षा और सत्यापन

रोजगार के लिए प्रशिक्षण और न्यूनतम आयु ।

34. (1) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए अर्हता, प्रशिक्षण, संस्थान, परीक्षा और सक्षमता प्रमाणपत्र देने के लिए मानक ऐसे होंगे जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(2) कोई व्यक्ति जो अठारह वर्ष की आयु से कम है इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान पर नियोजित नहीं किया जाएगा ।

न्यूनतम प्रबंध मान और प्रबंध अपेक्षाएं ।

35. इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन वर्गीकृत किए गए न्यूनतम प्रबंध मान यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के विभिन्न वर्ग या प्रवर्ग को ऐसे लागू होंगे जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

परीक्षक की नियुक्ति और कर्तव्य ।

36. (1) राज्य सरकार, इस अध्याय के अधीन यह देखने के लिए की वे मास्टर के रूप में या इंजीनियर के रूप में या इंजन ड्राइवर के रूप में या ऐसे अन्य व्यक्ति के रूप मे जो यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान पर उत्तरदायित्व और कार्यों को करने में सक्षम है, प्रमाणपत्र प्राप्त करने की वांछा करने वाले व्यक्तियों की अर्हताओं की परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए ऐसे मानदंड और अर्हताओं के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए परीक्षक नियुक्त कर सकेगी ।

(2) परीक्षक, ऐसे व्यक्ति का जो मास्टर, के रूप मे या इंजीनियर के रूप में या इंजन ड्राइवर के रूप में या ऐसे अन्य व्यक्ति के रूप में यथास्थिति, अपेक्षित प्रशिक्षण के अधीन है, मूल्यांकन करेगा और सफलतम अभ्यर्थी जो अपेक्षित अर्हताएं रखते हैं, की सूची केन्द्रीय सरकार या अन्य ऐसे अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में नियुक्त या प्राधिकृत किए जाएं, को रिपोर्ट करेगा ।

सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करना ।

37. (1) राज्य सरकार परीक्षक द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगी और ऐसी रिपोर्ट के सही होने की पुष्टि पर प्रत्येक अभ्यर्थी को, जो परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है की वह सक्षमता प्रमाणपत्र के साथ अपेक्षित अर्हता रखता है, यह प्रमाणित करेगा कि अभ्यर्थी रिपोर्ट में निर्दिष्ट ऐसी क्षमता जो उसमें निर्दिष्ट की गई है प्रमाणपत्र में यथानिर्दिष्ट यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के किसी वर्ग या श्रेणी या संपूर्ण पर सेवा करने में सक्षम है, प्रदान करेगी ।

(2) राज्य सरकार, यदि यह पाती है कि परीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है या विद्यमान कारणों को देखते हुए यह विश्वास है कि ऐसी रिपोर्ट अनावश्यक रूप से बनाई गई है तो सभी या किन्हीं अभ्यर्थियों की और परीक्षा या पुन: परीक्षा कराना अपेक्षित कर सकेगी ।

(3) सक्षमता प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

सेवा प्रमाणपत्र ।

38. (1) राज्य सरकार, आवेदन पर परीक्षा के बिना किसी व्यक्ति को, जिसने ऐसी अवधि के लिए जैसी केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जाए मास्टर के रूप में या इंजीनियर के रूप में, जलयान पर भारतीय नौसेना के तटरक्षक या नियमित सेना के रूप में सेवा की हो, सेवा का प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगी जिसका प्रभाव यह होगा कि वह यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान बोर्ड पर पहली श्रेणी मास्टर, दूसरी श्रेणी मास्टर या सारंग के रूप में या इंजीनियर, पहली श्रेणी इंजन ड्राइवर या दूसरी श्रेणी इंजन ड्राइवर के रूप में ऐसी क्षमता के साथ जो उसमे विनिर्दिष्ट की जाए यथास्थिति, कार्य करने में सक्षम है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सेवा प्रमाणपत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार प्रमाणपत्र का सत्यापन करेगी जो कि तटरक्षक भारतीय नौसेना या नियमित सेना द्वारा जारी आवेदक की क्षमता को प्रमाणित करता है जैसाकि उसके आवेदन के साथ आवेदक द्वारा दाखिल किया गया है ।

(3) इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, कारणों को

अभिलिखित करते हुए उपधारा (1) के अधीन सेवा प्रमाणपत्र को देने से इन्कार कर सकेगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन ऐसे जारी किया गया प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप और रीति में होगा और ऐसी शर्तों के जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए अध्यधीन होगा और उसका वहीं प्रभाव होगा जो धारा 37 के अधीन जारी किए गए सक्षमता प्रमाणपत्र का है ।

सक्षमता प्रमाणपत्र या सेवा प्रमाणपत्र का प्रभाव ।

39. इस अधिनियम के उपबंधों और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए सक्षमता प्रमाणपत्र या सेवा प्रमाणपत्र संपूर्ण भारत में विधिमान्य होगा ।

प्रमाणपत्र का निलंबन और रद्दकरण ।

40. (1) यदि इस अध्याय के अधीन जारी किए गए किसी प्रमाणपत्र का धारक इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के विरुद्ध कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उक्त प्रमाणपत्र निलंबन या रद्दकरण के लिए दायी होगा ।

(2) राज्य सरकार या इस अध्याय के अधीन नियुक्त किया गया या प्राधिकृत किया गया कोई अधिकारी प्रमाणपत्र के धारक को नोटिस जारी करेगा और इस अध्याय के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्दकरण से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा ।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए राज्य सरकार या इस अध्याय के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत कोई अधिकारी इसमें कारणों को अभिलिखित करते हुए इस अध्याय के अधीन प्रदान किए गए सक्षमता प्रमाणपत्र या सेवा प्रमाणपत्र को निलंबन या रद्द कर सकेगा ।

(4) यदि इस अध्याय के उपबंधों के अधीन जारी किया गया कोई प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द है तो ऐसे प्रमाणपत्र का धारक इसे राज्य सरकार को, या ऐसे अधिकारी को, जो इस अध्याय के अधीन राजपत्र में अधिसूचना से सरकार द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत किया जाए, परिदत्त करेगा ।

प्रमाणपत्र धारकों की रजिस्ट्री और केन्द्रीय रजिस्ट्री ।

41. (1) राज्य सरकार, प्रमाणपत्र के ब्यौरे और डाटा को रिकार्ड करने के लिए इलेक्ट्रानिक फॉर्मेट में एक रजिस्टर रखेगी और इस अध्याय के अधीन जारी किए गए संबंधित प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप और रीति में होंगे जो उसके द्वारा विहित की जाए ।

(2) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार को, जारी किए गए, प्रदान किए गए, रद्द किए गए या निलंबित किए गए प्रमाणपत्र के डाटा और ब्यौरे से या ऐसे अन्य टिप्पणियों से जो नियमित अंतरालों में संबंधित प्राधिकारी द्वारा किए गए हों की सूचना ऐसी रीति से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, रिपोर्ट और अद्यतन करेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, इलेक्ट्रानिक फार्मेट में इस अध्याय के अधीन सभी राज्य सरकारों से ग्रहण की गई रिपोर्ट और सूचना से केन्द्रीय डाटा बेस को अद्यतन करेगी ।

अध्याय 7

विशेष श्रेणी जलयान

विशेष श्रेणी जलयान ।

42. (1) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा, यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के किसी वर्ग या प्रवर्ग को उनके डिजाइन, विनिर्माण प्रयोग, उद्देश्य, चलने के क्षेत्र, उर्जा के स्त्रोत या ईंधन या किसी

अन्य मानदंड या मानक के आधार पर विशेष श्रेणी जलयान के रूप मे पहचान करने के लिए मानदंड या मानक विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) विनिर्माण, डिजाइन, सर्वेक्षण, रजिस्ट्रीकरण, प्रबंध, अर्हता, सक्षमता की अपेक्षाएं या अतिरिक्त अपेक्षाएं जो अधिनियम में कहीं भी अन्तर्विष्ट है, ऐसी होगी जैसी केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(3) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए गए मानदंड और मानकों के आधार पर विशेष श्रेणी जलयान के रूप में यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान की पहचान कर सकती है ।

उपयुक्तता आदि के प्रमाणपत्र को प्रदान करने के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति या उनका प्राधिकृत किया जाना ।

43. (1) राज्य सरकार, कर्तव्य पालन के प्रयोजन के लिए और इस अध्याय के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए अधिकारियों को ऐसी संख्या में नियुक्त और प्राधिकृत करेगी ।

(2) किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी, प्रचालक, मास्टर द्वारा राज्य सरकार द्वारा विहित किए गए प्ररूप में आवेदन पर उपधारा (1) के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत कोई अधिकारी का यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा जलयान इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करता है और इस अध्याय के अधीन पहचान किए गए विशेष प्रवर्ग के अधीन आता है और ऐसी अन्य शर्तों के अध्यधीन है ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की गई हो, उपयुक्तता का कोई प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत अधिकारी ऐसे कारणों के लिए जिन्हें लेखबद्ध किया गया हो उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आवेदन के संबंध में उपयुक्तता प्रमाणपत्र प्रदान करने से इन्कार कर सकेगा ।

यात्रियों या सेवा उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा ।

44. (1) सुरक्षा विशेषता, उपस्कर और अन्य उपायों, जिनके द्वारा, कोई यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान इस अध्याय के अधीन विशेष प्रवर्ग के रूप में पहचान की गई है, इनका अनुपालन करेंगे और ऐसे जलयान के वर्गीकरण के अनुसार उसे ऐसे सुसज्जित किया जाएगा जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(2) विशेष प्रवर्ग जलयान के रूप में पहचान किए गए जलयान की अधिकतम वहन क्षमता विनिर्दिष्ट सुरक्षा लदाई द्वारा या उनके जल पर रखने के लिए लदाई सीमा या ऐसे अन्य मानदंड और शर्तें इस अधिनियम में जहां कहीं भी उनके लिए उल्लिखित है, के सिवाय ऐसे अन्तर्देशीय जलयान की जलयात्रा के लिए ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

जलयान का निरीक्षण ।

45. (1) निरीक्षक सर्वेक्षण के प्रयोजन के सिवाय किसी विशेष जलयान के बोर्ड पर जाकर संबंधित जलयान जिसके अन्तर्गत खोल, उपस्कर और मशीनरी या ऐसे जलयान का कोई भाग या संपत्ति भी है, का निरीक्षण कर सकेगा ।

(2) विशेष प्रवर्ग जलयान का स्वामी, प्रचालक, अभिकर्ता, मास्टर और कोई भारसाधक व्यक्ति निरीक्षण और सर्वेक्षण करने के लिए पर्यवेक्षक को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा और जलयान से संबंधित ऐसी सभी सूचना और उसकी मशीनरी और उपस्कर या क्रमश: उसके किसी भाग जिसे पर्यवेक्षक या ऐसा अन्य अधिकारी उचित रूप से अपेक्षा करे, उपलब्ध कराएगा ।

उपयुक्तता प्रमाणपत्र का निलंबन और रद्दकरण ।

46. (1) यदि कोई विशेष प्रवर्ग जलयान इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन नहीं करता तो राज्य सरकार ऐसे जलयान के स्वामी या प्रचालक या मास्टर या किसी भारसाधक व्यक्ति को ऐसे समय जो इसमें विनिर्दिष्ट

किया जाए, के भीतर अनुपालन न करने को सुधारने के लिए नोटिस जारी कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस के प्राप्त होने के पश्चात् भी विशेष प्रवर्ग जलयान के स्वामी या प्रचालक या मास्टर या किसी भारसाधक द्वारा अनुपालन न करना जारी रहने की दशा में राज्य सरकार की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और कारण अभिलिखित करके इस अध्याय के अधीन जारी किए गए उपयुक्तता प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द कर सकेगी ।

(3) यदि विशेष प्रवर्ग जलयान का उपयुक्तता प्रमाणपत्र को उपधारा (2) के अधीन निलंबित या रद्द किया जाता है तो ऐसा जलयान का प्रचालन निलंबन के वापस होने तक प्रविरत रहेगा या रद्दकरण की दशा में भी नया उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी होने तक प्रचालन प्रविरत रहेगा ।

अध्यान 8

नौपरिवहन सुरक्षा और संकेत

नौपरिवहन सुरक्षा, प्रकाश और संकेत ।

47. (1) ऐसे जलयान द्वारा अनुपालन किए जाने वाले संकेतों के विनिर्देश और अपेक्षाएं तथा वर्गीकरण के आधार पर उपस्कर और यंत्रचालित जलयान के प्रवर्ग ऐसे होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(2) कोहरा और संकटग्रस्त सिग्नल चलाने या प्रयुक्त करने में अभिचालन और चलत नियम अन्तर्देशीय जल में चलने वाले किसी यंत्रचालित जलयान द्वारा प्रकाश, आकार और संकेतों के विभिन्न मानको के प्रदर्शन और सुप्रदर्शन के लिए विभिन्न नवाचारों का अनुपालन ऐसे किया जाएगा जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(3) प्रत्येक यंत्रचालित जलयान का स्वामी या मास्टर जब अन्तर्देशीय जल सीमा में हो उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन करेगा और जो इस अध्याय या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रदर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं, उनके सिवाय किसी लाइट या आकार या कोहरे या संकटग्रस्त संकेतों का प्रयोग वहन या प्रदर्शन नहीं करेगा ।

सुरक्षित नौपरिवहन सुनिश्चित करने की बाध्यता ।

48. (1) प्रत्येक यंत्रचालित जलयान टकराव को रोकने के लिए आवश्यक उपाय ग्रहण करेगा और अन्तर्देशीय जल के माध्यम से सुरक्षित नौपरिवहन सुनिश्चित करेगा ।

(2) यदि किसी यंत्रचालित जलयान द्वारा इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन न करने के कारण अन्तर्देशीय जल सीमा में व्यक्ति या संपत्ति को कोई हानी होती है तो क्षति उस समय तक ऐसे जलयान के भारसाधक व्यक्ति के विलफुल व्यतिक्रम द्वारा की हुई समझी जाएगी जब तक न्यायालय को यह समाधान नहीं कर दिया जाता कि मामलें की परिस्थितियां ऐसी थी जिनमें लागू नियमों से विचलन आवश्यक था ।

संकटग्रस्त संकेत ।

49. यंत्रचालित जलयान का मास्टर जब अन्तर्देशीय जल सीमा में है, अन्तर्देशीय जलमार्ग में नौपरिवहन के लिए खतरनाक त्यक्त या कोई अन्य खतरा पाने या मिलने पर तत्काल खतरे या संकटग्रस्त के चिन्ह का संकेत या अन्य ऐसी सूचना पास में अन्य यंत्रचालित जलयान को या संबंधित राज्य सरकार को भेजेगा ।

परन्तु कोई फीस या भार किसी यंत्रचालित जलयान से इस धारा के अधीन

किसी सूचना को संसूचित करने के लिए किसी उपस्कर के प्रयोग करने में उद्ग्रहित नहीं किया जाएगा ।

संकटग्रस्त जलयान और संकटग्रस्त व्यक्ति को सहायता ।

50. (1) किसी यंत्रचालित जलयान का मास्टर जब अन्तर्देशीय जलसीमा में है जिसने अन्तर्देशीय जलसीमा के भीतर किसी जलयान या वायुयान से संकटग्रस्त कोई संकेत प्राप्त किया है, तो वह तत्काल संकटग्रस्त जलयान से ऐसे संकेत की प्राप्ति के ज्ञान द्वारा संकटग्रस्त व्यक्ति को सहायता देने के लिए कार्यवाही करेगा ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट होते हुए यंत्रचालित जलयान का मास्टर उक्त उपधारा में यथा उपबंधित सहायता पहुंचाने की बाध्यता से मुक्त हो जाएगा यदि वह ऐसा करने में असमर्थ है, या मामले की ऐसी विशेष परिस्थितियों में उक्त उपधारा मे यथा उपबंधित कार्य अनुउपयुक्त है, या यदि सहायता के लिए अपेक्षा अन्य जलयान द्वारा अनुपालित की जा रही है, या सहायता अधिक अपेक्षित नहीं है ।

(3) किसी यंत्रचालित जलयान का मास्टर जब अन्तर्देशीय जलसीमा में है तो प्रत्येक व्यक्ति को, जो अन्तर्देशीय जल में खो जाने के खतरे मे है, सहायता देगा ।

(4) किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का मास्टर उपधारा (3) के अनुपालन से प्रविरत रहेगा यदि उसका यह निर्णय है कि वह ऐसा करने में असमर्थ है या मामले की विशेष परिस्थिति ऐसी है जिसमें ऐसी सहायता उसके जलयान या बोर्ड पर व्यक्ति को गंभीर खतरे के बिना नहीं दी जा सकती है तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे अनुपालन न करने की अपनी अयोग्यता के संबंध में संबंधित प्राधिकारीयों को सूचित करेगा ।

जीवनरक्षक, अग्निसुरक्षा और संसूचना साधन ।

51. (1) केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा नौपरिवहन सहायता, जीवनरक्षक साधन, अग्निशमन और विद्यमान साधन और संसूचना संसाधनों सहित यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के वर्ग और प्रवर्ग विनिर्दिष्ट करेगी ।

(2) सभी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी, प्रचालक या मास्टर उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट नौपरिवहन सहायता, जीवनरक्षक साधन, अग्निशमन और विद्मान साधनों और संसूचना साधनों की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी ।

(3) राज्य सरकार, निरीक्षण करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट लागू होने वाले अपेक्षाओं का पालन करेंगे, पर्यवेक्षक के रूप में ऐसे अधिकारी नियुक्त या प्राधिकृत कर सकेगी ।

(4) यदि पर्यवेक्षक निरीक्षण करने पर यह पाता है कि यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान इस अधिनियमों के उपबंधों के अनुरूप जीवनरक्षक और अग्निसाधनों से इस प्रकार उपबंध नहीं है तो वह कमी को लिखित में उल्लिखित करते हुए मास्टर या स्वामी या प्रचालक को एक नोटिस जारी करेगा और जब तक मास्टर या स्वामी या प्रचालक उक्त नोटिस का अनुपालन और रिपोर्ट पर्यवेक्षक को नहीं करते तब तक उक्त जलयान कोई जलयात्रा संचालित नहीं करेगा ।

अध्याय 9

अन्तर्देशीय जलयान द्वारा होने वाले प्रदूषण का निवारण

रसायनिक आदि का प्रदूषक के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाना ।

52. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा रसायनों की सूची बंकर या स्थोरा के रूप में ले जाए जाने वाले अवयवों या पदार्थों या किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान से किसी रूप में छोडे गए किसी पदार्थ को प्रदूषक के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी ।

(2) किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी या मास्टर, ऐसे मानक और रीति के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, मल और कूड़े-कचरे को उन्मोचित या निपटान करेगा ।

(3) कोई यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्रदूषकों का उन्मोचन या पाठन द्वारा प्रदूषण कारित नहीं करेगा :

परन्तु इस उपधारा में किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान की सुरक्षा सुनिश्यिचत करने, किसी अन्य यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान को होने वाले नुकसानी को कम करने के लिए स्थोरा या अन्तदेर्शीय जल में जीवन की सुरक्षा के प्रयोजन के लिए यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान से यथास्थिति, ऐसे तेल या तेलीय मिश्रण या परिसंकटमय रसायनिक या हानिकारक पदार्थ या किसी अन्य प्रदूषणकारी तत्व के पाटन निस्सारण या उत्सर्जन को लागू नहीं होगी ।

प्रदूषण निवारण का प्रमाणपत्र ।

53. (1) केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के विनिर्माण और उपस्कर के मानक विनिर्दिष्ट करेगी ।

(2) राज्य सरकार, सभी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के विनिर्माण संस्थापन और उपस्कर के रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अधिकारी नियुक्त या प्राधिकृत करेगी और इस अध्याय के उपबंधों के अनुपालन में प्रदूषण को रोकने के लिए प्रमाणपत्र जारी करेगी ।

(3) प्रत्येक यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान जो इस अध्याय के अनुपालन में विनिर्मित या सुसज्जित किया गया है, को प्रदूषण को रोकने का प्रमाणपत्र ऐसे प्रारूप में, विधिमान्यता और अन्तर्वस्तु जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए के साथ जारी किया जाएगा ।

(4) प्रत्येक यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान प्रदूषण को रोकने के विधिमान्य प्रमाणपत्र को बोर्ड पर जारी रखेगा और इस अध्याय के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किए गए संबंधित अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर उसे प्रस्तुत करेगा ।

ग्रहण सुविधाएं और प्रदूषण सरोधन ।

54. (1) केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा प्रदूषण के सरोधन के लिए ग्रहण सुविधाओं के विनिर्माण, उपयोग और रख-रखाव के लिए शर्तें विनिर्दिष्ट करेगी और बिखराव से होने वाले या सभी स्थोरा टर्मिनल या यात्री टर्मिनल पर यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान से निस्सारण होने वाले प्रदूषक को दूर करेगी ।

(2) सभी स्थोरा टर्मिनलों या यात्री टर्मिनलों के स्वामी या प्रचालक उपधारा (1) के अनुपालन में यथास्थिति, ऐसे स्थोरा या यात्री टर्मिनल पर तेल, तेलीय मिश्रण, परिसंकटमय रसायन, मल या हानिकारक तत्व के निस्सारण के लिए ग्रहण सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे ।

(3) सभी स्थोरा टर्मिनलों या यात्री टर्मिनलों के स्वामी या प्रचालक ग्रहण सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए, ऐसी दर पर जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, भार ग्रहण करेंगे ।

(4) पहले से ही किए गए प्रदूषण को कम करने के प्रयोजन के लिए या प्रदूषण के आसन्न भय का निवारण करने के लिए केन्द्रीय सरकार या ऐसा अन्य अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो लिखित आदेश द्वारा स्थोरा या यात्री टर्मिनल के स्वामी या प्रचालक को निदेश कर सकेंगे की ऐसे आदेश में यथाविनिर्दिष्ट

ऐसे स्थोरा और यात्री टर्मिनलों पर ऐसे प्रदूषण, सरोधन, उपस्कर और प्रदूषण को दूर करने वाली सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए उपबंध या व्यवस्था करे ।

(5) यात्री या स्थोरा टर्मिनल के स्वामी या प्रचालक अनुपालन किए जाने की एक रिपोर्ट ऐसे प्रारूप में जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अन्य अधिकारी जो उपधारा (4) के अधीन नियुक्त किया गया हो, को देंगे ।

(6) अन्तर्देशीय जल के भीतर उपयोग किए जाने वाले या चलने वाले किसी यंत्रचालित जलयान का स्वामी, प्रचालक या मास्टर ऐसी रीति में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ग्रहण सुविधाएं पोर्ट पर प्रदूषक का निस्सारण करेगी ।

निरीक्षण करने के लिए पर्यवेक्षक या अधिकारी की नियुक्ति ।

55. (1) राज्य सरकार, उससे संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले किसी स्थोरा या यात्री टर्मिनल के लिए पर्यवेक्षक के रूप में ऐसे अधिकारी नियुक्त या प्राधिकृत कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत पर्यवेक्षक—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए इस अध्याय के उपबंधों का अनुपालन किया गया है ;

(ख) यह सत्यापित करने के लिए कि क्या ऐसे स्थोरा या यात्री टर्मिनल राज्य सरकार के आदेश या इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप प्रदूषण सरोधन और निष्कासन के लिए सुसज्जित है ; और

(ग) प्रदूषण के निवारण के लिए उठाए गए कदमों की पर्याप्तता से स्वयं का समाधान करने के लिए किसी भी युक्तियुक्त समय पर किसी स्थोरा या यात्री टर्मिनल में प्रवेश और निरीक्षण कर सकेगा ।

(3) यदि पर्यवेक्षक निरीक्षण करने पर यह पाता है की स्थोरा या यात्री टर्मिनल में अपेक्षित प्रदूषण, सरोधन, उपस्कर और प्रदूषक दूर करने वाली सामग्री का उपबंध नहीं किया गया है, तो वह ऐसी कमियों जिनकी निरीक्षण के दौरान पहचान की गयी हैं, और उन्हें को दूर करने के लिए, सिफारिश किए गए सुधारात्मक उपायों को उल्लिखित करते हुए ऐसे स्थोरा या यात्री टर्मिनल के यथास्थिति, स्वामी या प्रचालक को लिखित में एक नोटिस देगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन नोटिस की तामील किए गए ऐसे स्थोरा या यात्री टर्मिनल का यथास्थिति, स्वामी या प्रचालक ऐसे स्थोरा या यात्री टर्मिनल पर किसी कार्य को आगे नहीं बढाएगा जब तक कि वह पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित कोई ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर लेता है कि इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूपत: स्थोरा या यात्री टर्मिनल में अपेक्षित प्रदूषण, सरोधन, उपस्कर और प्रदूषक दूर करने वाली सामग्री का उपबंध किया गया है ।

प्रदूषण की घटनाओं में अन्वेषण ।

56. (1) राज्य सरकार, प्रदूषण की घटनाओं में अन्वेषण का संचालन करने के लिए अध्याय 13 के अधीन किसी पदाभिहित प्राधिकारी या नियुक्त किए गए अन्य ऐसे प्राधिकृत अधिकारी को निर्देशित करेगी ।

(2) राज्य सरकार, प्रदूषण की घटनाओं पर जो उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर हुई है और यदि संबंधित ऐसे न्यायालय द्वारा निर्देशित की गई हो तो न्यायालय की ऐसी सूचना या रिपोर्ट से केन्द्रीय सरकार को अद्यतन करेगी ।

अध्याय 10

ध्वंसावशेष और कबाड

आशयपूर्वक ध्वंसावशेष करने के विरुद्ध प्रतिषेद्ध ।

57. अन्तर्देशीय जल में चलने वाले जलयान का स्वामी, प्रचालक, मास्टर या भारसाधक व्यक्ति जलयान या संपत्ति या उसका भाग या स्थोरा जो ध्वंसावशेष के रूप में है, पर से आशयपूर्वक परित्याग, अभित्याग, नहीं करेगा या गिराएगा या फेकेंगा नहीं ।

ध्वंसावशेष का प्रापक ।

58. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी अधिकारी को ध्वंसावशेष के प्रापक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कर सकेगी ।

(2) जलयान, संपत्ति या स्थोरा जो ध्वंसावशेष, उत्कूलित या संकटग्रस्त है, का स्वामी, प्रचालक, मास्टर या भारसाधक व्यक्ति या जो अन्तर्देशीय जल में कोई जलयान संपत्ति या स्थोरा, ध्वंसावशेष उत्कूलित या संकटग्रस्त वस्तु पाता है तो वह संसूचना के सभी संसाधानो का प्रयोग करते हुए तत्काल सूचना ध्वंसावशेष के प्रापक को जिसके अधिकार क्षेत्र में ध्वंसावशेष, उत्कूलित या संकटग्रस्त होने वाले जलयान, संपत्ति या स्थोरा पाया गया है ।

(3) ध्वंसावशेष का स्वामी जिसकी संपत्ति या स्थोरा अन्तर्देशीय जल में ध्वंसावशेष, उत्कूलित या संकटग्रस्त हो गई है तो उसके पाये जाने पर और चिन्ह जिसके द्वारा ऐसे ध्वंसावशेष की पहचान की जा सके की लिखित में सूचना ध्वंसावशेष के प्रापक को देगा और ऐसी दशा में जहां ध्वंसावशेष जलयान, संपत्ति या स्थोरा के स्वामी, प्रचालक, मास्टर या भारसाधक व्यक्ति के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है तो ऐसा व्यक्ति ध्वंसावशेष के प्रापक को ऐसे ध्वंसावशेष सौंपेगा ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजन के लिए "व्यक्ति" पद का वही अर्थ होगा जो साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 के खंड (42) में है । 1897 का 10

अध्याय 10 के लिए नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

59. इस अध्याय के प्रयोजन के लिए,—

(क) ध्वंसावशेष के प्रापक की शक्तियां और कृत्य ;

(ख) ध्वंसावशेष के संबंध में जलयान, संपत्ति या स्थोरा के स्वामी, प्रचालक, मास्टर या भारसाधक व्यक्ति का उत्तरदायित्व और बाध्यता ;

(ग) नौपरिवहन की बाधाओं को दूर करने के लिए ग्रहण किए गए उपाय ;

(घ) ध्वंसावशेष का निपटान जिसके अंतर्गत उसका विक्रय और विक्रय न की गई संपत्ति की प्रक्रिया भी है ;

(ङ) ध्वंसावशेष, सरकारी मूरिंग के संरक्षण को अंगीकार करने के लिए उपाय ;

(च) उबारक के अधिकार और कर्तव्य और कबाड प्रचालन का संपादन करना या उबारक को संदाय की जाने वाली धनराशि से संबंधित विवादो का समाधान करना ;

(छ) अन्य ऐसे मामले जिन्हें केन्द्रीय सरकार प्रभावी प्रशासन और ध्वंसावशेषों को हटाने के लिए आवश्यक समझे ऐसे होंगे जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

अध्याय 11

उत्तरदायित्व और उत्तरदायित्व की परिसीमा

अधिनियम के अधीन उत्तरदायित्व ।

60. (1) स्वामी, संचालक, मास्टर किसी कर्मीदल का सदस्य या कोई बीमाकर्ता इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधो के अपराधों और उल्लंघनों के लिए दायी होगा ।

(2) जहां किसी भी व्यक्ति को बंधक के माध्यम से या किसी अन्य व्यक्ति के स्वामी के रूप में पंजीकृत किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान में हिस्सेदारी के बजाय लाभप्रद रूप में अभिरूचि है, वह व्यक्ति जो बहुत रूचि रखता है और रजिस्ट्रीकृत स्वामी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान या उसमें हिस्सेदारी पर इस अधिनियम या कोई अन्य अधिनियम द्वारा सभी शक्तियों को अधिरोपित किए जाने का दायी होगा ।

हानि का प्रभाजन ।

61. (1) जहां कहीं दो या अधिक यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान द्वारा त्रुटि से, क्षति या हानि उनमें से एक या एक से अधिक या उनमें से एक या एक से अधिक स्थोरा या उनमे से एक या अधिक बोर्ड पर किसी संपत्ति के कारण होता है, तो माल का क्षति या हानि का उत्तरदायित्व उस डिग्री के अनुपात में होगा जैसी कि ऐसे जलयान की त्रुटि थी :

परन्तु,—

(क) यदि, मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए त्रुटि की विभिन्न डिग्रियों को स्थापित करना संभव नही है तो उत्तरदायित्व को समान रूप से प्रभाजित किया जाएगा ;

(ख) इस धारा की कोई बात किसी भी हानि या क्षति के लिए जिसमें ऐसे जलयान का योगदान न हो किसी संचालित जलयान को उत्तरदायी नहीं ठहराएगी ;

(ग) इस धारा की कोई बात किसी संविदा के अधीन किसी व्यक्ति के उत्तरदायी को प्रभावित नही करेगी या तत्समय प्रवृत्त, किसी संविदा या किसी विधि के उपबंधों द्वारा जिसमें उसको छूट प्राप्त हो से किसी व्यक्ति पर कोई उत्तरदायी अधिरोपित करने का अर्थ नही लगाया जाएगा या ऐसी विधि द्वारा इस रीति में उपलब्ध उसकी उत्तरदायित्व की सीमा किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी ।

(2) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान की किसी त्रुटि द्वारा क्षति या हानि होने के कारण के संदर्भ में यह अर्थ नही लगाया जाएगा कि तत्समय प्रवृत्त उस त्रुटि के परिणामस्वरूप, किसी भी कबाड़ या अन्य खर्चों के संदर्भ मे नुकसान के तरीको से वसूलनीय होगी ।

(3) वह व्यक्ति जो क्षति या घायल होने से पीड़ित है या उसका प्रतिनिधि, जलयान को रोके, रखने या कुर्की के लिए, दावे पर समुचित अधिकार क्षेत्र रखने वाले किसी भी न्यायालय को आवेदन कर सकेगा ।

निजी चोट, जीवन की हानि या पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायित्व ।

62. (1) जहां, जीवन की हानि या निजी चोट हुई है वहां किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान या किसी अन्य जलयान पर किसी व्यक्ति द्वारा संपत्ति का नुकसान या प्रदूषण ऐसे जलयान और किसी अन्य जलयान या जलयानों की त्रुटि के कारण होती है तो ऐसे संबंधित जलयानों के स्वामियों का उत्तरदायित्व संयुक्त और पृथक-पृथक होगा ।

(2) जीवन की हानि, निजी चोट या प्रदूषण को छोड़ कर किसी दावे के लिए इस अध्याय के अधीन स्वामी, प्रचालक, मास्टर या कर्मीदल का सदस्य या बीमाकर्ता उत्तरदायी नही है, यदि वह दावे के कारणों को साबित कर देता है कि—

(क) युध्द, शत्रुता, गृह युध्द, विद्रोह या कोई असाधारण प्राकृतिक घटना, अपरिहार्य और अनुठे चरित्र के कार्य के परिणामस्वरूप हुआ था ; या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी क्षति उसके इरादे के कारण सहित कार्य या लोप द्वारा हुआ था ;

(ग) राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण की लापरवाही या अन्य दोषपूर्ण कार्य के कारण उसकी ओर से उसके लिए गए कृत्यों में बिजली का रख-रखाव या अन्य नौपरिवहन सहायक सामग्री के लिए जिम्मेदार था ।

यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का निरोध ।

63. किसी दावे के संबंध में किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के निरोध या इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, इस अध्याय के अधीन किसी अधिकारी को नियुक्त या प्राधिकृत कर सकेगी और उसकी प्रक्रिया ऐसी होगी जो उस सरकार द्वारा विहित की गई हो ।

उत्तरदायित्व की परिसीमा ।

64. (1) किसी यंत्रचालित जलयान का स्वामी, प्रचालक, मास्टर या जलयान का कोई प्रभारी व्यक्ति या कर्मीदल का सदस्य अपने उत्तरदायित्व की परिसीमा को सीमित कर सकेगा :—

(क) जीवन की हानि या निजी चोट या हानि या सम्पति की क्षति जिसमे जेटी की क्षति, घाट, बन्दगाह बेसिन और जलमार्ग और नौपरिवहन सहायक सामग्री जो बोर्ड पर है या ऐसे जलयानों के संचालन का सीधा संबंध या कबाड़ के संचालन सहित और जिसके परिणामस्वरूप नुकसान हुआ हो, के संबंध में दावे ;

(ख) स्थोरा और यात्रियों की गाड़ी या अन्तर्देशीय जल से उनके सामान में देरी के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान के दावे ;

(ग) इस तरह के जलयान के संचालन या बचाव कार्यों के साथ सीधे संबंध में होने वाले अनुबंध अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारों के अतिलंघन के परिणामस्वरूप होने वाले अन्य नुकसान से उत्पन्न होने वाले दावे ;

(घ) किसी जलयान या स्थोरा के हानि रहित उठाने, हटाने, नष्ट करने, डूब जाने, मलबे, फंसे या तोड़ देने से उत्पन्न होने वाले नुकसान के संबंध में दावे ;

(ङ) ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए उपायों के संबंध में, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए उपायों द्वारा नुकसान को कम करने के लिए और इस तरह के उपाय के कारण होने वाले नुकसान के बारे में किसी व्यक्ति के दावे ;

(च) किसी भी व्यक्ति की ओर से लाए गए ऐसे जलयान के यात्रियों की जान की हानि या व्यक्तिगत चोट के नुकसान के लिए दावा—

(i) यात्री गाड़ी की संविदा के अधीन ; या

(ii) जो, वाहक की अनुमति से, जीवित जानवरों जो जलयान के साथ है जो कि माल गाड़ी के लिए संविदा द्वारा कवर किया गया हो, ऐसे जलयान में ले जाया जाता है ।

(2) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, कोई व्यक्ति—

(क) कबाड़ के दावे के लिए ; या

(ख) भारत में कोई अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन उत्तरदायित्व की परिसीमा के आवेदन से निर्धारित छूट के दावे के लिए उसकी दायित्व की सीमा का हकदार नही होगा ।

(3) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, उत्तरदायित्व की परिसीमा को अवलंब लेने का कार्य रक्षा लेने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा उत्तरदायित्व ग्रहण के गठन के रूप में नही माना जाएगा ।

(4) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी या संचालक का उत्तरदायित्व ऐसे जलयानों के विरुद्ध लाई गई कार्यवाही में उत्तरदायित्व को सम्मिलित किया जाएगा ।

(5) उपधारा (1) के अधीन यथा उपबंधित किसी दावे के लिए प्रतिपूर्ति निर्धारित करने में उत्तरदायित्व की सीमा और मानदंड केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जा सकेंगे ।

(6) उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायित्व सीमा का हकदार व्यक्ति इस अध्याय के अधीन यथा उपबंधित समेकित दर के लिए परिसीमा निधि के गठन के लिए संबंधित अधिकारिता के उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकेगा ।

(7) जहां कोई जलयान या अन्य संपत्ति किसी दावे के संबंध में विरोध किया गया है, इस अध्याय के अधीन कवर किया गया है, तो उच्च न्यायालय, व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी आवेदन पर, जो कि उसकी उत्तरदायित्व की सीमा का हकदार है, ऐसे जलयान या अन्य संपत्ति को छोड़ने का आदेश दे सकेगा और, यथास्थिति,—

(क) ऐसा व्यक्ति, जो परिसीमा निधि का गठन करने का हकदार है, उच्च न्यायालय की अधिकारिता में व्यक्तिगत उपस्थित होने को सुनिश्चित करेगा ; या

(ख) प्रतिभूति के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित पर्याप्त निधि या वित्तीय गारंटी के रूप में जमा करेगा ; या

(ग) परिसीमा निधि का गठन करेगा ।

परिसीमा का लागू न होना ।

65. कोई व्यक्ति किसी दावे के विरुद्ध उत्तरदायित्व सीमा का हकदार नहीं होगा, यदि ऐसा दावा व्यक्ति या उसके कर्मचारी द्वारा किसी इरादे से या लापरवाही से किए गए कार्य के कारण उत्पन्न हुआ है, नहीं तो वे इस अध्याय के अधीन उसकी उत्तरदायित्व सीमा का हकदार हो सकेगा ।

अध्याय 12

अन्तर्देशीय जल में चलने वाले यंत्रचालित जलयानों का बीमा

बीमा कवर ।

66. किसी का अन्तर्देशीय जल में यात्रा के लिए तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक—

(क) बीमा पालिसी प्रवृत्त न हो, जिसके अंतर्गत ऐसा दायित्व आएगा, जो बीमाकृत द्वारा निम्नलिखित के लिए उपगत किया जाए—

(i) यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के उपयोग द्वारा या उससे उदभूत किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसको कोई शारीरिक अपहानि या संपत्ति को क्षति ;

(ii) अन्तर्देशीय जल में प्रचालन प्रदूषण और दुर्घटनावश प्रदूषण के संबंध में ;

1991 का 6

(ख) लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की अनुपालना में बीमा पालिसी, यदि यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान द्वारा खतरनाक या परिसंकटमय माल का वहन किया जाता है या करना आशयित है ;

(ग) निम्नलिखित को कवर करने के लिए यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के लिए बीमा पालिसी—

(i) उपगत दायित्व से अन्यून मूल्य ; या

(ii) इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित दायित्व की परिसीमा को कवर करने के लिए विनिर्दिष्ट और लागू परिसीमा रकम का हकदार बनाने के लिए पालिसी :

परंतु प्रवृत्त परिसीमा दायित्व से अन्यून मूल्य के लिए इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व जारी कोई बीमा पालिसी ऐसे प्रारंभ होने के पश्चात् बारह मास की अवधि के लिए या ऐसी पालिसी के समाप्त होने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, प्रभावी रहेगी ।

संविदात्मक दायित्व के अधीन न आना ।

67. इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी पालिसी से बीमाकृत के किसी संविदात्मक दायित्व, जो सेवा प्रदात्ता की क्षमता में किसी संविदा या करार का पालन करने या अननुपालन करने से उदभूत होता है, को कवर करने की अपेक्षा नहीं होगी ।

बीमा और बीमा पालिसी के निबंधन ।

68. (1) धारा 66 के प्रयोजनों के लिए जारी की गई बीमा पालिसी, ऐसी पालिसी होगी, जो—

(क) किसी प्राधिकृत बीमाकर्ता द्वारा जारी की जाती है ;

(ख) पालिसी में निर्दिष्ट किसी यांत्रिक रूप से चालित अन्तर्देशीय जलयान, व्यक्ति या व्यक्तियों के किन्हीं वर्गों का धारा 66 में विनिर्दिष्ट सीमा तक बीमा करती है ; और

(ग) वह बीमाकर्ता द्वारा बीमाकृत को ऐसे प्ररूप में और ऐसी अंतर्वस्तु का और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, बीमा का प्रमाणपत्र है ।

(2) धारा 66 में यथा उपबंधित जोखिम को कवर करने के लिए बीमाकर्ता और बीमाकृत के बीच हुई बीमा संविदा में शामिल किए जाने वाले निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

बीमाकर्ता के विरद्ध क्षतिपूर्ति करने और कार्रवाई का निदेश देने का कर्तव्य ।

69. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन बीमा पालिसी जारी करने वाला बीमाकर्ता पालिसी में यथाविनिर्दिष्ट बीमाकृत या किसी व्यक्ति को किसी दायित्व के संबंध में, जिसको बीमाकृत या उस व्यक्ति की दशा में कवर करने के लिए पालिसी तात्पर्य है, क्षतिपूर्ति करने के लिए दायी होगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी नुकसान या क्षति के लिए प्रतिकर का कोई दावा रजिस्ट्रीकृत स्वामी द्वारा उपगत दायित्व के संबंध में सीधे बीमाकर्ता के विरुद्ध लाया जा सकता है ।

कतिपय मामलों में मृत्यु का प्रभाव ।

1925 का 39

70. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 306 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति की, जिसके पक्ष में बीमा प्रमाणपत्र जारी किया गया है, किसी घटना के होने के पश्चात् मृत्यु होती है, जो इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी दावे को जन्म देती है, उसकी संपदा के विरुद्ध या बीमाकर्ता के विरुद्ध उक्त घटना से उदभूत किसी कार्रवाई पर कोई वर्जन नहीं होगा ।

बीमा प्रमाणपत्र का प्रभाव ।

71. जब किसी बीमाकर्ता ने किसी बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति के बीच बीमा संविदा के संबंध में बीमा प्रमाणपत्र जारी किया है, तब,—

(क) यदि और जब तक प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी बीमाकर्ता द्वारा बीमाकृत को जारी नहीं की गई है, बीमाकर्ता स्वयं और सिवाय बीमाकृत के, किसी अन्य व्यक्ति के बीच, बीमाकृत व्यक्ति को सभी परिप्रेक्ष्यों में, जिनका उक्त प्रमाणपत्र में विवरण और विशिष्टियों का कथन किया गया है, के संबंध में पुष्टि करते हुए बीमाकृत व्यक्ति को जारी पालिसी समझा जाएगा ; और

(ख) यदि बीमाकर्ता ने प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी बीमाकृत व्यक्ति को जारी की है किंतु पालिसी के वास्तविक निबंधन या तो प्रत्यक्षत: या बीमाकृत के माध्यम से पालिसी के अधीन या उसके द्वारा दावा करने वाले व्यक्ति के लिए कम फायदाप्रद है तब प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी की विशिष्टियां बीमाकर्ता और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, सिवाय बीमाकृत व्यक्ति के ऐसे निबंधन समझे जाएंगे, जो सभी दृष्टि से उक्त प्रमाणपत्र में कथित विशिष्टियों का अनुपालन करते हैं ।

बीमा प्रमाणपत्र का अंतरण ।

72. जहां कोई व्यक्ति जिसके पक्ष में इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार बीमा प्रमाणपत्र जारी किया गया है, वह दूसरे व्यक्ति को अंतरण करता है तो इस अध्याय के अधीन आने वाले यंत्रचालित जलयान का स्वामित्व जिसके संबंध में ऐसा बीमा उससे संबंधित बीमे की पालिसी के साथ लिया गया था । बीमा प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसको यंत्रचालित जलयान अंतरित किया गया है, अंतरण की तारीख से, अंतरित की हुई समझी जाएगी ।

स्पष्टीकरण—संदेह को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा समझा गया अंतरण जिसके अंतर्गत अंतरण के अधिकार और उक्त बीमा प्रमाणपत्र और बीमे की पालिसी के अधीन आने वाले उत्तरदायित्व भी है ।

अध्याय 12 के लिए नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

73. केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा बीमाकर्ताओं और बीमाधारकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले निबंधन, शर्तें और प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगी जिसके अंतर्गत :—

(क) बीमे का कवर नोट और उसकी विधिमान्यता ;

(ख) पोलिसीधारक के अधिकार और कर्तव्य ;

(ग) प्रक्रिया और प्रसंस्करण जिसके अंतर्गत दावों की प्रक्रिया भी है ;

(घ) निर्णयों और पंचाटो की सुरक्षा के लिए बीमाकर्ता के कर्तव्य और बाध्यताएं ;

(ङ) दावाकर्ताओं के अधिकार, विशेष परिस्थितियां, जिसमे पोलिसीधारक दिवालियां हो जाता है, में पोलिसीधारक और बीमाकर्ताओं के उत्तरदायित्व और पालन की जाने वाली प्रक्रियाएं ;

(च) बीमाकर्ता और पोलिसीधारक व्यक्तियों के बीच समझौते के लिए प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण और न्यूनतम शर्तों के निबंधन ;

(छ) बीमा प्रमाणपत्र अंतरण करने में पालन की जाने वाली प्रक्रियाएं ;

(ज) इस अध्याय के प्रभावी अनुपालन और प्रशासन के प्रयोजन के लिए यंत्रचालित जलयान के बीमे से संबंधित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ऐसे अन्य मामले ।

अध्याय 13

अपघटन, दुर्घटना या नष्ट पोत की जांच

अपघटन, दुर्घटना, नष्ट पोत आदि की रिपोर्ट देना ।

74. (1) राज्य सरकार इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अभिहित प्राधिकारी अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकेगा ।

(2) यंत्र चालित अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी, प्रचालक, मास्टर ऐसे किसी जलयान में या पर, जब वह अन्तर्देशीय जल में है, किसी नष्ट होने, परित्याग, नुकसानी, अपघटन, दुर्घटना, विस्फोट या हानि होने की सूचना, निकटतम थाने के भारसाधक अधिकारी और उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अभिहित प्राधिकारी को, ऐसे प्ररूप औररीति में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(3) अभिहित प्राधिकारी तुरंत जिला मजिस्ट्रेट को उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना के सारांश की रिपोर्ट देगा ।

1974 का 2

(4) पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी, उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति पर मामलें का अन्वेषण करेगा और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 12 के उपबंधों के अनुसार अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(5) न्यायिक मजिस्ट्रेट उपधारा (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर अध्याय 16 के उपबंधों के अनुसार कारवाई कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करना ।

75. (1) अभिहित प्राधिकारी धारा 74 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना के अनुसरण में एक प्रारंभिक जांच संचालित कर सकेगा और उसकी एक रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा जो उसे संबंधित राज्य सरकार को भेजेगा ।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि आवश्यक समझे, इस रिपोर्ट को अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को निदेश कर सकेगा और अधिकारिता रखने वाली पुलिस के माध्यम से धारा 74 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उसकी प्रति भेज सकेगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां और अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जांच में उसके द्वारा अनुसरण की जाने वाली ऐसी प्रक्रियाएं होगी जो ऐसा राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

असेसर ।

76. (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार असेसरों की नियुक्ति कर सकेगी और उनकी एक सूची बनाए रख सकेगा जो समय समय पर पुनरीक्षित की जा सके ।

(2) राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियम द्वारा असेसरों के लिए अर्हताएं, मानदंड विचार, फीस या प्रभारों को विनिर्दिष्ट करेगी जो समुद्रीय जानकार हैं और वणिक सेवा या यंत्र चालित जलयान अन्तर्देशीय नौपरिवहन में और अनुभव

रखतें हों और असेसर के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त हों ।

(3) जिला मजिस्ट्रेट इस अध्याय के अधीन जांच में सहायता के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा उसको उपबंधित असेसरों की सूची से कोई असेसरों की संख्या में नियुक्त कर सकेगा ।

(4) प्रत्येक जांच में, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट एक से भिन्न जिला मजिस्ट्रेट, यदि ठीक समझे, किसी व्यक्ति को ऐसी जांच के प्रयोजनों के लिए असेसर को नियुक्त कर सकेगा ।

(5) इस धारा के अधीन असेसर के रूप में प्रत्येक व्यक्ति जांच में जिला मजिस्ट्रेट की सहायता करेगा और उसकी राय परिदान जिससे पता लग सके, जिसे कार्यवाहियों में लेखबद्ध किया जाएगा ।

राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट अधिसूचित किया जाना ।

77. (1) इस अध्याय के अधीन प्रत्येक जांच के मामले में जिला मजिस्ट्रेट निष्कर्षों की पूर्ण रिपोर्ट बनाएगा वह लेखबद्ध साक्ष्य के साथ पहुंच हो और किसी असेसर की लिखित राय हो ।

(2) राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट से उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस राज्य में राजपत्र की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित होने पर करवाएगा ।

जांच के लिए अनुवर्ती जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां ।

78. (1) अध्याय 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इंजीनियर या मास्टर कर्मीदल प्रदान की गई सेवा का प्रमाण पत्र या सक्षमता का प्रमाणपत्र के रद्दकरण या निलंबन या अधिहरण के लिए उसकी रिपोर्ट में जांच के पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश कर सकेगा, यदि मजिस्ट्रेट पाता है कि—

(क) हानि, दबाव या उसके द्वारा परित्यक्त या यंत्रचालित जलयान अन्तर्देशीय जलयान या जीवन की हानि सहित दुर्घटना या अपघात ऐसे मास्टर या इंजीनियर संदोष कार्य या व्यतिक्रम द्वारा कारित किया गया है ;

(ख) ऐसा मास्टर या इंजीनियर जो सक्षम है या कोई घोर मतता, निरकुशंता या अन्य कदाचार या टक्कर के मामले में ऐसी सहायता देने के लिए असफल हो चुका है या इस सूचना या नोटिस देना या अधिनियम के अधीन अपेक्षा की जा सके ।

(2) जांच के निष्कर्ष पर तत्पश्चात यथा संभव हो जिला मजिस्ट्रेट खुली बैठक में रद्दकरण या निलंबन या किसी सक्षमता का प्रमाणपत्र का अधिहरण और यदि निलंबन आदेश किया गया है जिसके लिए निलंबन किया गया है उसके बारे में कथन देगा ।

(3) इस धारा के उपबंधों में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिला मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश भी बनाएगा और मामले की लागतों के विषय में ऐसी सुरक्षा अपेक्षा होगी जो ठीक समझे और मामले की परिस्थतियों में आवश्यक हो ।

निलंबन रद्द और अधिहरण को राज्य सरकार की शक्ति ।

79. (1) राज्य सरकार, अध्याय 6 के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र या सेवा प्रमाणपत्र मंजूर किया गया था जिसकी अधिकारिता में रद्द या किसी ऐसा प्रमाणपत्र की निलबंन या जलयान की दशा में राज्य अन्य राज्य सरकार की अधिकारिता में पाया गया था, राज्य सरकार अभिहरण कर सकेगा, प्रमाणपत्र यदि—

(क) इस अध्याय के अधीन की गई जांच पर, जिला मजिस्ट्रेट धारा 78 के अधीन उस प्रमाणपत्र को रद्दकरण या निलंबन या अधिहरण के लिए रिपोर्ट देगा ; या

(ख) ऐसा प्रमाणपत्र का धारक किसी गैर जमानतीय अपराध सिद्धदोष को साबित किया गया है ;

(ग) ऐसा प्रमाणपत्र का धारक उसके जलयान को परित्यकत के लिए साबित किया गया है या स्वयं बिना छुट्टी के और अपनी ड्यूटी से जलयान बिना पर्याप्त कारण से प्रविरत किया है ;

(घ) सक्षमता या सेवा का प्रमाणपत्र द्वारा यथा उपबंधित किसी मनोनीति धारक व्यक्ति के मामले में राज्य सरकार की राय में यथा स्थिति मनोनीत हो गया है ।

(2) इस अध्याय के अधीन प्रत्येक व्यक्ति जिसका सक्षमता प्रमाणपत्र या सेवा प्रमाणपत्र निलंबित रद्द किया गया है, ऐसे व्यक्ति को परिदान होगा कि जो राज्य सरकार जिसने निलंबित या इसे रद्द किया गया है, निदेश दे सकेगी ।

(3) अध्याय 6 के अधीन मंजूर किया गया सक्षमता प्रमाणपत्र या सेवा प्रमाणपत्र यदि राज्य सरकार रद्द करती है निलंबन करती है, अधिहरण करती है कार्रवाई करती है, और अधिहरण और निलंबन रद्दीकरण को राज्य सरकार को रिपोर्टिंग किया जाएगा जिसे मूलरूप से जारी किया है, मंजूर किया गया है ऐसे प्रमाणपत्रों को पृष्ठांकित किया गया है ।

(4) राज्य सरकार किसी समय पर निलंबन या रद्दीकरण या अभिहरण प्रतिसंहरण के किसी आदेश, जिसे उसने इस अध्याय के अधीन किया हो को वापस ले सकेगी या किसी व्यक्ति को, जिसे प्रमाणपत्र उसके इस प्रकार रद्द किया गया है, के उन कारणों के लिए ेजो लेखबद्ध किए जाए एक नया प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगा । प्रदत्त किए गए नए प्रमाणपत्र का वहीं प्रभाव होगा जो परीक्षा के पश्चात् अधिनियम के अधीन किए गए सक्षमता प्रमाण पुस्तक होता है ।

अध्याय 14

व्यापार परिपाटी का विनियमन

प्रदाताओं की सेवा और उपयोक्ताओं के हितों का संरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्तियां ।

80. केन्द्रीय सरकार, प्रदाताओं की सेवा, हित सुरक्षा के लिए न्यूनतम मानकों, निबंधनों और शर्तों की विहित कर सके और ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके ।

प्रतिषिद्ध माल और खतरनाक माल ।

81. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना दवारा खतरनाक माल की सूची ऐसी घोषणा के अधीन क्रियान्वित करेगी, उसके द्वारा विहित जो हो सके और प्रतिषिध माल जो अन्तर्देशीय जलों में चलाते समय यंत्रचालित अन्तर्देशीय जल यान के किसी वर्ग या प्रवर्ग पर पहुंचने से प्रतिषिद्ध किया गया है ।

जलयान व्यापार अनुज्ञा और विदेशी जलयानों को प्रमाणपत्रों का पृष्ठांकन ।

82. (1) भारत से भिन्न किसी देश में रजिस्ट्रीकृत जलयान माल वाहन, यात्रियों के परिवहन भंडारण इकाइयां पलवित इकाइयों के प्रयोजनों के लिए या अन्तर्देशीय जलों के भीतर ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग या नियोजित होने के लिए अनुज्ञा नहीं होगी, जब तक उसके उपयोग नियोजन ऐसे प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुज्ञा को ऐसा जलयान सुरक्षित हो जाता हो :

परंतु जहां केन्द्रीय सरकार ने प्रवेश किया है या उस सरकार की दशा में अन्तर्देशीय नौपरिवहन के लिए संबंधों में द्विदेशीय मल्टीलेटिर में प्रवेश होता है ताकि भारत में अन्तर्देशीय जलों के भीतर चलने को विदेशी देशों के लिए उससे संबंधित

जलयान के लिए प्रदान किया गया है, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार भारत में सेवा प्रादातों के वही शर्तों से संबंधित ऐसे जलयानो को अधिरोपित करेगी या लागू करेगी ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, इस अधिनियम के अधीन अध्याय 4 या अध्याय 5 और अध्याय 6 में यथा उपबंधित तत्स्थानी उस देश में तत्समय प्रवृत किसी विधि के उपबंधों के अनुसार अन्य बाहरी देश द्वारा कोई प्रमाणपत्र मंजूर किया गया है केन्द्रीय सरकार ऐसी फीस संदाय पर जो विहित की जा सके, अधिनियम के अधीन वही प्रमाणपत्र उसके द्वारा पृष्ठांकित किया गया है—

(क) भारत में कोई राज्य ; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन समान मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी राज्य सरकार ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों के अधीन और साधारण या विशेष अनुमोदन के साथ किया है ।

(3) साधारण या विशेष अनुमोदन उपधारा (2) में यथा उपबंधित ऐसे प्रमाणपत्र के पृष्ठांकन पर, यह ऐसी अवधि के लिए प्रभावी होगा और केन्द्रीय सरकार ऐसी सीमा तक विहित कर सके और अधिनियम के अधीन यिद मंजूर किया गया हो जैसेकि माना जाएगा ठीक समझे के अधीन मंजूरी की गई थी ।

अध्याय 15

पोत संचालन, जलयान, अवरोधन और विकास निधि

पोत संचालन ।

83. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित अन्तर्देशीय जलमार्ग को संपूर्ण या भाग में जलपोत संचालन की अपेक्षा को विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) राज्य सरकार, संपूर्ण या भाग या अन्तर्देशीय जल मार्गों या याना में अभिहित किसी खंड में पोत संचालन विनिर्दिष्ट कर सके जो ऐसी सरकारें अपने-अपने राज्यक्षेत्र के भीतर आता है और जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है ।

1908 की धारा 15 के अधीन पायलट समझे गए प्रमाणित मास्टर ।

84. धारा 83 के उपबंधों के अधीन यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान प्रत्येक मास्टर जो हो इस अधिनियम के अधीन प्रमाणपत्र मंजूर किया गया है और प्रवृत्त में इन पत्तनों को जिसे भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 31 को पत्तनों में बढ़ाया गया है, उस धारा के प्रयोजनों के लिए समझा गया है, यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान जो होने पर पायलट प्रभारी है, वह करेगा ।

जलयान अवरोधन और समपहरण ।

85. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन कोई प्राधिकृत अधिकारी अवरोध समपहरण या अन्तर्देशीय जलमार्ग से हटा सकेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित है, यदि पाया जाता है—

(क) चलाना या रजिस्ट्रीकरण का विधिमान्य प्रमाणपत्र बिना अन्तर्देशीय जलों में उपयोग ;

(ख) सर्वेक्षण के विधिमान्य प्रमाणपत्र के बिना चलाना ;

(ग) क्षमता वहन अनुज्ञात के अधिक यात्रियों के साथ चलाना ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित ऐसे जलयानों को समनुदेशित रजिस्ट्रीकरण संख्या लगाया नहीं गया है ;

(ङ) अध्याय 6 के अधीन काम लगाना के साथ अननुपालन करना ;

(च) अध्याय 8 के उपबंधों को उल्लंघन में कार्य अननुपालन करना ;

(छ) अध्याय 10 के उपबंधों को उल्लंघन में कार्य करना ;

(ज) अध्याय 12 के उपबंधों के साथ अनुपालन ना करना ;

(झ) धारा 81 या उसके अधीन बने गए नियमों में उपबंधों को उल्लंघन में खतरनाक माल या प्रतिषेध माल वहन करना ;

(2) स्वामी, प्रचालन या अवरोधन के अधीन जलयान के लिए उत्तरदायी के रूप में मान्यता प्राप्त ऐसा व्यक्ति सुरक्षा की अभिरक्षा और अवरुद्ध या समपहरण के लिए फीस और प्रभारों को अपने-अपने उपयोज्य को संदाय देगा जिसे यदि संदत्त नहीं किया गया है, इस अधिनियम के उपबंधों के साथ पालन करने के लिए ऐसा जलयान अन्तर्देशीय पर सृजित करेगा ।

(3) यह अधिनियम और इसके अधीन बने गए तद्धीन के साथ पालन करने पर और गलतियों को सुधारने के पश्चात् जो अवरुद्ध के लिए अग्रता करता है, राज्य सरकार, अयुक्तियुक्त् विलंब, जलयान छोड़ने और स्वामी, प्रचालक या इस अधिनियम के अधीन जलयान के लिए उत्तरदायी के रूप को मान्यता प्राप्त ऐसा कोई व्यक्ति होगा ।

(4) इस अधिनियम में सर्वत्र विशेष रूप से उपबंधित जब तक न हो, अवरुद्ध, औपचारिकता फीस और अनुसरित होने पर उसके लिए प्रक्रियाएं और संबंद्ध प्राधिकारी या न्यायालय नियुक्त किया गया या जलयान अवरुद्ध, के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकृत संप्रेषण कर सके, राज्य सरकार द्वारा विहित कर सके ।

(5) किसी जलयान में प्रवेश के लिए इस प्रकार प्राधिकृत की अवरुद्ध या समपहरण के आदेश को प्रवृत्त कराने के प्रयोजनों के लिए अधिनियम या भारत में प्रवृत्त ऐसी अन्य विधि के अधीन प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को अपना सहायता के लिए बुला सकेगा ।

विकास निधि का गठन ।

86. (1) विकास निधि कहने को राज्य सरकार द्वारा निधि गठित करेगी, उपयोगिता उसके लिए,—

(क) आपात की तैयारियों से पूरा करना ;

(ख) परिरक्षण और सरंक्षण अन्तर्देशी जल के लिए तेल, मिश्रण, हानिकर पदार्थ अन्य और अनिष्टकारक और हानिकारक निर्वहन द्वारा कारित प्रदूषण परिरोधन पूरा करना ;

(ग) स्वामियों या व्यापार क्रियाकलापों में अंतर्वलित आर्थिक रूप से पिछड़ा सेक्टर के व्ययों का भाग या संपूर्ण समर्थन देना और अन्तर्देशी जल पर अकेला निर्भर की जीविका ;

(घ) नष्टपोत बाधा प्रभावित करने में बिना पहचाने का हटाना और नौपरवहन में बाधा डालना ; और

(ङ) सुरक्षा और प्रवहरण का वाहन के बारे में अन्तर्देशी जल नौपरिवहन के विकास का कार्य को संवर्धन करना ;

(2) उपधारा (1) के अधीन विकास निधि का गठन प्रयोजन के लिए योगदान परिकल्पित स्कीमों को प्रयास किया जाएगा—

(क) राज्य सरकार ;

(ख) पणधारकों ;

(ग) उपगत व्ययों की कटौती के पश्चात् उसके नष्टपोत या स्थोरा शेष रहित के क्रय से संग्रहीत रकम ;

(घ) जलयानों या न्यायालय या प्रशासनिक मशीनरी की क्षतियों या कृत्यकारी को पूरा करने के लिए जलयान या संपत्ति या न्यायालय के विरुद्ध लगाने के उपगत व्ययों को पूरा करने के पश्चात् स्थोरा न्यायिक विक्रय से अधिक निधि ; और

(ङ) इस अध्याय में यथा उपबंधित राज्य सरकार द्वारा अपने भाग या संग्रहीत फीस का आनुपातिक संवितरण ।

अध्याय 16

अपराध और शास्तियां

अपराध और शास्तियां ।

87. (1) जो भी इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उपधारा (2) में उपबंधित सारणी के चौथे स्तंभ में यथा उल्लंघित शास्ति के साथ दंडनीय होगा ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अपराधों का वर्गीकरण और तत्स्थानी शास्तियां निम्नलिखित उपबंध के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा	अपराध	शास्ति
(1)	(2)	(3)
8	धारा 8 के उल्लंघन में यंत्र चालित अन्तर्देशी जलयान का कोई स्वामी प्रचालक या सन्निर्माण प्रांगण, उल्लघंन दोषी पाया गया, प्रत्यवर्तन परिवर्तन ।	प्रत्येक पाया गया अननुपालन के लिए जुर्माना जिसे दस हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकेगा ।
14(1)	धारा 14 की उपधारा (1) के उल्लंघन में सर्वेक्षण का विधिमान्य प्रमाणपत्र के बिना स्वामी प्रचालक या यंत्र चालित अन्तर्देशी जलयान का मास्टर ने किया है ।	पहले अपराध के लिए दस हजार रूपए तक जुर्माना बढ़ाया जा सकेगा और पश्चातवर्ती अपराधों के लिए पच्चीस हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकेगा ।
18(1)	धारा 18 की उपधारा (1) के उल्लंघन में और रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र विधिमान्य के बिना किसी सेवा के लिए स्वामी, प्रचालक या कोई जलयान पर कार्यवाही यंत्र चालित अन्तर्देशी जलयान किसी का मास्टर या यंत्र चालित अन्तर्देशी जलयान का उपयोग जिसमें रजिस्ट्रीकृत की अपेक्षा है ।	पहले अपराध के लिए दस हजार रूपए तक जुर्माना बढ़ाया जा सकेगा और पश्चातवर्ती अपराधों के लिए पचास हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकेगा ।
19(1)	धारा 19 की उपधारा (1) के उल्लंघन में स्वामी या मास्टर जिसने रजिस्ट्रीकृत का विधिमान्य प्रमाणपत्र वहन नहीं करता है या निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं किया है ।	प्रत्येक अननुपालन आधारित आधार के लिए जुर्माना दस हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकेगा ।

(1)	(2)	(3)
24(3)	धारा 24 की उपधारा (3) के उल्लंघन में जलयान के स्पष्ट भाग पर शासकीय संख्या प्रदर्शन पर कार्य नहीं किया है ।	जुर्माना जिसे दस हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकेगा ।
27	धारा 27 के उल्लंघन में स्वामी प्रचालक या कोई व्यक्ति जो जलयान संक्रिया के लिए कोई व्यक्ति उत्तरदायी है ।	पहले अपराध के लिए दस हजार रूपए तक जुर्माने के लिए बढ़ाया जा सकेगा और पश्चातवर्ती अपराधों के लिए पच्चीस हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकेगा ।
28(2)	स्वामी, प्रचालक या कोई यंत्र चालित अन्तर्देशी जलयान का मास्टर प्रत्यावर्तन के ब्यौरे रजिस्टर नही किया है जो धारा 28 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत के लिए अधिदिष्ट में है ।	पहले अपराधों के लिए दस हजार रूपए तक जुर्माना बढ़ाया जा सकेगा और तत्पश्चात् अपराध के लिए पच्चीस हजार रूपए तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।
29	स्वामी या यंत्र चालित अन्तर्देशी जलयान का प्रचालक जो धारा 29 के उल्लंघन में अपेक्षाओं या अनुपालन या कार्य नहीं किया है ।	अननुपालन के प्रत्येक दिन के लिए जुर्माना जो पांच सौ रूपए तक बढ़ाया जा सकेगा ।
30	कोई यंत्र चालित अन्तर्देशी जलयान का कोई स्वामी जिसने धारा 31(1) में कार्य किया है ।	प्रतिदिन दस हजार रूपए तक जुर्माना बढ़ाया जा सकेगा या एक वर्ष का कारावास, एक वर्ष या दोनो को बढ़ाया जा सकेगा ।
32(1)	यंत्र चालित अन्तर्देशी जलयान का कोई स्वामी जिसने धारा 32 की उपधारा (2) के उल्लंघन में कार्य किया है ।	अननुपालन के प्रत्येक दिन के लिए जुर्माना जो पांच हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकेगा ।
34(2)	स्वामी या प्रचालक जो कोई जलयान पर अठारह वर्ष भी आयु से अल्पव्यस्क के व्यक्तियों से नियोजित है, धारा 35 की उपधारा (2) के उल्लंघन में कार्य किया है ।	प्रत्येक दिन अननुपालन के लिए जुर्मान जिसे पांच हजार तक बढ़ाया जा सकेगा या छह माह अवधि का कारावास से बढ़ाया जा सकेगा या दोनो ।
35	यंत्र चालित अन्तर्देशी जलयान या कोई स्वामी या प्रचालक न्यूनतम पैमाने का आदमी लगाने पर अनुपालन कर्ता के बिना जिसने धारा 35 का उल्लंघन में कार्य किया है ।	पहले अपराध के लिए जुर्माना दस हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकेगा और तत्पश्चात् अपराधों के लिए पच्चीस हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकेगा ।

(1)	(2)	(3)
40(1) और (4)	सक्षमता का प्रमाणपत्र के धारकों ने अधिनियम के उपबंधों के लिए उल्लंघन में कार्य किया है या निलंबित या रद्द प्रमाणपत्रों के गैर अनुवर्तन के अधीन जारी किया गया परिवर्ती प्रमाणपत्र अभ्यर्थित नहीं किया है ।	प्रतिदिन पांच हजार रूपए तक जुर्माना या कारावास या दोनों छह मास तक बढ़ाया जा सकेगा ।
44	स्वामी या प्रचालक या विशेष प्रवर्ग के प्रचालन के लिए कोई उत्तरदायी व्यक्ति जिसने अध्याय 7 के उपबंधों के अनुपालन नहीं किया गया है ।	प्रत्येक दिन अननुपालन के लिए जुर्माने जिसे दस हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकेगा या छह मास तक कारावास या दोनो को बढ़ाया जा सकेगा ।
47	इस अधिनियम के अधीन स्वामी या यंत्र चालित जलयान का कोई मास्टर रजिस्ट्रीकृत या मान्यताप्राप्त या पहचान की गई है, अध्याय 8 के अधीन विनिर्दिष्ट रोशनियों और सिगनलों रोशनी में प्रदर्श जलयानों के उपस्कर के लिए नहीं है ।	पहले अपराध के लिए जुर्माना जिसे दस हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकेगा और तत्पश्चात् अपराधों के लिए पच्चीस हजार तक बढ़ा सकेगा ।
48	स्वामी, प्रचालक या मास्टर सुरक्षा नौ परिवहन को सुनिश्चित नहीं किया है या विनियमनों के अननुपालन कारण से क्षति हुई है ।	जुर्माना जिसे पच्चीस हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकेगा ।
49 और 50(1)	स्वामी, प्रचालक या विपत्ति सिगनल के लिए उत्तर के पश्चात् सहायता देने के लिए कार्यवाही से प्रविरत अन्तर्देशी जलों के चलने यंत्रचिलत जलयान का कोई मास्टर ।	जुर्माना जिसे दस हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकेगा ।
51(2)	स्वामी, प्रचालक या धारा 51 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट के अनुसार नौ-परिवहन सध्यता, प्राण रक्षा साधित्रों, अग्नि का पता लगाना और बुझाने के साधित्र अपेक्षाओं के अनुसार बिना किसी जलमार्ग संचालन के लिए कार्यवाही का यंत्रचालित अन्तर्देशी का जलयान कोई मास्टर ।	जुर्माना जिसे पचास हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकेगा ।
52(2) और (3)	स्वामी, प्रचालक या अन्तर्देशी जलों में निर्वहन या प्रदूषण का द्वारा कारित प्रदूषण का यंत्रचालित जलयान का कोई मास्टर ।	जुर्माना जिसे पचास हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकेगा ।

(1)	(2)	(3)
53(4)	स्वामी, प्रचालक या यंत्र चालित जलयान का कोई मास्टर, जिसे इस अधिनियम के अधीन विधिमान्य प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र रखना आवश्यक हो, बिना उक्त विधिमान्य प्रमाणपत्र के जलयान को चलाता है या प्रयोग करता है ।	जुर्माना जिसे पच्चीस हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकेगा ।
54(2) और (5)	किसी स्वागत सुविधा का स्वामी या आपरेटर जो बताए गए मानकों और बाध्यताओं का अनुपालन नहीं करता ।	जुर्माने से जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।
55(4)	टर्मिनल का मालिक या आपरेटर जो धारा 55 की उपधारा (4) के अधीन जारी नोटिस का पालन किए बिना प्रवर्तित कराता है ।	नोटिस की अवधि से परे अपालन में जुर्माना जो दस हजार रूपए प्रतिदिन हो सकता है ।
57	कोई स्वामी या आपरेटर या कोई व्यक्ति जो साशय अंर्तदेशीय जल के भीतर पोत को नष्ट करता है ।	पचास हजार रूपए तक के जुर्माने से और कारावास में जो की तीन वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।
58(2)	कोई व्यक्ति जो धारा 58 की उपधारा (2) के उल्लंघन में अपराध कारित करने का दोषी है ।	जुर्माने से जो दस हजार रूपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा ।
66	कोई मालिक या मास्टर धारा 66 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट बिना विधिमान्य बीमा के यंत्र चालित अन्तर्देशीय जलयान को चलाता है ।	जुर्माने से जो कि दस हजार रूपए तक हो सकेगा और जलयान को बीमा प्रमाणपत्र प्राप्त होने तक रोक सकेगा ।
74(2)	यंत्र चालित अन्तर्देशीय जलयान के मालिक, आपरेटर या मास्टर जो धारा 74 की उपधारा (2) का पालन नहीं करते हैं ।	जुर्माने से जो दस हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।
79(2)	कोई व्यक्ति जो अध्याय 6 के अधीन जारी प्रमाणपत्र को धारण करता है और उसका अभ्यर्पण निलंबित या रद्द करवाने में असफल रहता है ।	जुर्माने से जो दस हजार रूपए तक का हो सकेगा प्रत्येक दिन के लिए जब तक वह समर्पण नहीं करता है ।
80	कोई व्यक्ति, सेवा प्रदाता या सेवा उपयोक्ता की हैसियत में हो, जो धारा 80 के उल्लंघन में कार्य किया हो ।	जुर्माने से जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(1)	(2)	(3)
82	किसी विदेशी जलयान का मास्टर या आपरेटर, धारा 82 की उपधारा (1) के उल्लंघन में कार्य किया हो ।	जुर्माने से जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा या कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या दोनो से दंडनीय होगा ।
83	यंत्र चालित अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी, आपरेटर या मास्टर जो धारा 83 के उल्लंघन में यान मार्गदर्शन की अपेक्षा का पालन न किया हो ।	जुर्माने से जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा या कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या दोनो से दंडनीय होगा ।
97	अन्तर्देशीय जलयान में नियोजित कोई व्यक्ति धारा 97 के अधीन यथा उपबंधित बाध्यताओं के उल्लंघन में जलयान की उपेक्षा या पदग्रहण करने से इंकार है या अभित्यजन करता है ।	समपहरण की राशि दो दिन के वेतन से अधिक नहीं होगी और प्रत्येक चौबीस घंटे की अनुपस्थिति में या छह महीने के वेतन से अनधिक की राशि या कोई उचित रूप से उसके प्रतिस्थानी को भाड़े पर लेने से उपगत व्यय, उसकी मजदूरी से काटा जाएगा और कारावास से जो दो महीने तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।
102	कोई व्यक्ति जो बाधा डालने का दोषी हो या धारा 102 के उल्लंघन में कार्य किया हो ।	जुर्माने से जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा या कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या दोनो से दंडनीय होगा ।

(3) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में कोई कार्य करता है, लेकिन वह अपराध इस अधिनियम में विनिर्दिष्टतः उपबंधित नहीं है, तो वह जुर्माने से जो तीन लाख रूपए से अधिक का नहीं होगा या कारावास से जो तीन वर्ष से अधिक का नहीं होगा या दोनो से दंडनीय होगा ।

(4) जहां कि अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयान का स्वामी या मास्टर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो जो उस यंत्रचालित जलयान के फलक या उसके संबंध में किया गया हो और जुर्माना देने के लिए दंडादिष्ट किया गया हो वहां वह मजिस्ट्रेट जिसने दंडादेश पारित किया है, निदेश दे सकेगा कि जुर्माने की रकम का उद्ग्रहण उस यंत्रचालित जलयान या उसके अनुलग्नक से उतने जितने कि आवश्यक हो करस्थम् और विक्रय द्वारा किया जाए ।

(5) जहां अन्तर्देशीय जलयान इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन में उपयोग किया गया है वहां अपराध का विवरण, अपराधी और जलयान, को केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप और तरीके से अभिलिखित किया जाएगा ।

(6) राज्य सरकार किसी व्यक्ति के विचारण के प्रयोजनो के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए आरोपित है, न्यायालय का गठन करेगी जिसमें मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से निम्नतर नहीं होगा ।

कंपनी, सीमित दायित्व वाली भागीदारी फर्म या इसी प्रकार के किसी ठहराव द्वारा अपराध ।

88. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कंपनी या सीमित दायित्व वाली भागीदारी फर्म या कोई ऐसे ठहराव द्वारा कारित किया जाता है, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के कारित होने के समय भारसाधक था और कंपनी या सीमित दायित्व वाली भागीदारी फर्म या ऐसा कोई ठहराव कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा, और कंपनी या सीमित दायित्व वाली भागीदारी फर्म या ऐसा कोई ठहराव इस अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा ।

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट किसी बात के न होते हुए भी ऐसा कोई व्यक्ति किसी दंड के लिए दायित्वाधीन होगा, यदि यह साबित हो जाता है कि ऐसा अपराध बिना इसके ज्ञान के कारित किया गया था या कि वह ऐसा पूरे सम्यक तत्परता से ऐसे अपराध के कारित होने से रोका था ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी या सीमित दायित्व वाली भागीदारी फर्म या ऐसा कोई अन्य ठहराव द्वारा कारित किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध सहमति से या मौनानुकूलता से कारित किया गया है या उसे किसी भाग की उपेक्षा द्वारा हुआ है, कोई निदेशक, प्रबंधक, सचिव या भागीदार या कंपनी का या सीमित दायित्व वाले भागेदारी फर्म का या किसी ठहराव का जैसी भी स्थिति हो, कोई अन्य अधिकारी इस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा ।

फीस, अतिरिक्त फीस का संदाय और संग्रह ।

89. (1) जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन उपबंधित सेवा के लिए फीस और अतिरिक्त फीस का संग्रह करेगी और शास्ति के लिए संदाय के विरुद्ध कोई अन्य भार या संदाय, ऐसी दर से और ऐसे अंतराल में होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित हो ।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करेगी या प्राधिकृत करेगी या ऐसे कार्यालयों का गठन करेगी, जो जिले या पत्तन के भीतर प्रेषण की निकटता और सुविधा पर विचार करते हुए एक बिंदु संग्रहण की तरह कार्य करे ।

(3) प्राप्ति की प्रक्रिया, प्ररूप और रूप विधान, लेखाओं के अनुरक्षण और कोई अन्य मामला जो कि धनीय प्रकृति की शास्ति के विरुद्द प्रेषण, सग्रंहण, लेखा और संगृहित फीस की जवाबदेही अतिरिक्त फीस, भार या संदाय के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है, ऐसी होगी जैसा कि राज्य सरकार द्वरा विहित हो ।

(4) मालिक, आपरेटर या उनके प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो, फीस या अतिरिक्त फीस को ऐसे तरीके और ऐसी दर से छूट देंगे जैसा कि राज्य सरकार

द्वारा विहित हो ।

(5) इस अधिनियम के अधीन देय सभी फीस इस अधिनियम के अधीन जुर्माने के रूप में वसूली जा सकेगी ।

अपराध का संज्ञान ।

90. इस प्रयोजन के लिए, कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि परिवाद, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित में नही किया जाता है ।

अध्याय 17

गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान

स्थानीय स्वशासन ।

91. (1) राज्य सरकार अपने किसी विभाग (जिसे इस अध्याय में प्राधिकृत विभाग कहा गया है) को इस अध्याय के उपबंधों को प्रशासन और कार्यान्वयन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी ।

(2) प्राधिकृत विभाग का कार्यालय ऐसे स्थान पर स्थित होगा जो कि मालिकों, गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के आपरेटरों और ऐसे जलयान के सेवा के उपभोक्ताओं की पहुंच में हो ।

(3) प्राधिकृत विभाग का कार्यालय शक्ति के पदानुक्रम के अनुसार जिला, तालुक और पंचायत या गांव स्तर या कोई अन्य अधिक्रम, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, होगा और सरकार द्वारा यथाविहित शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करेगा, जिसमें निम्नलिखित शक्तियां और कार्य शामिल होंगे—

(क) इस अध्याय के अधीन गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान को नामांकित करना ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्रविष्ट गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के संबंध में डाटा इकट्ठा करना और शक्ति के पदानुक्रम में उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करना ;

(ग) इस अध्याय के अधीन गठित कल्याणकारी निधि का प्रशासन ऐसे प्राधिकार और बाध्यता के अनुसार करना ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन प्रविष्ट गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के मालिकों, आपरेटरों या सेवा उपयोक्ता की सहायता के लिए जागरुकता कार्यक्रम की सूचना देना और संचालित करना ; और

(ङ) इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों द्वारा ऐसे कार्यों जो समनुदेशित किए जाएं का पालन करना ।

अभ्यावेशन की बाध्यता ।

92. (1) मालिक या आपरेटर, गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के स्वामित्व का विवरण प्रस्तुत करके, नामांकन कर सकते हैं, यह वचन देते हुए कि जलयान को केवल मानव श्रमिकों को नियोजित करके चलायमान रखा गया है और अन्य विवरण जो राज्य सरकार के प्राधिकृत कार्यालय द्वारा विहित किए जाएं जो कि इस प्ररूप और रीति से जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया गया है मालिक या गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के चलने के क्षेत्र के पास स्थित है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित प्ररूप यथास्थिति हिंदी या अंग्रेजी में अलग अपनी अपनी जनभाषा में प्रकाशित किया जाएगा ।

(3) गैर-यंत्रचलित अन्तर्देशीय जलयान के पहिचान और वर्गीकरण के प्रयोजनों

के लिए, उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार नामांकित किया जाएगा, राज्य सरकार वर्गीकरण के लिए ऐसे मानदंड प्रकाशित करेगी जो जलयान का आकार, नियोजन का प्रयोजन, आयु, सन्निर्माण, डिजाइन या ऐसी ही अन्य मानदंड अंतर्विष्ट हो सकेंगे ।

(4) गैर-यंत्रचलित अन्तर्देशीय जलयान का नामांकन इस अध्याय के अधीन लाभ और अधिमानी उपचार के लिए हकदार ऐसे जलयान के लिए पूर्वापेक्षा होगी ।

(5) नामांकित जलयानों का विवरण नामांकन की रजिस्ट्री में अभिलिखित किया जाएगा और निम्नतम अनुक्रम के शक्ति के कार्यालयों से उच्चतम अनुक्रम को रिपोर्ट करेगा और उक्त प्रयोजन के लिए नामांकित जलयानो की संग्रहित सूची, जिला मजिस्ट्रेट या नियुक्त ऐसे अधिकारी या इस अध्याय के अधीन प्राधिकृत के कार्यालय द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा ।

(6) राज्य सरकार गैर यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर नामांकित गैर यंत्रचालित जलयान के विवरणों को रिकार्ड करने के लिए ऐसे प्ररूप और रीति से जैसा कि इसके द्वारा विहित किया गया हो, केन्द्रीय डाटाबेस बनाएगी ।

(7) प्राधिकृत विभाग के कार्यालय के निम्नतम क्रम के अधिकारी द्वारा नामांकन के लिए बनाए गए किसी परिवर्तन को रिपोर्ट करेगी और उच्चर अधिक्रम क्रय के प्राधिकारी के ध्यान में लाएगी, और तदनुसार परिवर्तन किया जाएगा, प्रत्येक ऐसे रजिस्टर राज्य सरकार के प्रधान सचिव या सचिव द्वारा संबंधित प्राधिकारी सहित केन्द्रीय डाटाबेस द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा ।

जलयान के नामांकन और बनाने के लिए प्रमाणपत्र ।

93. (1) इस अध्याय के अधीन प्राधिकृत विभाग का नियुक्त अधिकारी या रजिस्ट्री को बनाए रखने के लिए प्राधिकृत अधिकारी, गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के नामांकन का प्रमाणपत्र जारी करेगा जो कि रजिस्ट्री के नामांकन में नामांकित है ।

(2) नामांकन का प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप और रीति में जारी किया जाएगा जैसा कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, और ऐसे प्रमाणपत्र में निम्नलिखित विवरण विनिर्दिष्ट होंगे—

(क) नाम, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी विशिष्ट पहचान दस्तावेज में दिया गया पता, निर्वाचन पहचान दस्तावेज या मालिक के ऐसे अन्य दस्तावेज जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया गया हो ;

(ख) निर्माण वर्ष, रखे गए पोत या ऐसी अन्य सूचना का विवरण ;

(ग) डिजाइन का विवरण, यदि इस अध्याय के अधीन परिलक्षित या वर्गीकृत किया गया हो ;

(घ) प्रमाणपत्र जारी करने वाले या मंजूर करने वाले अधिकारी का विवरण ; और

(ङ) जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा जलयान को दिया गया क्रमांक ।

(3) प्रत्येक राज्य में प्राधिकृत विभाग गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान अपने अधिकारिता के भीतर एक संख्या जारी करेगा, जो संबंधित राज्य के प्राधिकृत विभाग के साथ पहचान को नामांकित करने के प्रयोजनों के लिए विशिष्ट होगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन इस प्रकार से जारी संख्यांक गैर-यंत्रचालित

अन्तर्देशीय जलयान के सहजदृश्य भाग पर प्रदर्शित किया जाएगा, यह ऐसे प्ररूप और रीति से होगा जैसा कि संबन्धित राज्य सरकार द्‌वारा विहित किया जाए ।

सन्निर्माण और सुरक्षा के मानक ।

94. (1) किसी गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के सन्निर्माण के दौरान बुनियादी न्यूनतम मानक का अनुपालन युक्तियुक्त रूप से ऐसा होगा जैसा कि राज्य सरकार द्‌वारा विहित किया जाए ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार सन्निर्माण का मानक विनिर्दिष्ट करेगी, जो गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का कोई वर्ग या श्रेणी ऐसी रीति का अनुपालन करेगी जो इसके द्‌वारा विहित किया गया है ।

परंतु राज्य सरकार द्‌वारा विहित मानक परंपरागत ज्ञान और परिपाटी जैसा कि रुढ़िगत और पैतृक साधनों द्‌वारा प्रचलन में था, के साथ सामंजस्य में होगा जैसा कि गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के डिजाइन और सन्निर्माण में अंतर्वलित कुशल और प्रवीण व्यक्तियों द्‌वारा अनुप्रयुक्त किया गए थे ।

(3) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्‌वारा न्यूनतम सुरक्षा गियर और उपस्कर को विनिर्दिष्ट करेगी जो कि गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रयोजनक से सुसज्जित होगा ।

(4) राज्य सरकार गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के सुरक्षित संचालन के प्रयोजनों के लिए मरम्मत करने, उपांतरित करने, परिवर्तन करने या दुरुस्त करने के लिए मानक बनाएगी ।

(5) इस अधिनियम के अधीन नामांकित गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान इस अध्याय या इस संबंध में बने नियमों के अधीन बनाए गए सुरक्षा मानकों का पालन करेगी ।

(6) गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार अधिसूचना द्‌वारा अन्तर्देशीय जल के मार्गों, क्षेत्रों या खंडों को विनिर्दिष्ट करेगी जो इस तरह के गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के संचालन के लिए निबंधन और शर्तों के अधीन उपयोग के लिए निषिद्ध है ।

गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

95. (1) राज्य सरकार, इस निमित्त नियम बनाकर, गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान को विनियमित करने के लिए उपाय विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए नियमों को बना सकेगी, अर्थात् :—

(क) गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान द्‌वारा उत्पन्न प्रदूषण को रोकने और कम करने के लिए ;

(ख) सुरक्षित संचालन की बाधाओं को दूर करने के लिए ;

(ग) दुर्घटनाओं और हादसों को टालने के लिए उपाय ;

(घ) कोई अन्य उपाय जो राज्य सरकार इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए उचित समझती हो ।

कल्याण निधि का गठन ।

96. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्‌वारा इस अध्याय के अधीन गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान की सहायता के लिए ऐसे निधि के आबंटन हेतु जिला स्तर पर कल्याण निधि का गठन करेगी ।

(2) इस अध्याय के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किया गया कोई अधिकारी गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के लिए निधि का भारसाधक होगा, जो निधि के

उपयोग करने के उक्त प्रयोजन के लिए संबंधित राज्य सरकार या नियुक्त किए गए ऐसे अन्य प्राधिकारी को लिखित में पूर्व अनुमोदन देगा—

(क) सुरक्षित नौपरिवहन के लिए अपेक्षित सुधारों पर स्वामी, प्रचालक और सेवा प्रयोगकर्ता की शिक्षा के लिए चेतना का सृजन करने तथा ज्ञान प्रसार सत्र का आयोजन करना;

(ख) सहायता प्राप्त दर पर सुरक्षा और नौपरिवहन के लिए उपस्कर और डिवाइस का उपबंध करना;

(ग) आकस्मिकताओं, दुर्घटनाओं या ऐसे आपातकाल के दौरान सहायता या अनुतोष प्रदान करना; और

(घ) ऐसे अन्य प्रयोजन जो वह ठीक समझे ।

अध्याय 18

प्रकीर्ण

बिना छुट्टी के अभित्यजन और अनुपस्थिति ।

97. यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के बोर्ड पर किसी क्षमता में नियोजित या लगे हुए किसी व्यक्ति को—

(क) यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान में उसे पद ग्रहण करने के लिए या उसके जलयान में किसी जलयात्रा पर कार्रवाई करने के लिए बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उपेक्षित करेगा या मना करेगा;

(ख) बिना किसी छुट्टी और बिना किसी पर्याप्त कारण के किसी भी समय उसे ड्यूटी से या उसके जलयान से अनुपस्थित किए जाने के कारण देगा;

(ग) उसे यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान से अभित्यजन करना;

(घ) उसे ड्यूटी और आदेश से उचित अनुशासन के साथ कार्य या व्यवहार करने में विफल जाएगा ।

केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की साधारण शक्तियां ।

98. (1) केंद्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी—

(क) अन्तर्देशीय जलमार्गों के भीतर जलयान के विशेष प्रवर्ग के प्रयोग हेतु मानकों का क्रियान्वयन करना;

(ख) निम्न के लिए अपेक्षाओं और मानकों का उपबंध करना—

(i) नदी संबंधी सूचना सेवाएं;

(ii) जलयान ट्रैफिक और परिवहन प्रबंध, सुरक्षा और सूचना सेवाएं;

(iii) जलयान ट्रैकिंग और रास्ते की सूचना;

(iv) रास्ते की विपत्तियों और आगे की आपातकालीन तैयारी करना;

(v) किसी महामारी या सासंर्गिक प्रकृति की बीमारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए जलयान के रखरखाव और ऐसे अन्य उपाय को अंगीकार करना ;

(ग) प्रवर्तित मानकों से विरत रहने तथा अन्तर्देशीय जलमार्ग में उत्पन्न हुए प्रदूषण को नियंत्रित करना;

(घ) अन्तर्देशीय जलमार्ग में किसी रजिस्ट्रीकृत, मान्यता प्राप्त या पहचान योग्य जलयान के लिए तथा चलने या चलाए जाने के आशय से इस अधिनियम के किन्हीं या सभी उपबंधों के लागू होने से छूट, सम्मिलित करने या उनका विस्तार करना;

(ङ) अन्तर्देशीय जलयान के सुरक्षित नौपरिवहन, जीवन सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा निवारण करने के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के उचित क्रियान्वयन में कोई अन्य मामले जो वह ठीक समझे और आवश्यक हो ।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के प्रशासन के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अधिकारियों को प्राधिकृत या नियुक्त करेगी ।

आपातकालीन तैयारी ।

99. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, पर्याप्त उपाय करने के लिए अधिसूचना द्वारा सलाहकारी समिति या अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकृत कर सकेगी जो आपत्ति को कम करने या या अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(2) अन्तर्देशीय जल में चलने वाले अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी, प्रचालक, मास्टर, कर्मीदल या उससे संबंद्ध कोई व्यक्ति किसी संकट की परिस्थिति को प्राप्त करेगा या आंशका करेगा जो प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए पाया गया है या प्रत्याशित है ऐसे संकट पर संबंधित अधिकारिता या अधिकारिता रखते हुए उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए सलाहकारी समिति या ऐसे अन्य अधिकारियों को सूचित करने या रिपोर्ट करने पर अन्तर्देशीय जल की नौपरिवहन की सुरक्षा,मानव जीवन सुरक्षा या निवारण के लिए प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है या प्रतिकूल प्रभाव डालता है ।

(3) सलाहकारी समिति या ऐसे अधिकारी, जिन्हें उपधारा (2) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर उपधारा (1) के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किया गया हो, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उनके स्वयं के आशय पर निदेश किया गया हो, आपातकाल के रूप में संकट को रिकॉर्ड कर सकेगा तथा उपधारा (1) के अधीन यथाविहित ऐसे उपाय को अंगीकृत करेगा, और ऐसे अन्य उपाय जो साध्य हो और ऐसे आपात को कम करने या अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक निर्णय लेने में उत्तम हों ।

(4) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त की गई या प्राधिकृत की गई सलाहकार समिति या अधिकारी ऐसी सहायता के लिए जो वह आवश्यक समझे उपलब्ध किसी अन्तर्देशीय जलयान या नौसेना, तटरक्षक या किसी अन्य आपातबल से अनुरोध कर सकेंगे ।

(5) उपधारा (4) में यथाउल्लिखित सहायता देने में किसी गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान को कोई निदेश या स्वैच्छिक कार्य करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा बाध्य नहीं किया जाएगा ।

(6) सुरक्षित जीवन या जलयान या बुनियादी सुख-सुविधा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान द्वारा स्वैच्छिक रूप से कार्य करना यथासंभव लिखित में कार्य करने के लिए उपस्थिति और कारण संबंधी उपधारा (1) के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत की गई सलाहकार समिति या अधिकारियों को रिपोर्ट करेगा ।

(7) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए या प्राधिकृत सलाहकार समिति या अधिकारी को ऐसे आपात द्वारा प्रभावित व्यक्तियों या जलयानों के लिए सभी बुनियादी आवश्यक सुख-सुविधाएं और वे आवश्यकताएं जो वह ठीक समझें आहरित

की जाएगी ।

(8) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए या प्राधिकृत सलाहकारी समिति या अधिकारी, किसी घटना, उसके परिणाम का संपूर्ण विवरण तथा उपधारा (3) के अधीन अंगीकृत ऐसे उपाय और आपात को प्रभावी रूप देने में ऐसे उपायों को प्रभावी रूप देने के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को रिपोर्ट करेंगे ।

विधिपूर्ण रूप से बाधा का हटाया जाना ।

100. (1) यदि किसी अन्तर्देशीय जल के नौपरिवहन के लिए कोई बाधा या अड़चन को विधिपूर्ण रूप से दूर किया गया है या अन्यथा ऐसी बाधा या अड़चन के लंबे समय तक बने रहने के कारणों को विधिपूर्ण रूप से किया गया है, प्राधिकृत अधिकारी राज्य सरकार की मंजूरी के साथ राज्य सरकार को सूचना के लिए रिपोर्ट करेंगे और ऐसे हटाए जाने या परिवर्तन के द्वारा क्षति से प्रभावित व्यक्तियों के लिए उचित प्रतिकर देने के लिए हटाने या सावधान करने का कारण देंगे ।

(2) किसी विवाद के उत्पन्न होने या ऐसे प्रतिकर से वास्ता रखने वाले को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारेषण अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा । 2013 का 30

इस अधिनियम के सिवाय विधियों के अधीन जारी प्रमाणपत्रों की वैधता ।

101. (1) केंद्रीय सरकार द्वारा भारत में प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमन के अधीन किसी व्यक्ति या जलयान के संबंध में जारी किया गया प्रत्येक प्रमाणपत्र वैध होगा और इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्र के रूप में प्रभावी होगा और इस अधिनियम के सुसंगत उपबंध ऐसे व्यक्तियों या जलयान के संबंध में लागू होंगे जैसे वे किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू होते हैं जिसे अध्याय 6 के अधीन या इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत, मान्यताप्राप्त या पहचान योग्य किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान को प्रमाणपत्र जारी किया गया है ।

(2) इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन यथाउपबंधित प्रमाणपत्रों की मान्यता के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त शर्तें और अपेक्षाएं अधिरोपित कर सकेगी।

नियुक्त किए गए या प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा बाधा हटाना ।

102. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया कोई प्राधिकारी या अधिकारी संबंधित कृत्यों और ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के लिए, या इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित या उसके अधीन किसी कर्तव्य के निर्वहन में किसी व्यक्ति को प्रविरति, निरीक्षण को सुकर बनाने में असफल होने पर, किसी प्रवेश में अवरुद्ध करने या वास्तविक रूप से अवरोध करने पर अथवा किसी गतिविधि या किसी पुस्तक या अभिलेख को प्रस्तुत न करने पर जब उसे किसी ऐसे प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मांग किए जाने पर प्रस्तुत किया जाए बाधा उत्पन्न करने या बाधा डालने के प्रयास से जान-बूझकर नहीं हटाया जाएगा;

विचारण का स्थान ।

103. जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अतिलंघन करता है उस स्थान में अपराध के लिए विचारण किया जाएगा जहां पर वह पाया गया है या घटना के स्थान या उस राज्य के स्थान में जहां अपराध कारित किया गया हो या ऐसे स्थान में जिसमें यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस ओर से विनिर्दिष्ट या किसी अन्य स्थान पर जिसमें तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिती के अधीन विचारण किया जाएगा ।

अपराधों का शमन ।

1974 का 2 **104.** (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध जो केवल कारावास के साथ या कारावास और जुर्माने के साथ दंडनीय नहीं है, अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर या तो किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने से पूर्व या उसके पश्चात् सक्षम प्राधिकारी

द्वारा शमन किया जाए या सक्षम प्राधिकारिता के न्यायालय को निर्देशित किए गए किसी मामले के होने पर ऐसा अपराध ऐसे न्यायालय के परिसर में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशमित किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्देशित सक्षम प्राधिकारी समुचित सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन किसी अपराध के शमन करने की शक्ति का प्रयोग करेगा ।

(3) किसी अपराध के शमन करने के लिए प्रत्येक आवेदन उस रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए ।

(4) जहां किसी अपराध का किसी अभियोजन के संस्थान के समक्ष शमन किया जाता है ऐसे अपराधी के विरुद्ध जिसके संबंध में इस प्रकार शमन किया गया हो ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा ।

(5) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाता है, ऐसा शमन उस न्यायालय की जानकारी में जहां अभियोजन लंबित है और अपराध के शमन की ऐसी सूचना पर दिया गया हो लिखित में उपधारा (1) में निर्देशित सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाया जाएगा, उस व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर अपराध का इस प्रकार शमन का निर्वहन किया जाएगा ।

(6) ऐसा व्यक्ति जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुपालन में असफल होता है, ऐसे जुर्माने के अतिरिक्त अपराध के लिए अधिकतम जुर्माने के बीस प्रतिशत के समतुल्य संदाय किए जाने के लिए दायी होगा ।

(7) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का इस धारा की उपबंधों के अनुसरण में और उसके सिवाय शमन किया जाएगा ।

अपील ।

105. (1) इस अधिनियम में जब तक अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, इस अधिनियम के अधीन अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा किए गए किसी आदेश द्वारा पीड़ित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर इस अधिनियम के अधीन जारी ऐसे अन्य आदेश या उसे मना करने, निलंबन करने, रद्द करने, निरुद्ध करने, हटाए जाने के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकेगा ।

(2) राज्य सरकार संबद्ध अधिकारियों या प्राधिकारियों को दी गई ऐसी प्रत्येक अपील के लिए नोटिस कारित करेगी जिसका आदेश अपील के विषय के अधीन किया गया हो, और अपीलकर्ता को अवसर दिए जाने के पश्चात्; उसके कारणों को अभिलिखित करने के द्वारा समुचित आदेश पारित करेगी जो अंतिम होगा ।

नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति ।

106. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्यवित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित मामलों के सभी या किन्हीं के लिए उपबंध कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) धारा 3 के खंड (च) के अधीन डाटा को अभिलिखित करने और जलयान के ब्यौरे, जलयान का रजिस्ट्रीकरण, कर्मीदल, काम में लगाए जाने, जारी किए गए प्रमाणपत्र, ग्रहण सुविधाओं और अभिलिखित किए गए ऐसे अन्य

डाटा के लिए ई-पोर्टल पर रखरखाव किए जाने के लिए अभिलेख को केंद्रीयकृत करना;

(ख) धारा 3 के खंड (छ) के अधीन बीमा के प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए कवर नोट में विनिर्दिष्ट किए जाने के लिए अनुपालन हेतु अपेक्षाएं करना;

(ग) धारा 3 के खंड (न) के अधीन अधिकथित की जाने वाली प्रक्रिया और विनिर्दिष्ट की गई दरें जो विस्तार के दर की गणना कर सके जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन हकदार स्वामी या ऐसे अन्य व्यक्ति दायित्व को सीमित कर सकने या सीमा को अनुज्ञात करने या इस प्रकार दावों से उद्भूत दायित्व को ढक सकेगी ।

(घ) धारा 3 के खंड (य) के अधीन सुरक्षित काम में लगे हुए व्यक्तियों और जलयान के नौपरिवहन हेतु मानक और अपेक्षित व्यक्तियों की संख्या;

(ङ) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान की डिजाइन, संन्निर्माण, समर्थता और वर्गीकृत या प्रवर्गों के लिए कर्मीदल की वाससुविधा के ऐसे वर्गीकरण और मानकों के लिए वर्गीकरण और मानदंड ;

(च) धारा 8 के अधीन अभिहीत प्राधिकारी से डिजाइन के पूर्व अनुमोदन के साथ यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के किसी संन्निर्माण किए जाने की रीति और कोई परिवर्तन या उपांतरण;

(छ) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन सेवा में पहले से सेवा में हैं और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए सर्वेक्षण हेतु अनुरोध की रीति और विषय-वस्तु और उपधारा (2) के अधीन सभी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के लिए सर्वेक्षण के प्रकार और उसकी अवधि के लिए मानक जिनका नया संन्निर्माण किया गया है;

(ज) धारा 10 के अधीन सर्वेक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम मानदंड और अर्हताएं जिसे राज्य सरकारें सर्वेक्षकों की नियुक्ति के लिए अंगीकार कर सकेगी ।

(झ) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्वामियों, मास्टरों या संन्निर्माण यार्ड द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सर्वेक्षण कराए जाने हेतु आवेदन की रीति;

(ञ) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के सर्वेक्षण की घोषणा की रीति और विषय-वस्तु और समयावधि जिसके लिए ऐसा प्रमाणपत्र वैध होगा;

(ट) धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन सर्वेक्षण के प्रमाणपत्र का प्ररूप जिसके अंतर्गत किन्हीं विशिष्टियां या सेवा और शर्तें हैं ;

(ठ) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन सर्वेक्षण के अनंतिम प्रमाणपत्र का प्ररूप और वैधता की अवधि;

(ड) धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन भारत के सिवाय देशों की ऐसी विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान को अनुज्ञात करने के लिए पालन की जाने वाली सेवा और शर्तें; जिसे केवल अन्तर्देशील जल के भीतर चलाने की अनुज्ञा प्रदान की जाएगी ।

(ढ) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन यथाउपबंधित प्ररूप, विषय-वस्तु या रजिस्ट्री की पुस्तक की विशिष्टियां ;

(ण) धारा 22 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों द्वारा अन्तर्देशीय जलयान हेतु केंद्रीय डाटा बेस के रखरखाव के लिए प्ररूप और रीति;

(त) धारा 22 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों द्वारा पूरा किए जाने वाले कृत्य ;

(थ) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने का प्ररूप और रीति तथा किए जाने वाले ऐसे आवेदन के साथ संलग्न विशिष्टियां ;

(द) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले या पेश किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची;

(ध) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का प्ररूप और विषय-वस्तु;

(न) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप और फीस रजिस्ट्रीकरण के अनंतिम प्रमाणपत्र के जारी करने की रीति ;

(प) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रक्रियाएं जिसे रजिस्ट्री के स्थानांतरण की अपेक्षा या रजिस्ट्रीकृत पते के परिवर्तन के लिए किसी ऐसी परिस्थितियों के लिए स्वामी प्रविरत हो या लागू हो ।

(फ) धारा 30 के अधीन यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान की भारत से भारत के बाहर स्थानांतरण की वैधता प्रदान करने के लिए प्रक्रिया;

(ब) वह समय जिसके भीतर यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी उस स्थान पर अन्तर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करेगा जहां ऐसा जलयान रजिस्ट्रीकृत है, यदि ऐसा जलयान खो गया, विनष्ट हो गया, विलुप्त या परित्यक्त घोषित किया गया है या सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य बना दिया गया हो या स्क्रैप किए जाने या खोल देने या बाहर विक्रय किए जाने के लिए नियत किया गया हो;

(भ) धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन उधार या अन्य मूल्यवान प्रतिफल हेतु बंधक के लिए प्रतिभूति के लिखत का प्ररूप;

(म) धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन बंधक को शासित करने वाली रीति और शर्तें और उसकी प्रक्रियाएं ;

(य) धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन अर्हता, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान, परीक्षा और सक्षमता प्रमाणपत्र देने के लिए मानक ;

(यक) धारा 35 के अधीन इस अधिनियम या भारत में तत्समय प्रवृत्त ऐसी अन्य विधियों के अधीन प्रवर्गीकृत यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयानों के विभिन्न वर्ग या प्रवर्ग के लिए लागू किए जाने वाले न्यूनतम काम में लाने वाले मापन;

(यख) धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन परीक्षकों की नियुक्ति के लिए मानदंड और अर्हताएं;

(यग) धारा 37 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट सक्षमता प्रमाणपत्र का प्ररूप, विषय-वस्तु और विशिष्टियां;

(यघ) धारा 38 की उपधारा (1) द्वारा जारी सेवा के प्रमाण्पत्र की वैधता की अवधि;

(यङ) धारा 38 की उपधारा (4) के अधीन सेवा के प्रमाणपत्र का प्ररूप और वे शर्तें जिसके अधीन ऐसा प्रमाणपत्र जारी किया गया है;

(यच) धारा 39 के अधीन ऐसी शर्तें जिसके अधीन सक्षमता का प्रमाणपत्र सर्वत्र भारत में वैध होगा;

(यछ) धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे अंतराल और रीति जिसमें राज्य सरकार रिपोर्ट करेगी और डाटा पर जानकारी के साथ संबंधित प्राधिकारी द्वारा किए गए या जारी किए गए, मंजूर किए गए रद्द किए गए या निरस्त किए गए या ऐसी अन्य टिप्पणियों के प्रमाणपत्रों के ब्यौरे को केंद्रीय सरकार अद्यतन करेगी;

(यज) धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के किसी वर्ग या प्रवर्ग की पहचान के लिए मानदंड और मानक जो उनके डिजाइन, संन्निर्माण, प्रयोग, प्रयोजन, चलाने के क्षेत्र, ऊर्जा या इंधन के स्रोत या कोई अन्य मानदंड हो;

(यझ) धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन इस अधिनियम में अन्यत्र अंतर्विष्ट उनके सिवाय संन्निर्माण, डिजाइन, सर्वेक्षण, रजिस्ट्रेशन, काम पर लगाने, अर्हता, सक्षमता या अपेक्षाएं हैं ;

(यञ) धारा 47 की उपधारा (1) के अधीन ऐसे जलयानों द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के वर्गीकरण और प्रवर्गीकरण पर आधारित उपस्कर और सिगनल के विनिर्देश और अपेक्षाएं ;

(यट) धारा 47 की उपधारा (2) के अधीन अन्तर्देशीय जल में चलने वाले किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान द्वारा प्रकाश, आकार और सिगनल के विभिन्न मानकों के प्रदर्शन तथा संप्रर्दशन के लिए विभिन्न प्रोटोकालों और उसके अनुपालन के लिए अभिचालन और चलन नियमों के प्रयोग तथा चलाए जाने वाला धुआं और संकटग्रस्त सिगनल ;

(यठ) धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन नौपरिवहन सहायकों, जीवन सुरक्षा साधनों, अग्नि अवरोध और निर्वापित साधन तथा संसूचना साधनों के साथ उपस्करित किए जाने वाले यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के वर्ग या प्रवर्ग;

(यड) धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी या मास्टर द्वारा अपनाए जाने वाले मानक तथा गंदे पानी या कूड़े के बाहर निकालने या निपटान किए जाने की रीति;

(यढ) धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन अध्याय 9 के उपबंधों की अपेक्षा के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के संन्निर्माण के मानक और उपस्कर;

(यण) धारा 53 की उपधारा (3) के अधीन प्रदूषण प्रमाणपत्र के निवारण का प्ररूप, वैधता और विषय-वस्तु ;

(यत) धारा 54 की उपधारा (1) के अधीन सभी कार्गो टर्मिनल या यात्री टर्मिनल पर किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान से गिराए जाने या निकाले जाने से उत्पन्न प्रदूषक को हटाने तथा प्रदूषण के संरोधन के लिए संन्निर्माण के लिए शर्तें, ग्रहण सुविधाओं का प्रयोग और रखरखाव;

(यथ) धारा 59 के खंड (क) से (छ) में यथाविनिर्दिष्ट अध्याय 10 के प्रयोजन;

(यद) धारा 64 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी दावे के लिए अवधारित प्रतिकर में दायित्व की सीमा और मानदंड;

(यध) धारा 68 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन सुनिश्चित किए जाने के लिए बीमाधारक द्वारा जारी किए गए बीमा के प्रमाणपत्र जिसके अधीन प्ररूप, विषय-वस्तु और शर्तें हैं;

(यन) धारा 68 की उपधारा (2) के अधीन धारा 66 में यथाउपबंधित जोखिम को कवर करने के लिए बीमाकर्ता और बीमाकृत के मध्य किए जाने वाले बीमा की संविदा में संयोजित किए जाने के लिए सेवा और शर्तें;

(यप) धारा 73 के अधीन बीमाकर्ता और बीमाकृत के बीच अनुपालन किए जाने वाले सेवाएं, शर्तें और प्रक्रियाएं जिसके अंतर्गत उनके वर्ग (क) से (ज) में वे विनिर्दिष्ट हैं;

(यफ) धारा 80 के अधीन हितों की संरक्षा के लिए न्यूनतम मानक, सेवा और शर्तें तथा सेवा प्रदाता और सेवा प्रयोगकर्ता की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है;

(यब) धारा 81 के अधीन खतरनाक माल की सूची ले जाने के लिए शर्तें ;

(यभ) धारा 82 की उपधारा (1) के अधीन माल वहन, यात्रियों के परिवहन, इकाईयों के भंडारण, प्रसूविधा, प्लवमान, इकाई या अन्तर्देशीय जल के भीतर ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए भारत के सिवाय किसी अन्य देश में रजिस्ट्रीकृत जलयान के प्रयोग या नियोजन के लिए ऐसी सेवा और शर्तें जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार ने अनुज्ञा प्रदान की है ;

(यम) धारा 82 की उपधारा (2) के अधीन उस देश में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य देश द्वारा मंजूर किए गए किसी प्रमाणपत्र के समान इस अधिनियम के अधीन प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए फीस ;

(यय) उक्त धारा की उपधारा (3) में यथा विनिर्दिष्ट, धारा 82 की उपधारा 2 के अधीन मंजूर प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि और विस्तार;

(ययक) ऐसे उपबंधों के क्रियान्वयन और प्रशासन के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विहित कोई अन्य मामले जो अपेक्षित हैं या किए जा सकते हैं ।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

107. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा उसे प्रत्यायोजित करने अथवा इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रशासन करने के विशिष्ट उपबंधों के लिए पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव

डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित मामलों के सभी या किन्हीं के लिए उपबंध कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) धारा 3 के खंड (यट) के अधीन पायलट के रूप में अर्हित व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए अपेक्षाएं;

(ख) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन सर्वेक्षण के प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए फीस;

(ग) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति और शर्तें जिसके अधीन किसी यंत्र चालित अन्तर्देशीय जलयान जिसे सर्वेक्षण का अनंतिम प्रमाण पत्र जारी किया गया हो या अस्थाई रूप से लंबित या जल पर कार्यवाही के पृष्ठांकन या सेवा में प्रयोग के सर्वेक्षण का प्रमाण पत्र का जारी होना है;

(घ) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन स्वामी, प्रचालक, मास्टर या सन्निर्माण यार्ड के सर्वेक्षण के प्रमाण पत्र को जारी करने की रीति और निलंबन की सूचना;

(ङ) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन पत्तन या रजिस्ट्री का स्थान जिस के संबंध में अन्तर्देशीय जलयान के रजिस्ट्रार द्वारा उसे नियुक्त किया गया है द्वारा निष्पादित किए गए कृत्य;

(च) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति और अवधि जिसमें अन्तर्देशीय जलयान के रजिस्ट्रार द्वारा नियमित अंतराल पर राज्य सरकार के लिए उसमें रजिस्ट्री या प्रविष्टियों के पुस्तक के ब्योरे को रखा जाएगा ;

(छ) धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन आवेदक के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र मंजूर करने के लिए फीस;

(ज) धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (ड.) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में अंतर्विष्ट की जाने वाली अन्य विशिष्टियां;

(झ) धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन जलयान के सहज दृश्य भाग जहां स्वामी कार्यालय संख्या को प्रदर्शित करेगा;

(ञ) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप और रीति जिसमें रजिस्ट्रीकृत स्वामी अन्तर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रार के लिए प्रति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा;

(ट) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन अन्तर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रार के लिए प्रतिप्रमाणपत्र के आवेदन हेतु फीस और अतिरिक्त फीस ;

(ठ) धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप, रीति और वह अवधि जिसके भीतर यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी, प्रचालक या मास्टर रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में परिवर्तन या उपांतरण की प्रविष्टि के लिए आवेदन कर सकेगा;

(ड) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन परिवर्तन के रजिस्ट्रीकरण के लिए अन्तर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रार के लिए आवेदन हेतु फीस;

(ढ) धारा 31 की उपधारा (4) के अधीन अन्तर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी निलंबन की सूचना में अनुपालन की जाने वाली शर्तें और वह अवधि जिसके लिए ऐसा अनुपालन कथित किया गया हो ;

(ण) धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित किए जाने वाले रजिस्टरों के रखरखाव हेतु प्ररूप और रीति, प्रमाणपत्र के ब्यौरे और डाटा उसमें

विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र;

(त) धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप, दक्षता प्रमाणपत्र का प्ररूप और अन्य ऐसी शर्तें जिसके अन्तर्गत वैधता भी है, के अधीन रहते हुए दक्षता के प्रमाणपत्र को मंजूर करने की रीति;

(थ) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन सुरक्षा उपाय, गियर और ऐसे अन्य उपाय जिसके द्वारा विशेष प्रवर्ग के जलयानों के रूप में पहचान योग्य किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान को ऐसे यान के प्रवर्गीकरण के अनुसार अनुपालन करेगा और उपस्कर करेगा ;

(द) धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन अन्तर्देशीय जलयान के सुरक्षित जलयात्रा के लिए ऐसे अन्य मानदंड और शर्तें या उनको प्रवाहित करने के लिए भारित जल लाइन की सुरक्षित जललाइन या सीमाओं के विनिर्दिष्ट करने के द्वारा विशेष प्रवर्ग के जलयान के रूप में पहचान किए गए जलयान की अधिकतम वहन क्षमता;

(ध) धारा 54 की उपधारा (3) के अधीन ग्रहण सुविधा प्रदान करते हुए सभी कार्गो टर्मिनल या यात्री टर्मिनल के स्वामी या प्रचालक द्वारा प्राप्त की जाने वाली भार की दर;

(न) धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन यात्री या कार्गो टर्मिनल के स्वामी या प्रचालक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अनुपालन रिपोर्ट का प्ररूप;

(प) धारा 54 की उपधारा (6) के अधीन वह रीति जिसमें अन्तर्देशीय जलों के भीतर प्रयोग किए जाने वाले या चलाए जाने वाले किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी, प्रचालक या मास्टर पत्तन ग्रहण सुविधाओं पर प्रदूषकों से चुकाएगा;

(फ) धारा 63 के अधीन किसी दावे या किसी अपराध से संबद्ध किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के अवरोध की प्रक्रिया ;

(ब) धारा 74 की उपधारा (2) के अधीन निकटतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी और नियुक्त किए गए अभिहित प्राधिकारी के लिए अन्तर्देशीय जल में किसी जलयान के लिए बोर्ड पर किसी ध्वंस, अभित्यजन, नुकसान, आपत्ति, दुर्घटना, विस्फोट या उत्पन्न हुई किसी हानि की सूचना देने की प्ररूप और रीति ;

(भ) धारा 75 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन जांच करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं तथा जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय की शक्तियां और प्रक्रियाएं;

(म) धारा 76 की उपधारा (2) के अधीन असेसर के लिए अर्हताएं मानदंड और प्रतिफल, फीस या प्रभार जिन्हें वणिक सेवा या किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का नौपरिवहन में अनुभव हैं;

(य) धारा 85 की उपधारा (4) के अधीन जलयान के अवरोध के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए या प्राधिकृत या गठित किए गए किसी संबद्ध अधिकारी या प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा अपनाए गए और संप्रेषण किए जाने के लिए यदि इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं है अवरोध, औपचारिकता, फीस और सेवा शर्तों की प्रक्रिया ;

(यक) धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन इस अधिनियम के अधीन

प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रभारित फीस और अतिरिक्त फीस की दर और राज्य सरकार द्वारा एकत्रित की जाने वाली धनीय प्रकृति की शास्तियों के विरुद्ध किए जाने वाले किसी अन्य प्रभार या संदाय, ऐसे अंतराल जिस पर ऐसी फीस, प्रभार्य या शास्तियां संग्रहित की जाएंगी;

(यख) धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन वह प्रक्रिया, प्ररूप और प्राप्ति का प्रारूप, लेखा का रखरखाव और कोई अन्य मामले जो विप्रेषादेश, संग्रहण, लेखा और धनीय प्रकृति की शास्तियों के विरुद्ध फीस, अतिरिक्त फीस, प्रभार्य या संदाय की जवाबदेहीता के लिए आवश्यक है;

(यग) धारा 89 की उपधारा (4) के अधीन वह रीति और फीस या अतिरिक्त फीस की दरें जिसे यथास्थिति, स्वामी, प्रचालकों या उनके प्रतिनिधित्वों को छूट देगा ;

(यघ) धारा 91 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे कार्यालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और कृत्य और प्राधिकृत विभाग के कार्यालय का अधिक्रम;

(यङ) धारा 91 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन अध्याय 17 के प्रयोजनों के लिए गठित कल्याण निधि के प्रशासित करने के लिए प्राधिकार और बाध्यता ;

(यच) धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत विभाग के कार्यालय पर गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी या प्रचालक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ऐसे अन्य ब्यौरे और ऐसे प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति;

(यछ) धारा 92 की उपधारा (6) के अधीन किसी गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के ब्यौरों को अभिलिखित करने के लिए केंद्रीय डाटा बेस का प्ररूप और रीति;

(यज) धारा 93 की उपधारा (2) के अधीन उक्त प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट करने के लिए नामनिर्देशन के प्रमाणपत्र को जारी करने का प्ररूप और रीति और स्वामी के ब्योरों को अंतर्विष्ट करने वाले ऐसे अन्य दस्तावेज;

(यझ) धारा 93 की उपधारा (4) के अधीन किसी गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के लिए जारी की गई संख्या को प्रदर्शित करने का प्ररूप और रीति;

(यञ) धारा 94 की उपधारा (1) के अधीन बुनियादी न्यूनतम मानक जो किसी गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के संन्निर्माण के दौरान संप्रेषण के लिए उत्तरदायी हो सके;

(यट) धारा 94 की उपधारा (2) के अधीन किसी गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के किसी वर्ग या प्रवर्ग द्वारा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट संन्निर्माण की मानकों के अनुपालन की रीति;

(यठ) धारा 95 के अधीन किसी गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान को विनियमित करने के उपाय ;

(यड) धारा 99 की उपधारा (1) के अधीन न्यूनतम या अधिक प्रभावी आपात की ओर से प्राधिकृत सलाहकार समिति या अधिकारियों द्वारा अपनाए गए उपाय ;

(यढ) किसी गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान से संबंध रखने के लिए

इस अधिनियम के अध्याय 17 के क्रियान्वयन और प्रशासन के प्रयोजन के लिए;

(यण) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई अन्य मामला जो अपेक्षित हैं या अपेक्षित किया जा सकता है ।

निदेश देने की केंद्रीय सरकार की शक्तियां ।

108. केंद्रीय सरकार, राज्य में इस अधिनियम के निष्पादन करने के लिए राज्य सरकार को निदेश देगी और राज्य सरकार ऐसे निदेशों द्वारा बाध्य होगी ।

सद्भाव में की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

109. (1) इस अधिनियम के अधीन सदभाव में की जा सकने वाली या करने के आशय के संबंध में इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए या प्राधिकृत किसी व्यक्ति या अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएंगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन उन्मुक्ति के दावे के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए या प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अधिकतम सावधानी और सम्यक तत्परता के साथ संबंधित कृत्यों और उत्तरदायित्व का पालन करने और निष्पादन करेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

110. (1) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभाव देने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों से जो असंगत न हो, ऐसे उपबंध करने के लिए राजपत्र में आदेश प्रकाशित करेगी जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो:

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष के अवधि के अवसान के पश्चात् इस धारा के अधीन नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष यथासंभव शीघ्र रखा जाएगा ।

अन्य विधियों के साथ संगतता ।

111. (1) इस अधिनियम के उपबंध इसके अतिरिक्त, किसी अन्य विधि के उपबंधों के अल्पीकरण में अर्थ नहीं लगाया जाएगा और तत्समय प्रवृत्त ऐसे विधि के संगतता के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के बीच किसी व्यतिक्रम के होने पर संपूर्ण भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध या किसी राज्य के क्षेत्र के भीतर लागू करने के लिए प्रतिषिद्ध होंगे और इस अधिनियम के उपबंध ऐसे व्यतिक्रम के विस्तार के लिए अभिभावी होंगे ।

अधिनियम को लागू करने के लिए निलंबन या परिवर्तन और प्रचालन ।

112. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किन्हीं या सभी उपबंधों द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि—

(क) इस बात के सिवाय कि सुरक्षा, काम करने और प्रदूषण के निवारण के लिए किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग को लागू नहीं होगी ; या

(ख) ऐसे उपांतरणों के साथ जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो, यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग को लागू होंगे ।

(2) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रचालन को अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट इस प्रकार पहचान योग्य बनाने के लिए या ऐसी अवधि

के लिए विनिर्दिष्ट किए गए विस्तार को निलंबित या शिथिल कर सकेगी ।

नियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना ।

113. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम या जारी की गई अधिसूचना बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या यदि अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा तथापि, नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

1917 का 1

114. (1) अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 निरसित किया जाता है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमन के निरसन किए जाने पर भी,—

(क) इस प्रकार निरसित किए गए अधिनियमन के अधीन किसी अधिसूचना, नियमन, उपनियम, आदेश या जारी की गई छूट को किया जाना या मंजूर किया जाएगा, यदि वह इस अधिनियम के उपबंधों के साथ संगत नहीं है, तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक उसको प्रतिसंहृत नहीं किया जाता और प्रभावी होगी जैसे यदि उसे इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन जारी किया गया, बनाया गया या मंजूर किया गया था;

(ख) इस प्रकार निरसित किए गए अधिनियमन के अधीन नियुक्त किया गया कोई अधिकारी और निर्वाचित या गठित किया गया कोई निकाय निरसित किया गया समझा जाएगा और वह तब तक नियुक्त, निर्वाचित या गठित किया गया समझा जाएगा, जब तक उसे इस अधिनियम के अधीन यथास्थिति अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से हटाया या प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा;

(ग) इस प्रकार निरसित किए गए अधनियमन के लिए निर्दिष्ट किसी दस्तावेज को इस अधिनियम या इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध में यथाविनिर्दिष्ट असंगत नहीं होगा;

(घ) इस प्रकार निरसित किए गए अधिनियमन के अधीन अधिरोपित किसी उद्गृहीत जुर्माने या शास्ति को प्रतिसंहृत किया जाएगा जैसे कि यदि उसे इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत किया गया था;

(ङ) इस प्रकार निरसित किए गए अधिनियमन के अधीन कारित किए गए किसी अपराध का इस अधिनियम के अधीन अभियोजन किया जाएगा और दंडित किया जाएगा जैसे यदि उसे इस अधिनियम के अधीन कारित किया गया था;

(च) इस प्रकार निरसित किए गए अधिनियमन के अधीन रजिस्ट्रीकृत चलत जलयानों या चलत नावों को अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा;

(छ) इस प्रकार निरसित किए गए अधिनियमन के अधीन भारत में किसी बंदरगाह पर रखे गए किसी रजिस्टर पुस्तक में रिकार्ड किए गए किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के बंधक को इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन रजिस्टर पुस्तक में रिकार्ड किया गया समझा जाएगा;

(ज) इस प्रकार निरसित किए गए अधिनियमन के अधीन और इस अधिनियम के तत्समय प्रवृत्त या प्रारंभ से जारी किए गए, बनाए गए या मंजूर किए गए किसी अनुज्ञप्ति, सक्षमता या सेवा का प्रमाणपत्र, सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्तियां या कोई अन्य प्रमाणपत्र या दस्तावेज को इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया, बनाया गया या मंजूर किया गया समझा जाएगा और इस अधिनियम के अधीन तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक यथास्थिति, प्रमाणपत्र या दस्तावेज दर्शित तारीख के तत्समय प्रवृत्त बना रहेगा ।

(3) इस धारा में उपबंधित विनिर्दिष्ट मामले साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारण प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे या प्रभावित नहीं करेंगे । 1897 का 10

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 को अंतर्देशीय जलयानों से संबंधित विद्यमान अधिनियमितियों को समेकित करने के लिए अधिनियमित किया गया था । यह भारत के अंतर्देशीय जल में चलने वाले अन्तर्देशीय यंत्रचालित जलयानों के अंतर्देशीय नौपरिवहन को शासित करता है । उक्त अधिनियम का अंतिम संशोधन वर्ष 2007 में किया गया था । तब से अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में अनेक प्रमुख परिवर्धन हुए हैं । उनमें से एक मुख्य परिवर्धन राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अधीन एक सौ ग्यारह राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा है । उक्त घोषित राष्ट्रीय जलमार्गों का क्रमबद्ध उपयोग और अंतर्देशीय जल परिवहन की संभावना का इस्तेमाल यंत्रचालित से नोदित अंतर्देशीय जलयानों के उपयोग को बढ़ाएगा ।

2. विद्यमान अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917, अन्य बातों के साथ, राज्य सरकारों को अपने आप नियम विरचित करने के लिए सशक्त करता है । तथापि, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियम संपूर्ण देश में समान नहीं हैं । राज्य की अधिकारिता से परे जलयान चलाने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र या समर्थन की अपेक्षा, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विहित लागू सन्नियमों और मानकों के एकसमान न होना, उनके उपबंधों में लचीलेपन का अभाव तथा वैसी ही बातें उक्त अधिनियम की खामियां हैं । अत:, ऐसी खामियों को दूर करने के लिए और वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा निकट भविष्य में होने वाले परिवर्धनों का पूर्वानुमान लगाने के लिए, इसके उपबंधों के समग्र पुनर्विलोकन की आवश्यकता पड़ी थी । अत:, एक शताब्दी पुराने अप्रचलित अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 को प्रतिस्थापित करने के लिए एक नया विधान अधिनियमित करना समीचीन है ।

3. प्रस्तावित नया विधान, राज्यों के संबंध में उपबंधों में एकरूपता लाने के लिए आशयित है, जिससे कि अंतर्देशीय जल के आर-पार अर्थव्यवस्था का और सुरक्षित परिवहन तथा व्यापार का संवर्धन किया जा सके और पणधारियों के हित और आवश्यकताओं का संरक्षण किया जा सके । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को केंद्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंधित किए जा सकने वाले मानक और उपायों के अनुसरण में, प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने की शक्ति और उत्तरदायित्व सौंपा जा रहा है ।

4. प्रस्तावित विधान, अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 से अपने आशय, अंतर्वस्तु और कार्यान्वयन के निबंधनों में भिन्न है और यह,—

(i) अंतर्देशीय जल के माध्यम से अर्थव्यवस्था, सुरक्षित परिवहन और व्यापार का संवर्धन करेगा ;

(ii) देश में अंतर्देशीय जलमार्गों और नौपरिवहन से संबंधित विधि को लागू करने में एकरूपता लाएगा ;

(iii) नौपरिवहन की सुरक्षा और जीवन तथा स्थोरा के संरक्षण का उपबंध करेगा ;

(iv) प्रदूषण का निवारण करेगा जो अंतर्देशीय जलयानों के उपयोग या नौपरिवहन द्वारा कारित हो सकेगा ;

(v) अंतर्देशीय जल परिवहन के प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा ; और

(vi) अंतर्देशीय जलयानों के शासन, उनके सन्निर्माण, सर्वेक्षण, रजिस्ट्रीकरण, माइनिंग, नौपरिवहन और अन्य संबंधित विषयों की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करेगा ।

5. प्रस्तावित अंतर्देशीय जलयान विधेयक, 2021, अन्य बातों के साथ,—

(i) केन्द्रीय सरकार को नियमों द्वारा अंतर्देशीय जलयानों के निर्बाध और सुरक्षित नौपरिवहन के लिए लागू मानकों की समान रूप से उपबंध करने के लिए सशक्त करता है ;

(ii) राज्य सरकारों को अधिसूचना द्वारा किसी भी अंतर्देशीय जलक्षेत्र को अधिकतम महत्वपूर्ण वेव ऊंचाई मानदंड के आधार पर जोन में घोषित करने के लिए सशक्त करता है ;

(iii) केन्द्रीय सरकार को यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयानों को वर्गीकृत और श्रेणीकृत करने के लिए मानकों का उपबंध करने हेतु, जलयानों के रजिस्ट्रीकरण में अंतर्वलित मानकों और प्रक्रियाओं का उपबंध करने के लिए, विशेष प्रवर्ग के जलयानों की पहचान और श्रेणीकरण करने के लिए मानक उपबंधित करने, रजिस्ट्री प्रमाणपत्र जारी करने, जलयानों को चलाने के लिए प्रशिक्षण और न्यूनतम जनशक्ति का उपबंध करने के लिए नियमों द्वारा सशक्त करता है ;

(iv) राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंधित किए जाने वाले मानकों और उपायों का अनुपालन करने के लिए उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए समर्थ बनाता है ;

(v) केन्द्रीय डाटा बेस, रजिस्ट्रीकरण के लिए ई-पोर्टल और कर्मीदल डाटा बेस का उपबंध करता है ;

(vi) केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों द्वारा जीवन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, नौपरिवहन साधन और संचार साधित्रों की नई अपेक्षाओं के लिए उपबंध करता है ;

(vii) केन्द्रीय सरकार को कतिपय प्रदूषकों के निस्सरण की अनुज्ञेय सीमाओं का उपबंध करने के लिए सशक्त बनाता है, जैसे मलव्ययन और नियमों द्वारा अनुपालना अपेक्षा के रूप में प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उपबंध करता है ;

(viii) ध्वंसाव्शेष बचाए हुए पोतों के लिए ध्वंसाव्शेष प्रापक नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करता है ;

(ix) दायित्व और दायित्व सीमा के सिद्धातों के संबंध में उपबंध करना, जो सुरक्षित व्यापार और व्यापार पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए बीमा की अवधारणा में सुधार करते है और उनका विस्तार करते हैं ;

(x) दुर्घटना और अन्वेषण से संबंधित परिष्कृत उपबंध लाना तथा प्रारंभिक जांच और औपचारिक अन्वेषण का भी उपबंध करना ;

(xi) पुनरीक्षित शास्तियों और दंड का उपबंध करना जिससे दोषकर्ताओं में भय उत्पन्न करने का और उपबंधों का अनुपालन करने का सुनिश्चय किया जा सके ;

(xii) गैर-यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयानों के अविनियमित सेक्टर के विनियमन और शासन के लिए उपबंध करने हेतु और राज्य सरकारों को ऐसे

गैर-यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयानों के न्यूनतम विनियमन के लिए उपबंध करने हेतु एक नया अध्याय लाना ;

(xiii) केवल जुर्माने से दंडनीय अपराधों के शमन का उपबंध करना ;

(xiv) अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 का निरसन करना ;

6. खंडों पर टिप्पण, विधेयक के विभिन्न उपबंधों को विस्तृत रूप से स्पष्ट करते हैं ।

7. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है ।

नई दिल्ली ; **सर्बानंद सोनोवाल**
9 जुलाई, 2021.

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 2 प्रस्तावित विधान को लागू होने और विस्तार का उपबंध करने के लिए है । यह कतिपय प्रकार के जलयानों के प्रस्तावित अधिनियमिति के कतिपय अध्यायों के लागू होने को विनिर्दिष्ट करता है ।

विधेयक का खंड 3 प्रस्तावित विधान में प्रयुक्त विभिन्न पदों के परिभाषाओं के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 4 अंतर्देशीय जल क्षेत्र को जोन में घोषित करने के लिए उपबंध करता है । यह राज्य सरकार को अधिकतम महत्वपूर्ण लहर ऊंचाई मानदंड के आधार पर किसी भी अंतर्देशीय जल क्षेत्र को अधिसूचना द्वारा जोन घोषित करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 5 केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्य के लिए उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन गठित विद्यमान प्रशासनिक प्राधिकारी नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी बने रहेंगे । यह और उपबंध करता है कि अध्याय 17 में विनिर्दिष्ट रुप में गैर यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयानों के प्रशासन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार के पास प्रशासन की कोई शक्ति नहीं होगी ।

विधेयक का खंड 6 सक्षम प्राधिकारी के लिए उपबंध करता है । यह प्रस्तावित विधान द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों, प्राधिकार या कर्तव्यों का प्रयोग या निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारी होगा ।

विधेयक का खंड 7 सर्वेक्षण करने के प्रयोजन के लिए वर्गीकरण और प्रवर्गीकरण करने की शक्ति के लिए उपबंध करता है । यह यंत्रचालित जलयानों का वर्गीकरण, ऐसे वर्गीकरण के लिए मानदंड और नियमों द्वारा ऐसे जलयानों के डिजाइन, संनिर्माण, उपयुक्तता और कर्मीदल की वास-सुविधा प्रबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करता है । यह ऐसी कसौटी और मानदंड के आधार पर जो केंद्रीय सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयानों का वर्गीकरण और प्रवर्गीकरण करने के लिए भी राज्य सरकार के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 8 किसी यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान का संनिर्माण, परिवर्तन या उपांतरण पर प्रभाव डालने वाली सामर्थ्य के लिए उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान की सामर्थ्य या सुरक्षा ऐसी रीति में जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंधित की जाए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा । यह और उपबंध करता है कि यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान और उसकी मानदंड की सामर्थ्य, उपयुक्तता या सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाला परिवर्तन या उपांतरण की सूची केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जानी है ।

विधेयक का खंड 9 जलयानों का सर्वेक्षण के लिए उपबंध करता है । यह यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान के लिए सर्वेक्षण का प्रकार और आवधिकता का मानक नियमों द्वारा उपबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करता है । यह ऐसे प्ररुप और अंतर्वस्तु में, जो केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा उपबंधित करे सर्वेक्षण करने के अनुरोध के लिए भी उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 10 सर्वेक्षकों की नियुक्ति और अर्हताओं के लिए उपबंध करता है । केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम मानदंड और अर्हताएं उपबंध करेंगी ।

विधेयक का खंड 11 सर्वेक्षकों की शक्तियों के लिए उपबंध करता है । इसमें यंत्रचालित जलयान जिसके अंतर्गत फलक की क्षमता या जलयान पर प्रवेश करके सर्वेक्षण करने के संबंध में सर्वेक्षकों की शक्तियों और चढ़ने या उतरने में प्रतिबाधित न करने के लिए उपबंध करना भी है । सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए जलयान का स्वामी, प्रचालक, मास्टर और कर्मीदल द्वारा सर्वेक्षण करने और सूचना देने के लिए युक्तियुक्त सुविधाएं उपबंधित कराई जाएगी । केंद्रीय सरकार नियमों द्वारा सर्वेक्षण किए जाने के लिए समय दे सकेगी ।

विधेयक का खंड 12 सर्वेक्षण और प्रक्रियाओं का प्रमाणपत्र मंजूर करने के लिए उपबंध करता है । यह ऐसी सरकार को समाधान प्रद रुप में ऐसे जलयान के सर्वेक्षण के पूरे होने पर सर्वेक्षक की घोषणा की प्राप्ति पर यंत्रचालित जलयान की बाबत राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण प्रमाणपत्र मंजूर करने के लिए उपबंध करता है । राज्य सरकार, अपने कृत्यों को निर्बंधन के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा कि ऐसा प्रत्यायोजन ऐसे सर्वेक्षक द्वारा जिन्होंने सर्वेक्षण करने की घोषणा की थी सर्वेक्षण प्रमाणपत्र मंजूर करने के लिए प्राधिकृत नहीं होगा । उक्त खंड केंद्रीय सरकार को नियमों द्वारा सर्वेक्षण की विधिमान्यता अवधि और सर्वेक्षण का प्ररुप और ऐसी विशिष्टियां या ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों को उपवर्णित करने के लिए सशक्त करता है जिनका सर्वेक्षक द्वारा अनुपालन किया जाना है ।

विधेयक का खंड 13 सर्वेक्षक का अंनतिम प्रमाणपत्र और उसका प्रभाव के लिए उपबंध करता है । यह उस सर्वेक्षक द्वारा, जो यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान का सर्वेक्षण करता है, सर्वेक्षण का अनंतिम प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए उपबंध करता है । सर्वेक्षण के विधिमान्यता के लिए विस्तारण और पृष्ठांकन ऐसे प्ररुप में किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंधित किया जाए । अनंतिम प्रमाणपत्र या ऐसे पृष्ठांकन ऐसी रीति और शर्त के अध्यधीन रहते हुए प्रदान करना जलयान को आगे बढ़ने या सेवा में उपयोग करने में समर्थ बनाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंधित किया जाए, सर्वेक्षण प्रमाणपत्र जारी करने तक लंबित रहेगा ।

विधेयक का खंड 14 सर्वेक्षण प्रमाणपत्र और ऐसे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट किए गए जोन की अपेक्षा के बिना यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान को अग्रसर होने के लिए उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान का उपयोग नहीं किया जाएगा या सर्वेक्षण के विधिमान्यता प्रमाणपत्र के बिना न ही उसे जलयात्रा पर अग्रसर होने दिया जाएगा जो अन्यों में से प्रचालन के लिए आशयित जोन को उपबंधित या उपदर्शित करेगा । यह सर्वेक्षण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता और जलयात्रा पर अग्रनीत करने की अनुमति देने के बारे में उस तारीख के बीच के अंतराल के दौरान जिस तारीख को सर्वेक्षण प्रमाणपत्र समाप्त हो जाता है और नवीकरण की यथासंभव तारीख और सर्वेक्षण प्रमाणपत्र के अस्तित्वहीन होने के पश्चात् सर्वेक्षण का विधिमान्य प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया के बारे में भी उपबंध करता है । सर्वेक्षण प्रमाणपत्र पूरे भारत में लागू होगा जब तक कि इसमें अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो ।

विधेयक का खंड 15 सर्वेक्षण प्रमाणपत्र का निलंबन और रद्दकरण के लिए

उपबंध करता है । यह सर्वेक्षण प्रमाणपत्र का निलंबन और रद्दकरण के आधारों के लिए उपबंध करता है । यह और उपबंध करता है कि राज्य सरकारें तीन मास के भीतर नियमों द्वारा उपबंधित रीति में त्रुटियों को ठीक करने और उसमें विनिर्दिष्ट शर्त का पालन करने के लिए स्वामी, प्रचालक, मास्टर या निर्माण यार्ड को सर्वेक्षण प्रमाणपत्र के निलंबन की सूचना जारी करेंगी ऐसी सूचना के अननुपालन के परिणामस्वरुप सर्वेक्षण प्रमाणपत्र रद्द किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 16 समाप्त, निलंबित या रद्द सर्वेक्षण प्रमाणपत्र के परिदान के लिए उपबंध करता है । यह और उपबंध करता है कि राज्य सरकार, अंतर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई रजिस्ट्री की पुस्तक में रद्द किए गए प्रमाणपत्र के ब्यौरे अभिलिखित करेगी ।

विधेयक का खंड 17 रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध करता है । यह नोदन के यांत्रिक साधनों से सुसज्जित अंतर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध करता है और ऐसे प्रयोजन के लिए स्वामियों को विनिर्दिष्ट करता है । यह आगे भारतीय चार्टरर द्वारा अनावृत नौका चार्टर-सह-पट्टांतरण पर चार्टर्ड विदेशी जलयान के रजिस्ट्रीकरण और विशेष रुप से अंतर्देशीय जलयात्रा का उपबंध करता है । इसमें यह भी उपबंध है कि प्रस्तावित विधान के अधीन रजिस्ट्रीकृत अंतर्देशीय जलयानों को भी वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा ।

विधेयक का खंड 18 रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अपेक्षा के लिए उपबंध करता है । यह किसी भी जलयात्रा पर आगे बढ़ने के लिए यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान की बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य आवश्यकता के लिए उपबंध करता है या रजिस्ट्रीकरण के लिए पहली जलयात्रा की बाबत कतिपय अनुमतियों के साथ किसी भी सेवा के लिए उपयोग किया जाता है; किसी भी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयान जिसके लिए प्रस्तावित अधिनियमिति के अधीन जलयात्रा के लिए उपबंध विद्यमान है; और यंत्रचालित जलयानों विदेशों के विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं ।

विधेयक का खंड 19 स्वामी या मास्टर के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ले जाने के लिए उपबंध करता है । यह एक अंतर्देशीय जलयान के मालिक या मास्टर पर जलयान पर विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ले जाने के लिए दायित्व उपबंध करता है और इसके गैर उत्पादन के परिणामस्वरुप राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत ऐसे अधिकारी द्वारा जलयान को रोक दिया जाएगा ।

विधेयक का खंड 20 पत्तनों या रजिस्ट्री के स्थानों और अंतर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए उपबंध करता है । यह यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए और कृत्यों का पालन करने के लिए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंधित किया जाए, राज्य सरकार क्रमश: पत्तनों या रजिस्ट्री के स्थानों और अंतर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए उपबंध करती है ।

विधेयक का खंड 21 रजिस्ट्री की पुस्तक के लिए उपबंध करता है यह अंतर्देशीय जलयान के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री की पुस्तक और रजिस्ट्री की पुस्तक के रख रखाव के लिए उपबंध करता है । रजिस्ट्री की ऐसी पुस्तक में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के सभी विशिष्टियों का रिकार्ड अंतर्विष्ट होगा और अंतर्देशीय जलयानों का रजिस्ट्रार ऐसी पुस्तक के ब्यौरे को ऐसी रीति और ऐसी अवधि के नियमित अंतराल पर राज्य सरकार को, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, रिपोर्ट करेगा और राज्य

सरकार रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया को सुकर बनाने और प्रशासन चलाने के लिए उसमें विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के बारे में केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट करेगी ।

विधेयक का खंड 22 अंतर्देशीय जलयानों के केंद्रीय डेटा बेस के लिए उपबंध करता है । यह केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा अंतर्देशीय जलयानों का एक केंद्रीय डेटा बेस के रखरखाव के लिए उपबंध करता है । इस प्रकार नियुक्त अधिकारियों के केंद्रीय डेटा बेस और कृत्यों को बनाए रखने का प्ररुप और रीति ऐसा होगा जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंधित किया जाए ।

विधेयक का खंड 23 जलयानों के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन और प्रक्रियाओं का उपबंध करता है। यह सर्वेक्षण का विधिमान्य प्रमाणपत्र रखने वाले आवेदक द्वारा यंत्रचालित जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने का उपबंध करता है । ऐसी विशिष्टियों के साथ प्ररुप और रीति उपबंधित किए जाने और आवेदक द्वारा प्रस्तुत या पेश किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची ऐसी होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंधित की जाए । यह भी उपबंध करता है कि जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिकारिता रखने वाले अंतर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रार को ऐसा आवेदन किया जाएगा और अननुपालन या कमी की दशा में अंतर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रार कारण बताते हुए रजिस्ट्रीकरण से इनका इंकार कर सकता है ।

विधेयक का खंड 24, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का दिया जाना और जलयान को चिन्हित किए जाने के लिए उपबंध करता है । यह रजिस्ट्रीकरण फीस, जो राज्य सरकार के नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, के संदत्त किए जाने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए उपबंध करता है । रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जो केंद्रीय सरकार के नियमों द्वारा उपबंधित की जाए और उसमें विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी और अंतर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत जलयान की अधिकृत संख्या समनुदेशित करेगा जो स्वामी द्वारा जलयान के सहजदृश्य भाग पर प्रदर्शित की जाएगी जो राज्य सरकार के नियमों द्वारा उपबंधित की जाए ।

विधेयक का खंड 25, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के प्रभाव के लिए उपबंध करता है । रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में अन्यथा विनिर्दिष्ट के सिवाय, संपूर्ण भारत में विधिमान्य होगा । रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र स्वामित्व का निश्चायक सबूत होगा और दोनों व्यक्ति जिनके पास जलयान के स्वामित्व में फायदाप्रद हित है, जलयान में शेयर है, स्वामी समझा जाएगा और उसके वही अधिकार होंगे जो रजिस्ट्रीकृत स्वामी के हैं ।

विधेयक का खंड 26, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए उपबंध करता है, जहां मूल खो जाता है या नष्ट हो जाता है और ऐसा प्रमाणपत्र जलयान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी के आवेदन पर, ऐसे फीस या अतिरिक्त फीस, जो राज्य सरकार के नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, अंतर्देशीय जलयान के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 27, रजिस्ट्रीकरण के अनंतिम प्रमाणपत्र के लिए उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि अंतर्देशीय जलयानों का रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के जारी होने तक, उसके आवेदन और फीस का संदाय किए जाने पर अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकता है । अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि, आवेदन का प्ररूप और फीस के रेट ऐसा होगा जो केंद्रीय सरकार के नियमों द्वारा उपबंधित किया जाए ।

विधेयक का खंड 28, उपांतरणों या परिवर्तनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध

करता है । जलयान का स्वामी, प्रचालक या मास्टर, जिसने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया है, ऐसे सर्वेक्षण प्रमाणपत्र के साथ, जिसमें ऐसे उपांतरण या परिवर्तन का अनुमोदन किया गया है, अंतर्देशीय जलयान के रजिस्ट्रार को आवेदन करेगा । आवेदन, ऐसे प्ररूप, रीति तथा ऐसी अवधि के साथ फीस के भीतर होगा जो राज्य सरकार के नियमों द्वारा उपबंधित की जाए । अंतर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार, जलयान की शक्ति और स्थिरता को प्रभावित करने वाले अनुमोदित उपांतरण या परिवर्तन को या तो रजिस्ट्रीकृत करवाएगा या यह निदेश देगा कि जलयान को नए सिरे से रजिस्ट्रीकृत किया जाए । रजिस्ट्रीकरण के लिए नए सिरे से आदेश दिए जाने की दशा में परिवर्तन की विशिष्टियों के बारे में विद्यमान प्रमाणपत्र पर यथापरिवर्तित या पृष्ठांकित जलयान का वर्णन करते हुए, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनंतिम प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाएगा । ऐसे आवेदन के फाइल करने की असफलता पर यह विचार किया जाएगा कि विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के बिना जलयान चलाया जाएगा ।

विधेयक का खंड 29, निवास या कारबार के स्थान के परिवर्तन के लिए उपबंध करता है । यह यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान के स्वामी के निवास या कारबार के स्थान का परिवर्तन करने के लिए उपबंध करता है । जलयान के ऐसे स्वामी द्वारा, जो स्वामी नहीं रहा है या रजिस्ट्री या रजिस्ट्रीकृत पते में परिवर्तन वाली किन्हीं ऐसी परिस्थितियों के अंतरण की अपेक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है, पालन की जाने वाली प्रक्रियाएं वे हैं, जो केंद्रीय सरकार के नियमों द्वारा उपबंधित की जाए ।

विधेयक का खंड 30, जलयान के रजिस्ट्रार, जिसने मूल रूप से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया है, के पूर्व अनुमोदन के बिना, भारत से भिन्न किसी अन्य देश में रहने वाले किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत जलयान के अंतरण के विरूद्ध प्रतिषेध के लिए उपबंध करता है । ऐसा अंतरण केवल तब ही विधिमान्य है, यदि प्रक्रियाएं, जो केंद्रीय सरकार के नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, अनुपालित की गई हैं ।

विधेयक का खंड 31, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन के लिए उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि अंतर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार अपेक्षा कर सकेगा कि उसकी अधिकारिता के भीतर किसी रजिस्ट्रीकृत जलयान का किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाए जिसे राज्य सरकार ऐसे प्रयोजन के लिए नियुक्ति करे । यह और कि अंतर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार सुनवाई का अवसर प्रदान करने और ऐसे निलंबन के लिए कारणों को रिकॉर्ड करने के पश्चात् अयोग्य पाए गए रजिस्ट्रीकृत जलयान के प्रमाणपत्र को निलंबित करने का अधिकार देता है । अंतर्देशीय जलयान के रजिस्ट्रार द्वारा निलंबन के कारणों और ऐसी अवधि के भीतर पालन की जाने वाली शर्तों सहित निलंबन का नोटिस जारी किया जाता है । निलंबन के ऐसे आदेश को वापस लेने के लिए अवधि वह होगी जो राज्य सरकार के नियमों द्वारा उपबंधित की जाए । जहां निलंबन जलयान के रजिस्ट्रार से भिन्न, अंतर्देशीय जलयान के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है, वह अंतर्देशीय जलयान के मूल रजिस्ट्रार को निलंबन या निलंबन की वापसी की सूचना देगा, ऐसा आदेश रजिस्ट्री की पुस्तक में और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में प्रविष्टि के लिए होगा । अंतर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित करेगा और ऐसे प्रमाणपत्र का अधिग्रहण करेगा और निलंबन के वापस होने पर प्रमाणपत्र के स्वामी या मास्टर को वापस करेगा ।

विधेयक का खंड 32, जलयान के रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने के लिए उपबंध करता है जो लापता, नष्ट, खोया या परित्यक्त हुआ घोषित है या सेवा के

लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो गया है, स्क्रैपिंग या विखंडित करने के लिए नियत है या विदेशी विक्रीत है । स्वामी ऐसे समय के भीतर जो केंद्रीय सरकार के नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, अंतर्देशीय जलयान के रजिस्ट्रार को रिपोर्ट और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की, जहां जलयान रजिस्ट्रीकृत है, तथ्य की रिपोर्ट करेगा । अंतर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार, उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, जलयान का ऐसे पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण करा सकेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए और निरीक्षण के पश्चात्, यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि जलयान किसी अंतर्देशीय जल में चलने योग्य नहीं है तो स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् जलयान के रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण कर सकेगा ।

विधेयक का खंड 33, यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान या उसमें शेयर का बंधक किसी ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बंधक के लिए उपबंध करता है । प्रतिभूति बनने वाली लिखित ऐसे प्ररूप में होगी जो केंद्रीय सरकार के नियमों द्वारा उपबंधित की जाए । अंतर्देशीय जलायन का रजिस्ट्रार प्रतिभूति बनने वाली लिखत के प्रस्तुत करने पर, बंधक रजिस्ट्री पुस्तक में रिकॉर्ड कर सकता है । जलयान या उसमें शेयर के अध्यधीन रीति और शर्तें जिसमें बंधक किया गया है, ऐसी होगी जो केंद्रीय सरकार के नियमों द्वारा उपबंधित की जाए ।

विधेयक का खंड 34, रोजगार के लिए प्रशिक्षण और न्यूनतम आयु के लिए उपबंध करता है । अर्हता, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान, परीक्षा और सक्षमता प्रमाणपत्र देने के मानक ऐसे होंगे जो केंद्रीय सरकार के नियमों द्वारा उपबंधित किया जाए । कोई व्यक्ति जो अठ्ठारह वर्ष की आयु से कम है, प्रस्तावित विधान के अधीन रजिस्ट्रीकृत यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान पर नियोजित नहीं किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 35, न्यूनतम प्रबंध मान और प्रबंध अपेक्षाओं के लिए उपबंध करता है । न्यूनतम प्रबंध मान यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान के विभिन्न वर्ग या प्रवर्ग के लिए ऐसे होंगे जो केंद्रीय सरकार के नियमों द्वारा अवधारित किए जाएं ।

विधेयक का खंड 36, अध्याय 6 के अधीन प्रमाणपत्र के संबंध में परीक्षक की नियुक्ति और कर्तव्य के लिए उपबंध करता है । ऐसे परीक्षक मानदंड और अर्हताओं के अनुसार जो केंद्रीय सरकार के नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे । परीक्षक, मास्टर, इंजीनियर, इंजन ड्राईवर या अन्य व्यक्ति जो अर्हक प्रशिक्षण के अधीन है, मूल्यांकन करेगा और सफलतम अभ्यर्थी की सूची राज्य सरकार या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में नियुक्त या प्राधिकृत किए जाएं, को रिपोर्ट करेगा ।

विधेयक का खंड 37, ऐसे अभ्यर्थी को सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करने जो परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, जो अपेक्षित अर्हता रखता है, के लिए उपबंध करता है । राज्य सरकार, परीक्षक द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट का मूल्यांकन कर सकेगी और रिपोर्ट सही पाए जाने के पश्चात्, सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करेगी जो यह प्रमाणित करेगा कि अभ्यर्थी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट ऐसी क्षमता जो उसमें यथा विनिर्दिष्ट की गई है, यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान के किसी वर्ग या श्रेणी या संपूर्ण सेवा करने में सक्षम है । रिपोर्ट के त्रुटिपूर्ण या अनावश्यक रूप से बनाए गए मामलों में राज्य सरकार सभी यी किन्हीं अभ्यर्थियों की और परीक्षा या पुनः परीक्षा कराना अपेक्षित कर सकेगी । सक्षमता प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में हो जो केंद्रीय सरकार के

नियमों द्वारा उपबंधित की जाए ।

विधेयक का खंड 38, किसी व्यक्ति को सेवा प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए उपबंध करता है जो ऐसी अवधि के लिए जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, मास्टर के रूप में या इंजीनियर के रूप में जलयान पर भारतीय नौसेना के तटरक्षक या नियमित सेना के रूप में सेवा की हो, जिसका प्रभाव यह होगा कि यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान बोर्ड पर पहली श्रेणी मास्टर, दूसरी श्रेणी मास्टर या सारंग के रूप में या इंजीनियर, पहली श्रेणी इंजन ड्राइवर या दूसरी श्रेणी इंजन ड्राइवर या ऐसी क्षमता के साथ जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, कार्य करने में सक्षम है । ऐसा प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो तटरक्षक भारतीय नौसेना या नियमित सेना द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है । राज्य सरकार, कारणों को अभिलिखित करते हुए प्रमाणपत्र देने से इंकार कर सकेगी । ऐसे जारी किया गया प्रमाणपत्र, ऐसे प्ररूप और रीति में होगा और ऐसी शर्तों के जो केंद्रीय सरकार के नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, अध्यधीन होगा और उसका वही प्रभाव होगा जो सक्षमता प्रमाणपत्र का है ।

विधेयक का खंड 39, सक्षमता प्रमाणपत्र या सेवा प्रमाणपत्र के प्रभाव के लिए उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि सक्षमता प्रमाणपत्र या सेवा प्रमाणपत्र संपूर्ण भारत में विधिमान्य होगा और प्रस्तावित विधान के उपबंधों और ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगा जो केंद्रीय सरकार के नियमों द्वारा उपबंधित की जाए ।

विधेयक का खंड 40, प्रस्तावित विधान या इन नियमों के अधीन बनाए गए उपबंधों के विरूद्ध होने पर अध्याय 6 के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्र के निलंबन और रद्दकरण के लिए उपबंध करता है । ऐसे प्रमाणपत्र के निलंबन और रद्दकरण के पहले राज्य सरकार या इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत कोई अधिकारी निलंबन या रद्दकरण के लिए प्रमाणपत्र के संबद्ध धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए और कारणों को अभिलिखित करते हुए, नोटिस जारी करेगा । ऐसे निलंबन और रद्दकरण पर प्रमाणपत्र का धारक, राज्य सरकार या अधिसूचना से सरकार द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत अधिकारी को प्रमाणपत्र परिदत्त करेगा ।

विधेयक का खंड 41, प्रमाणपत्र धारकों की रजिस्ट्री और केंद्रीय रजिस्ट्री के लिए उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि प्रमाणपत्र के डाटा और ब्यौरे को रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एक रजिस्टर में रखेगी जो राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए ऐसे प्ररूप और रीति में होंगे जो नियमों द्वारा उपबंधित किया जाए, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार को जारी किए गए, प्रदान किए गए, रद्द किए गए या निलंबित किए गए या अन्य टिप्पणियों से, जो नियमित अंतरालों में किए गए हों, की सूचना केंद्रीय सरकार सरकार को नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगी, रिपोर्ट और अद्यतन करेगी । केंद्रीय सरकार, सभी राज्य सरकारों से ग्रहण की गई रिपोर्ट और सूचना से केंद्रीय डाटाबेस को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अद्यतन करेगी ।

विधेयक का खंड 42, विशेष श्रेणी जलयान के लिए उपबंध करता है । यह केंद्रीय सरकार को इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान के किसी वर्ग या प्रवर्ग को उनके डिजाइन, विनिर्माण, प्रयोग, उद्देश्य, चलने के क्षेत्र, ऊर्जा के स्रोत या ईंधन या किसी अन्य मानदंड या मानक के अधार पर विशेष श्रेणी जलयान के रूप में पहचान करने के लिए मानदंड या मानक विनिर्दिष्ट करने के लिए अधिकार देता है । विनिर्माण, डिजाइन, सर्वेक्षण, रजिस्ट्रीकरण, प्रबंध, अर्हता, सक्षमता की अपेक्षाएं या अतिरिक्त अपेक्षाएं, जो प्रस्तावित विधान में कहीं भी

अंतर्विष्ट है, ऐसी होगी जो केंद्रीय सरकार के नियमों द्वारा उपबंधित की जाए । राज्य सरकार, जो केंद्रीय सरकार के नियमों द्वारा उपबंध किया जाए, ऐसे मानदंड और मानकों के आधार पर विशेष श्रेणी जलयान के रूप में यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान की पहचान करेगी ।

विधेयक का खंड 43 उपयुक्तता और ऐसे अन्य मामलों के प्रमाणपत्र को प्रदान करने के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति या उनका प्राधिकृत किया जाने के लिए उपबंध करता है । यह राज्य सरकार को कर्तव्य पालन के प्रयोजन के लिए और इस अध्याय के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए विशेष श्रेणी के जलयान पर अर्हित अधिकारियों और प्राधिकारों की ऐसी संख्या नियुक्त या प्राधिकृत करने के लिए अधिकार देता है । स्वामी, प्रचालक या मास्टर द्वारा किए गए आवेदन पर और यह समाधान हो जाने पर कि जलयान प्रस्तावित विधान के उपबंधों का अनुपालन करता है और जलयान विशेष प्रवर्ग के अधीन आता है, राज्य सरकार ऐसे प्ररूप और अंतर्वस्तु और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार के नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, उपयुक्ता प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगी । ऐसे नियुक्त या प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे कारणों को लेखबद्ध करते हुए, ऐसे आवेदन के संबंध में, प्रमाणपत्र प्रदान करने से इंकार कर सकेगा ।

विधेयक का खंड 44, सुरक्षा विशेषता, उपस्कर और ऐसे अन्य उपायों, जिसमें जलयान के विशेष प्रवर्ग जलयान के रूप में पहचान की गई है, इनका अनुपालन करेंगे और ऐसे जलयान के वर्गीकरण के अनुसार उसे ऐसे सुसज्जित किया जाएगा, जो राज्य सरकार के नियमों द्वारा उपबंधित किया जाए, के लिए उपबंध करता है । विशेष प्रवर्ग जलयान की अधिकतम वहन क्षमता विनिर्दिष्ट लदाई या लदाई की सीमा या ऐसे अन्य मानदंड और शर्तों द्वारा अवधारित की जा सकेगी और ऐसे अंतर्देशीय जलयान की जलयात्रा के लिए ऐसी होगी जो राज्य सरकार के नियमों द्वारा उपबंधित की जाए ।

विधेयक का खंड 45, विशेष प्रवर्ग जलयान के निरीक्षण के लिए उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि जलयान, जिसके अंतर्गत खोल, उपस्कर और मशीनरी या ऐसे विशेष प्रवर्ग जलयान का कोई भाग या संपत्ति भी है, किसी प्रथमतः सामान्य सर्वेक्षण से भिन्न होने पर पर्यवेक्षक द्वारा निरीक्षित की जा सकेगी । जलयान का स्वामी, प्रचालक, अभिकर्ता, मास्टर और भारसाधक व्यक्ति पर्यवेक्षक को सभी सुविधाएं और जलयान के किसी भाग की कोई जानकारी, उसकी मशीनरी और उपस्कर, मशीनरी, जो पर्यवेक्षक द्वारा अपेक्षित हो, उपलब्ध कराएगा ।

विधेयक का खंड 46, प्रस्तावित अधिनियमिति या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन न किए जाने पर उपयुक्तता प्रमाणपत्र के निलंबन और रद्दकरण के लिए उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट समय के भीतर अनुपालन न करने के परिशोधन के लिए नोटिस जारी कर सकेगी । नोटिस प्राप्त होने के पश्चात्, अनुपालन न करना जारी रहने पर, राज्य सरकार सुनवाई का अवसर देते हुए और कारणों को अभिलिखित करते हुए, जलयान के उपयुक्तता प्रमाणपत्र को निलंबित और रद्द कर सकेगी, तब ऐसे जलयान का प्रचालन निलंबन के वापस होने तक या रद्दकरण की दशा में भी नया उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी होने तक प्रचालन प्रविरत रहेगा ।

विधेयक का खंड 47 नौ परिवहन सुरक्षा, प्रकाशों और यंत्रचालित नोदित अंतर्देशीय जलयानो के संकेतों के लिए उपबंध करने के लिए है । विनिर्देशों और

संकेतों और उपस्कर की अपेक्षाएं कोहरा और संकटग्रस्त संकेतों, परिचालन नौचालन नियमों और प्रदर्शन के विभिन्न नयाचारों तथा खंड में यथा विनिर्दिष्ट प्रकाशों, आकारों और संकेतों के विभिन्न मानकों के प्रतिदर्श के बारे में नियमों को बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है और प्रत्येक प्रतयंत्रचालित नोदित जलयान का स्वामी या मास्टर, जब तक अंतर्देशीजल सीमा में इस प्रकार बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 48 सुरक्षा को नौ परिवहन सुनिश्चित करने की बाध्यता के हेतु उपबंध करने के लिए है । यह उपबंध करता है कि यह अंतर्देशी जल के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए और टक्कर के निवारण के लिए आवश्यक उपायों को अंगीकार हेतु यंत्रचालित नोदित जलयान पर बाध्यकारी होगा और उक्त खंड में यथा विनिर्दिष्ट व्यक्ति या संपत्ति को किसी नुकसान के मामले में, ऐसा नुकसान जलयान का प्रभारी संबद्ध व्यक्ति के जानबूझ कर व्यतिक्रम द्वारा होते हुए समझा जाएगा, जब तक न्यायालय के समाधान पर यह प्रदर्शन न किया हो जो लागू नियमों से विचलंतिका का मामले की परिस्थितियां की मांग है ।

विधेयक का खंड 49 संकटग्रस्त संकेत के लिए उपबंध के लिए है । यह उपबंध करता है यंत्रचालित नोदित जलयान के स्वामी की, जब जलयान अंतर्देशीय जलमार्ग सीमा में हो, अंतर्देशीय जल मार्ग में किसी खतरनाक त्यक्त या नौवाहन में किसी अन्य जोखिम की कार्रवाई देने पर या उसका मुकाबला करने पर तुरंत निःशुल्क संकेत भेजके या खतरे करस्थम को उपदर्शित करके किसी निकट अन्य यांत्रिक रुप से नोदित जलयानों को और राज्य संबंधित राज्य सरकार को कोई ऐसी सूचना भेजने के लिए बाध्यतता है ।

विधेयक का खंड 50 इस खंड में यथा विनिर्दिष्ट कतिपय परिस्थितियों के सिवाय विपत्ति में जलयान को ऐसे संकेत की प्राप्ति के अभिस्वीकार द्वारा विपत्ति में व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल कार्यवाही के लिए अंतर्देशीय जल सीमा में कोई जलयान या वायुयान से विपत्ति के कोई संकेत प्राप्त करने पर अंतर्देशीय जल सीमा में समय के दौरान कोई यंत्रचालित नोदित जलयान पर बाध्यता अधिरोपित द्वारा विपत्ति में व्यक्तियों और विपत्ति में जलयानों को सहायता उपबंध करने के लिए है और कतिपय परिस्थितियों के सिवाए अंतर्देशी जलों में खो जाने के खतरे में प्रत्येक पाया गया व्यक्ति सहायता देने के लिए अंतर्देशीय जल सीमा के दौरान उसका भी बाध्यता है ।

विधेयक का खंड 51 प्राणरक्षा, अग्नि सुरक्षा और संचार साधित्रों के लिए उपबंध करने के लिए है । केन्द्रीय सरकार प्राणरक्षा साधित्रों अग्नि परिचयन बुझाने वाले साधित्रों और संचार साधित्रों के साथ सुसज्जित होने के लिए यंत्रचालित नोदित अंतर्देशीय जलयानों के वर्ग या प्रवर्ग के बारे में नियम बनाने के लिए यह केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है और प्रत्येक जलयान का स्वामी या प्रचालक, तदुपरांत अनुपान करेगा । यह और प्राधिकृत अधिकारी जैसे पर्यवेक्षक या पर्यवेक्षकों नियुक्त करने के लिए और सशक्त करता है और पर्यवेक्षक निरीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करता है कि यंत्रचालित नोदित अंतर्देशी जलयान लागू अपेक्षाओं का पालन किया है । निरीक्षण के मामले में और अपेक्षाओं के अनुसार गैर पुष्टि पाने पर पर्यवेक्षक या कमी इंगित करके या सर्वेक्षक द्वारा नोटिस जारी करेगा और जब तक ऐसा स्वामी या मास्टर द्वारा ऐसे नोटिस का पालन न किया हो, ऐसा जलयान जलयात्रा पर अग्रसर नहीं करेगा ।

विधेयक का खंड 52 अधिसूचना द्वारा अभिहित रसायनों की सूची, कोई अवयवों या बंकर या स्थोरा के रुप में किसी यंत्रचालित नोदित अंतर्देशीय जलयान जिसे प्रदूषण होता है, केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है यह उपबंध करता है कि ऐसा जलयान का स्वामी और मास्टर उक्त खंड में विनिर्दिष्ट अपवादों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा जो उपबंधित किया जा सके, मानक और रीति के अनुसार मल और कूड़े कचरे को उन्मोचित या निपटान करेगा । ऐसा जलयान अधिसूचना द्वारा इस प्रकार अभिहित प्रदूषकों का उन्मोचन या पाटने द्वारा प्रदूषण कारित नहीं करेगा ।

विधेयक का खंड 53 अध्याय 9 की आवश्यकताओं को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयानों के विनिर्माण उपस्कर के मानक नियमों द्वारा उपबंध करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है । यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार अंतर्देशीय जलयानों के संनिर्माण, संस्थापन और उपस्कर का रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को या नियुक्ति करेगी और अनुपालन पर प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र जारी करेगी । विधिमान्यता और अंतर्वस्तु का प्रमाणपत्र जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा यथाबंधित ऐसा किया जा सकेगा और नियुक्त किया गया था या प्राधिकृत अधिकारी मांग पर उसी को प्रस्तुत करने के लिए संबंद्ध जलयान बोर्ड पर ऐसा प्रमाणपत्र क्रियान्वित किया जाएगा।

विषेयक का खंड 54 केन्द्रीय सरकार नियमों द्वारा स्थोरा टर्मिनलों यात्री टर्मिनलों के स्वामी या प्रचालक समान अनुपालन के लिए और सभी स्थोरा टर्मिनलों या यात्री टर्मिनलों पर यंत्रचालित नोदित जलयानों से उद्भूत से निस्सारण होने वाले को दूर करने के लिए, को सशक्त करने के लिए है और राज्य सरकार द्वारा उपबंधित जो ऐसी दरों पर प्रभारों को प्राप्त करेगा, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी निदेश देगा कि लिखित में आदेश द्वारा पहले ही कारित न्यूनतम प्रयोजनों के लिए टर्मिनलों पर प्रदूषण को दूर करने वाली सामग्री का उपलब्ध करने के लिए व्यवस्था करे । प्रचालक केन्द्रीय सरकार को अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा यंत्रचालित जलयान का स्वामी या मास्टर राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, ऐसी रीति में पोर्ट पर प्रदूषक निस्सारण करेगी ।

विधेयक का खंड 55 इसके अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर पड़ने वाली कोई स्थावर या यात्री टर्मिनल निरीक्षण करने के लिए सर्वेक्षकों के रुप में ऐसे अधिकारियों को नियुक्त या प्राधिकृत राज्य सरकार को सशक्त करने लिए है और ऐसा पर्यवेक्षक या अधिकारी युक्तियुक्त किसी समय पर प्रवेश कर सकेगा और खंड में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी स्थोरा या यात्री टर्मिनल में निरीक्षण कर सकेगा और खंड में यथा विनिर्दिष्ट के मामले में वह कमियों को विनिर्दिष्ट कर लिखित में नोटिस दे सकेगा और स्वामी या स्थोरा यात्री टर्मिनल को उसमें उपचारी उपायों की सिफारिश करेगा और स्थोरा ऐसा स्वामी या संचालक ऐसे स्थोरा यात्री टर्मिनल पर किसी कार्य को आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक खंड में यथा विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र अभिप्राप्त न हो ।

विधेयक का खंड 56 प्रदूषण की घटना में अन्वेषण संचालन करने के लिए खंड में विनिर्दिष्ट कोई अभिहित अधिकारी या प्राधिकृत प्राधिकारी निदेश करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने के लिए है और वह सरकार ऐसी जानकारी या रिपोर्ट या न्यायालय संबंद्ध न्यायालय द्वारा ऐसा निदेशित किया जाए जो उस अधिकारिता के भीतर में हो, कि रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को उस सरकार को अध्यतन करेगा यदि प्रदूषण की घटना पर संबंद्ध न्यायालय द्वरा ऐसा निदेशित जिसकी

अधिकारिता के भीतर प्रदूषण होता है ।

विधेयक का खंड 57 अंतर्देशीय चलने वाले जलयान का स्वामी, प्रचालक मास्टर भारसाधक व्यक्ति अंतर्देशीय आशयित परित्यक्त परित्याग फलक गिराना या जलयान पोत से माल फेकना या संपत्ति या भागों या इस प्रकार भग्नपोत प्रतिषेध के लिए उपबंध के लिए है ।

विधेयक का खंड 58 अपनी अधिकारिता के भीतर ध्वंसाशेष का प्रापक के रुप में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या नियुक्ति करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने के लिए है । और इस खंड में यथाविनिर्दिष्ट ध्वंसाशेष का प्रापक को तत्काल सूचना के लिए अंतर्देशीय जल के विपत्ति में या जिनको ध्वंसाविशेष पाया गया है या बेसवारी जो ध्वस्त किया है, स्थोरा या संपत्ति पलक पर जलयान का प्रभारी व्यक्ति या संपत्ति या स्थोरा या स्वामी, प्रचालक या मास्टर बाध्यता अधिरोपित करने के लिए है और ऐसा स्वामी, खंड में यथाविनिर्दिष्ट निष्कर्ष और चिन्हों को लिखित में ध्वंसाशेष का प्रापक को भी सूचना देगा और जहां स्वामी, प्रचालक मास्टर या जलयान का प्रभारी व्यक्ति से भिन्न कब्जे में ध्वंसाशेष है, ऐसा व्यक्ति ध्वंसाशेष का प्रापक को वैसा ही परिदान करेगा ।

विधेयक का खंड 59 ध्वंसाशेष, के प्रापक की शक्तियां और कृत्य, जलयान का प्रभारी व्यक्ति या प्रचालक या स्वामी का उत्तरदायित्व और बाध्यताएं या ध्वंसाशेष के बारे में स्थोरा, नौपरिवहन के बाध्यताएं हटाने के लिए ग्रहण करने के लिए उपायों इसके विक्रय संहिता और अविक्रीत संपति आगामों ध्वंसाशेष संरक्षण के लिए अंगीकार करने के लिए उपाय, सरकारी मूरिंग ध्वांसाशेष विस्तारकों को संदेय रकम संबंधित संकल्प या उबारने के प्राचलनों विस्तारक निष्पादन और विस्तारकों के अधिकार और कर्तव्य और ध्वंसाशेषों हटाने और पर्याप्त प्रशासन के लिए विस्तारक ठीक समझे, अध्याय 10 के अधीन नियम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 60 स्वामी, प्रचालक कर्मीदल या और प्रस्तावित तद्धीन बनाए गए नियमों या प्रस्तावित विधान के उपबंधों के उल्लंघनों और अपराधों के लिए बीमाकर्ता दायित्व के लिए उपबंध करने के लिए है और रजिस्ट्रीकृत किसी यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान में हिस्सेदारी या बंधक इस तरह से की अपेक्षा अन्यथा हितबद्ध व्यक्ति फायदा के दायित्व के लिए और उपबंध करता है कि ऐसे व्यक्ति और इसमें हिस्सेदारी या यंत्रचालित नोदित अंतर्देशीय जलयानों के स्वामियों पर कोई अन्य अधिनियम प्रस्तावित विधान के अधीन अधिरोपित सभी धन संबंधित शास्ति के बारे में ऐसा व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत स्वामी दोनो दायी होंगे ।

विधेयक का खंड 61 दो या अधिक यंत्रचालित नोदित अंतर्देशीय जलयानों त्रुटि द्वारा कारित हानि या नुकसान का विभाजन हानि का प्रभाजन करने के लिए उपबंध के लिए है, और ऐसे मामले में, उपबंधित यान ऐसी डिग्री जो प्रत्येक ऐसा जलयान उक्त खंड में उपबंधित कतिपय विनिर्देश के साथ त्रुटि थी, अनुपात में नुकसानी या हानि सद्भाव के लिए दायी होगा । जलयान की कुर्की या अवरोधन के लिए और त्रुटि के परिणामस्वरुप नुकसान या हानि कोई उबार या अन्य व्यय सम्मिलित होगा, जिसने नुकसानी या क्षति से पीड़ित हो चुका है या दावे पर समुचित अधिकारिता में उसके प्रतिनिधि को आवेदन कर सकेगा ।

विधेयत का खंड 62 निजी चोट, हानि या पर्यावरण को प्रदूषण के हेतु दायित्व

के लिए उपबंध करने के लिए है । यह उपबंध करता है कि जहां जीवन की हानि या निजी चोट से पीड़ित है या जलयान त्रुटि के कारण खंड में यथा विनिर्दिष्ट के कारण होता है और किसी अन्य जलयान या जलयानों को तो बीमाकर्ता या कर्मीदल का सदस्य या स्वामी, प्रचालक, मास्टर के खंड में कतिपय आत्मरक्षा के अध्यधीन संयुक्त और ऐसे जलयानों के स्वामियों का दायित्व संबद्ध होगा ।

विधेयक का खंड 63 यंत्रचालित नोदित अंतर्देशीय जलयान निरोध हेतु उपबंध करने के लिए है । यह सशक्त करता है कि खंड में यथाविनिर्दिष्ट कोई यंत्रचालित नोदित अंतर्देशीय जलयान अवधारण के प्रयोजन के लिए अधिकारी नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करता है और उसकी प्रक्रिया ऐसी होगी जो उस सरकार द्वारा विहित किया गया हो ।

विधेयक का खंड 64 उत्तरदायित्व की परिसीमा के लिए उपबंध करने के लिए है । उक्त खंड में उसका उत्तरदायित्व के विस्तार की सीमा के लिए स्वामी, प्रचालक, मास्टर या जलयान का प्रभारी व्यक्ति या किसी यंत्रचालित नोदित अंतर्देशीय जलयान के कर्मीदल का सदस्य को यह समर्थ बनाता है और किसी अन्य विधि के अधीन उत्तरदायित्व की परिसीमा आवेदन से छूट देने अनुबद्ध दावे या उबारने के लिए कोई व्यक्ति दावों के लिए उसके उत्तरदायित्व की सीमा के लिए पात्र नहीं होगा और उत्तरदायित्व की परिसीमा का अवलंब कार्य किसी व्यक्ति द्वारा ग्रहण गठन के रुप में नहीं माना जाएगा और यंत्रचालित अंतर्देशीय नोदित जलयान स्वामी या प्रचालक का उत्तरदायित्व ऐसे जलयानों के विरुद्ध की गई कार्यवाही में उत्तरदायित्व को सम्मिलित है । यह खंड में विनिर्दिष्ट किसी दावे के लिए प्रतिकर के लिए अवधारण में मानदंड और सीमा केन्द्रीय सरकार नियमों द्वारा उपबंध करने के लिए भी सशक्त बनाता है और यह समेकित दर और जलयान या दावे के संबंध में विरुद्ध संपत्ति उच्च न्यायालय द्वारा छोड़ने के लिए परिसीमा निधि के गठन के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन के बारे में भी विनिर्दिष्ट करता है ।

विधेयक का खंड 65 परिसीमा को लागू न होने के लिए उपबंध करने के लिए है । यह घटना जब इस प्रकार सीमा के लिए कोई हकदार व्यक्ति किसी दावे के विरुद्ध उत्तरदायी की सीमा के लिए योग्य नहीं होगा और ऐसी घटना होती है जब ऐसा व्यक्ति या उसका कर्मचारी के आशयित कार्य या उपेक्षा के कारण उत्पन्न हुआ है ।

विधेयक का खंड 66 कवर के बीमा के लिए उपबंध करने के लिए है । उक्त खंड में यथा विनिर्दिष्ट अंतर्देशी जल में जलयात्रा के लिए उपयोग किए गए यंत्रचालित नोदित जलयान के उत्तरदायित्व के बीमा के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 67 कवर को संविदात्मक दायित्व न करने के लिए उपबंध करने के लिए है । यह उपबंध करता है पालिसी, बीमाकृत के किसी संविदात्मक दायित्व कवर करने के लिए अपेक्षित नहीं होगी जो सेवा प्रदाता क्षमता में संविदा या करार के किसी पालन या अननुपालन के कारण उठता है ।

विधेयक का खंड 68 बीमा और बीमा पालिसी के निबंधनों के लिए उपबंध करने के लिए है । यह विनिर्दिष्ट करता है कि खड 66 में विनिर्दिष्ट सीमा तक पालिसी प्राधिकृत बीमाकर्ता और बीमाकृत यंत्रचालित नोदित अंतर्देशीय जलयान कोई व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों द्वरा खंड 66 के प्रयोजनों बीमाकृत बीमा पालिसी होने के लिए है और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और प्ररुप और अंतर्वस्तु जो केन्द्रीय सरकार

द्वारा नियमों द्वारा उपाबंधित किया जा सके । खंड 66 में यथा उपबंधित जोखिमों को आच्छादन को बीमाकर्ता और बीमाकृत के बीच बीमा प्रविष्ट की संविदा में शामिल किए जाने वाले निबंधनों और शर्तों के लिए भी उपबंध करता है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंधित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 69 बीमाकर्ता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करने और कार्रवाई करने निदेश देने के कर्तव्य के लिए उपबंध करने के लिए है । यह उपबंध करता है कि बीमा की पालिसी में निर्गमन बीमाकर्ता बीमाकृत क्षतिपूर्ति के लिए दायी होगा या कोई व्यक्ति किसी दायित्व की बाबत पालिसी में यथा विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति जिसने बीमाकृत या उस व्यक्ति के या बीमाकृत क्षतिपूर्ति के लिए दायी होगा या कोई व्यक्ति किसी दायित्व की बाबत पालिसी में यथा विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति जिसने बीमाकृत या उस व्यक्ति के या बीमाकृत क्षतिपूर्ति के लिए दायी होगा यह और उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन हानि या नुकसान विरुद्ध प्रतिकर के लिए कोई दावा करता है और रजिस्ट्रीकृत स्वामी द्वरा उपहत दायित्व के संबंध में बीमाकर्ता के विरुद्ध प्रत्यक्ष रुप से लाया जा सकेगा ।

विधेयक का खंड 70 कतिपय मामलों में मृत्यु के प्रभाव का उपबंध करता है । यह किसी भी व्यक्ति की, जिसके पक्ष में बीमा प्रमाणपत्र जारी किया गया है, किसी घटना के होने के पश्चात् मृत्यु होती है, जैसा कि इस खंड में उपबंधित है किसी दावे को जन्म देती है तो उसकी संपदा के विरुद्ध या बीमाकर्ता के विरुद्ध उक्त घटना से उद्भूत किसी कार्रवाई पर कोई वर्जन नहीं होगा ।

विधेयक का खंड 71 बीमा प्रमाणपत्र के प्रभाव का उपबंध करता है । यह उपबंधित करता है कि जब किसी बीमाकर्ता ने किसी बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति के बीच बीमा संविदा के संबंध में बीमा प्रमाणपत्र जारी किया है, प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी बीमाकर्ता द्वारा, वर्णित नहीं की गई है, जहां तक यह किसी तीसरे व्यक्ति के संबंध में है पालिसी के विवरण और विशिष्टियों के साथ सभी पहलुओं के पुष्टिकरण में प्रभाव नहीं डालेगी ; और जब पालिसी के वास्तविक निबंधन बीमाकर्ता के विरुद्ध पालिसी के अधीन या उसके द्वारा दावा करने वाले व्यक्ति के लिए कम फायदाप्रद है तब पालिसी, बीमाकर्ता और किसी व्यक्ति के बीच ऐसे निबंधन समझे जाएंगे, जो सभी दृष्टि से उक्त प्रमाणपत्र में कथित विशिष्टियों का अनुपालन करते हैं ।

विधेयक का खंड 72 बीमा प्रमाणपत्र के अंतरण का उपबंध करता है । यंत्रचालित जलयान के स्वामित्व का अंतरण, जिसके संबंध में ऐसा बीमा लिया गया है, बीमा प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी के साथ अधिकारों और दायित्वों का अंतरण, अंतरण की तारीख को अंतरित हुई समझी जाएंगी ।

विधेयक का खंड 73 अध्याय 12 के लिए नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति का उपबंध करता है । यह, अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रस्तावित अधिनियमिति में केन्द्रीय सरकार को इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा बीमाकर्ताओं और बीमा धारकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले निबंधन, शर्तें और प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगी जिसके अंतर्गत बीमे का कवर नोट और उसकी विधिमान्यता ; पोलिसीधारक के अधिकार और कर्तव्य; प्रक्रिया और प्रसंस्करण जिसके अंतर्गत दावों की प्रक्रिया भी है; निर्णयों और पंचाटों की सुरक्षा के लिए बीमाकर्ता के कर्तव्य और बाध्यताएं ; दावाकर्ताओं के अधिकार विशेष परिस्थितियां, जिसमें पोलिसीधारक दिवालिया हो जाता है, में पोलिसीधारक और बीमाकर्ताओं के उत्तरदायित्व और पालन

की जाने वाली प्रक्रियाएं; बीमाकर्ता और पोलिसीधारक व्यक्तियों के बीच समझौते के लिए प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण और न्यूनतम शर्तों के निबंधन; बीमा प्रमाणपत्र अंतरण करने में पालन की जाने वाली प्रक्रियाएं; इस अध्याय के प्रभावी अनुपालन और प्रशासन के प्रयोजन के लिए यंत्रचालित जलयान के बीमे से संबंधित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ऐसे अन्य मामले ।

विधेयक का खंड 74 अपघटन, दुर्घटना नष्टपोत और इसी तरह के अन्य मामलों का उपबंध करता है । बोर्ड यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान किसी नष्टपोत, परित्यजन नुकसान, आकस्मिकता, दुर्घटना विस्फोट या कारित हानि यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान के बोर्ड की रिपोर्ट करेगा और ऐसी रिपोर्टिंग निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सूचना देगा और राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित प्राधिकारी नियुक्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति में विहित की जा सके । यह आगे प्रावधान करता है कि अभिहित प्राधिकारी अंतर्वस्तु और सूचना, जिला मजिस्ट्रेट को देगा । पुलिस के भारसाधक द्वारा अन्वेषण करने पर वह इसकी रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा जो रिपोर्ट प्राप्त होने पर अध्ययाय 16 के अपराधों और शास्तियों से संबंधित उपबंधों के अनुसार कार्रवाई कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

विधेयक का खंड 75 अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करने का उपबंध करता है। यह उपबंधित करता है कि अभिहित प्राधिकारी जांच करेगा और जिला मजिस्ट्रेट को उसकी रिपोर्ट पारेषित करेगा जो संबंधित राज्य सरकार को उसे पारेषित कर सकेगा । राज्य सरकार यदि आवश्यक समझे तो वह जिला मजिस्ट्रेट, अधिकारिता रखने वाले पुलिस के माध्यम से अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश कर सकेगी । यह आगे उपबंधित करता है कि जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां और अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उसकी प्रक्रियाएं अनुसारित की जाएगी जैसा कि राज्य सरकार नियमों द्वारा विहित करे ।

विधेयक का खंड 76 निर्धारक का उपबंध करता है । यह राज्य सरकार को असेसरों की नियुक्ति और सूची को बनाए रखने, समय-समय पर उसको पुनरीक्षित किए जाने के लिए सशक्त करता है । आगे यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार नियमों द्वारा समुद्री कामकाज से परिचित असेसरों के लिए अर्हताएं, मानदंड और विचार फीस या प्रभारों को विनिर्दिष्ट करेगी । जिला मजिस्ट्रेट जांच में सहायता के लिए कितने भी असेसरों की नियुक्ति कर सकेगा और असेसर अपनी राय दे सकेगा जो उनसे मांगी जाए जो कि कार्यवाहियों में लेखबद्ध की जाएगी ।

विधेयक का खंड 77 राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट अधिसूचित किए जाने का उपबंध करता है । यह उपबंधित करता है कि जिला मजिस्ट्रेट निष्कर्षों की पूर्ण रिपोर्ट बनाएगा जो लिखित साक्ष्य और असेसरों की लिखित राय दोनो पर धारित होगी और राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट प्राप्त होने पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करवाएगा ।

विधेयक का खंड 78 जांच कि लिए अनुवर्ती जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उपबंध करता है । यह राज्य सरकार द्वारा अंतर्देशीय यान के मास्टर, कर्मीदल या इंजीनियम को प्रदान की गई सेवा का प्रमाणपत्र या सक्षमता का प्रमाणपत्र के रद्दकरण या निलंबन या अधिहरण के लिए उसकी रिपोर्ट में जांच के पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश कर सकेगा, यदि यह पाया जाता है कि हानि, उत्कूलन या उसके द्वारा परित्यक्त या यंत्रचालित जलयान अंतर्देशीय जलयान या जीवन की हानि

सहित दुर्घटना या अपघात ऐसे मास्टर या इंजीनियर के सदोष कार्य या व्यतिक्रम द्वारा कारित किया गया है और अक्षमता या मत्तता के किसी घोर कृत्य का दोष या निरंकुशता या अन्य कदाचार या टक्कर के मामले में सहायता देने में असफलता या प्रस्तावित अधिनियमिति के अधीन आवश्यक जानकारी या सूचना देने में असफल रहता है । यह आगे उपबंधित करता है कि जांच के निष्कर्ष के पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट खुली बैठक में रद्दकरण या निलंबन या किसी सक्षमता के प्रमाणपत्र का अधिहरण और यदि निलंबन आदेश दिया गया है जिसके लिए निलंबन किया गया है उसके बारे में कथन करेगा । यह भी उपबंध करता है कि जिला मजिस्ट्रेट प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा आदेश देगा और मामलों की लागतों के विषय में ऐसी सुरक्षा की अपेक्षा होगी जो ठीक समझे और मामले की परिस्थितियों में आवश्यक हो ।

विधेयक का खंड 79 प्रमाणपत्र के निलंबन, रद्द और अधिहरण करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध करता है । यह राज्य सरकार को जिसकी अधिकारिता में सक्षमता प्रमाणपत्र या सेवा प्रमाण पत्र दिया गया था, ऐसे किसी प्रमाणपत्र को निरस्त या निलंबित या जलयान किसी अन्य राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अधीन पाया जाता है तब जिला मजिस्ट्रेट इस प्रमाणपत्र को रद्दकरण या निलंबन या अधिहरण के लिए रिपोर्ट देगा ; या ऐसे प्रमाणपत्र का धारक किसी गैर जमानतीय अपराध दोषसिद्ध को साबित किया गया है के अधीन प्रतिषिद्ध कार्य किया है या ऐसा प्रमाणपत्र का धारक उसके जलयान को परित्यक्त के लिए साबित किया गया है या स्वयं बिना छुट्टी के और अपनी ड्यूटी से जलयान बिना पर्याप्त कारण से प्रविरत किया है; या ऐसे व्यक्ति जो प्रमाणपत्र में उपबंधित किसी पदाभिधान में कार्य करने के लिए आयोग्य हो, जैसा कि इस खंड में उपबंधित है । यह आगे उपबंधित करता है कि ऐसे निंलबन, रद्दीकरण या अभिहरण के बाद प्रमाणपत्र का धारक ऐसे व्यक्ति को देगा जैसा कि संबंधित राज्य सरकार निदेशित करे और यदि कोई राज्य सरकार प्रमाणपत्र को रद्द करती है निलंबित करती है, अधिहरण करती है, कार्रवाई करती है और अधिहरण एवं निलंबन रद्दीकरण को राज्य सरकार को रिपोर्टिंग किया जाएगा जिसे मूल रुप से जारी किया गया है, मंजूर किया गया है ऐसे प्रमाणपत्र को पृष्ठांकित किया गया है और राज्य सरकार को यह शक्ति होगी कि वह निलंबन, रद्दकरण को प्रतिसंहरण कर सके या नया प्रमाणपत्र प्रदान करे, जिसका प्रमाणपत्र रद्द किया गया है उन कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 80 प्रदाताओं की सेवा और उपयोक्ताओं के हितों का संरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का उपबंध करता है । यह केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है कि वह सेवा प्रदाताओं और सेवा उपयोक्ताओं के न्यूनतम मानकों, निबंधनों और शर्तों, हितों के संरक्षण को विनिर्दिष्ट करे जो अंतराज्यीय जलयान के उपयोग या वाहन के लिए हुई संविदा में निगमित है ।

विधेयक का खंड 81 प्रतिषिद्ध माल और खतरनाक माल का उपबंध करता है । यह केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है कि वह अधिसूचना द्वारा खतरनाक माल की सूची ऐसी घोषणा के अधीन क्रियान्वित करेगी जो नियमों द्वारा उपबंधित हो और प्रतिषिद्ध माल जो अंतर्देशीय जलयानों में चलाते समय यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान के किसी वर्ग या प्रवर्ग पर पहुंचने से प्रतिषिद्ध किया गया है ।

विधेयक का खंड 82 जलयान व्यापार अनुज्ञा और विदेशी जलयानों के प्रमाणपत्रों को पृष्ठांकन का उपबंध करता है । यह ऐसे जलयानों के संबंध में प्रावधान करता है जो विदेशों में रजिस्ट्रीकृत है ऐसे प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार से पूर्व

अनुज्ञा के अंतर्देशीय जलों के भीतर उपयोगित और नियोजित हो और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधियों के उपबंध से जलयानों के सेवा प्रदाताओं पर अधिरोपित होगी । यह आगे उपबंधित करता है कि प्रस्तावित विधायन के उपबंधों से तत्संबंधी विधि के अनुसार दिए गए विदेशी प्रमाणपत्र यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार पृष्ठांकित किया जाएगा जो ऐसी अवधि और ऐसी सीमा के लिए प्रभावी होगा जो केन्द्रीय सरकार नियमों द्वारा उपबंधित कर सकेगी और ऐसा समझा जाएगा मानो यह प्रस्तावित अधिनियमिति के अधीन दिया गया हो ।

विधेयक का खंड 83 पोत संचालन का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय जलमार्गों में पोत संचालन की ऐसी आवश्यकता को अभिहित कर सकेगी और राज्य सरकार संपूर्ण या भाग या अंतर्देशीय जलमार्गों या यान में अभिहित किसी खंड में पोत संचालन विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो ऐसी राज्य सरकार से संबंधित राज्यक्षेत्र के भीतर आता है और जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट नहीं है ।

विधेयक का खंड 84, 1908 की धारा 15 के अधीन पायलट समझे गए प्रमाणित मास्टर का उपबंध करता है । यह उपबंधित करता है कि खंड 83 के उपबंधों के अधीन, प्रत्येक अंतर्देशीय जलयानों का प्रत्येक प्रमाणित मास्टर प्रस्तावित विधायन के अधीन जैसा कि खंड में विनिर्दिष्ट है भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अधीन पोत संचालक समझा जाएगा ।

विधेयक का खंड 85 जलयान अवरोधन और समपहरण का उपबंध करता है । यह शर्तों का उपबंध करता है जिसके अधीन यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान जिसका रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरोधित या समपहृत अंतर्देशीय जल से हटा देगा । आगे यह निरोधित या समपहत जलयान के सुरक्षित अभिरक्षा और रखरखाव, स्वामी या आपरेटर या जलयान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खर्च पर करेगा और यह जलयान को मुक्त करने के लिए पूर्व शर्त है, और यदि इसका संदाय नही किया जाता है तो ऐसे जलयान पर धारणाधिकार उत्पन्न हो जाएगा । आगे यह राज्य सरकार द्वारा संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा अनुसरित किए जाने और अनुपालन किए जाने वाली निरोधित जलयान को मुक्त करने, निरोध की प्रक्रिया, औपचारिकता फीस और शर्तें और जलयान के निरोध या समपहरण के आदेश को लागू करवाने के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी या कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ली गई सहायता का उपबंध करती है ।

विधेयक का खंड 86 विकास निधि के गठन का उपबंध करता है । यह राज्य सरकार द्वारा विकास निधि जो आपात तैयारियों, प्रदूषण परिरोधन, स्वामी के व्यय का समर्थन या व्यापार और जीविका क्रियाकलापों में अंतर्वलित आर्थिक रूप से पिछड़े सेक्टर और बाधा या अज्ञात नष्टपोत को हटाना और इस खंड में यथा विनिर्दिष्ट अंतर्देशीय नौपरिवहन विकास के कार्य का सवंर्धन करने का उपबंध करता है । आगे यह निधि के स्त्रोत का उपबंध करता है जहां से अभिदाय किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 87 अपराध और शास्तियों का उपबंध करता है । प्रस्तावित विधायन के उपबंधों के पालन का उल्लंघन या असफलता होने के अपराध पर उपखंड (2) के सारणी में यथा उपबंधित ऐसे अपराधों के लिए शास्ति का उपबंध करता है । आगे यह उन अपराधों के शास्ति के बारे में उपबंध करता है जो ऐसे उल्लंघन हैं जो विनिर्दिष्ट रुप से अपराध के रुप में उपबंधित नहीं हैं । यह जुर्माने की वसूली और

मजिस्ट्रेट जिसने दंड पारित किया है को निदेश दे सकेगा कि जुर्माने की रकम का उद्ग्रहण उस यंत्रचालित जलयान या उसके अनुलग्नक से करस्थम और विक्रय द्वारा किया जाएगा । यह अपराध का ब्यौरा, अपराधी और केन्द्रीय सरकार द्वारा जैसा कि नियमों द्वारा उपबंधित है ऐसे प्ररुप और तरीकों में अभिलिखित जलयान और अपराधी का विचारण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा न्यायालयों की नियुक्ति का भी उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 88 यह कंपनी, सीमित दायित्व वाली भागीदारी फर्म या इसी प्रकार के किसी ठहराव द्वारा अपराध का उपबंध करता है । यह कंपनी, सीमित दायित्व वाली भागीदारी फर्म या इसी प्रकार के किसी ठहराव द्वारा अपराध और ऐसी कंपनी, सीमित दायित्व वाली भागीदारी फर्म या कोई ऐसा ठहराव जिम्मेदार व्यक्तियों के आपराधिक दायित्व का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 89 फीस, अतिरिक्त फीस का संदाय और संग्रह का उपबंध करता है । राज्य सरकार प्रस्तावित विधायन के अधीन उपबंधित सेवा के लिए फीस और अतिरिक्त फीस और इसको किए गए भारों या संदायों के विरुद्ध शास्तियों का संग्रहण करेगी । राज्य सरकार ऐसे प्राधिकारियों की नियुक्ति करेगी या प्राधिकृत करेगी या ऐसे कार्यालयों का गठन करेगी, जो जिले या पत्तन के भीतर प्रेषण की निकटता और सुविधा पर विचार करते हुए एक बिंदु संग्रहण की तरह कार्य करे जैसा कि खंड में विनिर्दिष्ट है और प्रक्रिया प्ररुप और उक्त खंड में यथा विनिर्दिष्ट अन्य प्रयोजनों और लेखा के रखरखाव प्राप्ति के टिप्पणों के लिए नियमों को बनाएगी । यह और भी कि प्रस्तावित विधायन के अधीन देय सभी फीस राज्य सरकार द्वारा जुर्माने के रुप में वसूल की जा सकेगी ।

विधेयक का खंड 90 अपराध के संज्ञान का उपबंध करता है । इस प्रस्तावित विधायन के अधीन कोई भी न्यायालय संज्ञान नहीं लोगा जब तक कि परिवाद केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित में नहीं किया जाता है ।

विधेयक का खंड 91 स्थानीय स्वशासन का उपबंध करता है । राज्य सरकार अपने किसी विभाग को अध्याय 17 के उपबंधों को प्रशासन और कर्यान्वयन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी । स्थानीय स्वशासन के द्वारा गैर-यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान से संबंधित और ऐसे विभाग की स्थिति मालिक, ऐसे जलयान का आपरेटर या ऐसे जलयान का सेवा उपयोक्ताओं की पहुंच में होगा । यह शक्ति के अधिक्रम या यथास्थिति राज्य सरकार के नियमों द्वारा जैसा कि उपबंधित किया जाए, विनिर्दिष्ट करता है । प्राधिकृत विभाग के अधिकारी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग किया जा सकेगा जैसा की उक्त खंड के विनिर्दिष्ट सहित राज्य सरकार के नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट है ।

विधेयक का खंड 92 बाध्यता को प्रविष्ट करने का उपबंध करता है । यह मालिक या आपरेटर गैर- यंत्रचालित जलयान की प्रविष्ट करने की बाध्यता को प्रविष्ट करता है और प्राधिकृत विभाग के निकट कार्यालय पर मालिक या आपरेटर द्वारा ब्यौरे को जमा करने को विनिर्दिष्ट करता है, राज्य सरकार द्वारा विहित प्ररूप यथास्थिति हिंदी या अंग्रेजी से अलग अपनी अपनी जनभाषा में प्रकाशित किया जाएगा । आगे यह प्रावधान करता है कि राज्य सरकार गैर-यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान को प्रविष्ट करने के लिए, पहिचान के प्रयोजनों के लिए वर्गीकरण के लिए मानदंड प्रकाशित करेगी और केवल प्रविष्ट गैर-यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान लाभ

और अधिमानी उपचार के हकदार होंगे । यह और भी कि नामांकित जलयानों का विवरण नामांकन की रजिस्ट्री में अभिलिखित किया जाएगा, नामांकित जलयानों की संग्रहित सूची, जिला मजिस्ट्रेट या नियुक्त ऐसे अधिकारी द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा, राज्य सरकार गैर-यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान नामांकित और गैर-यंत्रचालित जलयान के विवरणों को रिकार्ड करने के लिए केन्द्रीय डाटबेस बनाएगी और रजिस्ट्री के नामांकन में किसी परिवर्तन को रिपोर्ट करेगी और प्रत्येक ऐसे रजिस्टर में ऐसे परिवर्तनों को संबंधित प्राधिकारी सहित केन्द्रीय डाटाबेस द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 93 जलयान के नामांकन और बनाने के लिए प्रमाणपत्र का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि प्राधिकृत विभाग का नियुक्त अधिकारी या रजिस्ट्री को बनाए रखने के लिए प्राधिकृत अधिकार, गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के नामांकन का प्रमाणपत्र जारी करेगा जो कि रजिस्ट्री के नामांकन में नामांकित है और प्रमाणपत्र का प्ररुप और जारी करने की रीति राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंधित की जाएगी । यह और उपबंध करता है कि कतिपय मामले उक्त खंड में विनिर्दिष्ट किए गए हैं जो प्रमाणपत्र में सम्मिलित किए जाएंगे । यह भी उपबंध करता है कि नामांकन की पहचान के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत विभाग द्वारा नामांकित गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान को एक विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाए और ऐसी संख्या को गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के सहजदृश्य भाग पर प्रदर्शित किया जाए ।

विधेयक का खंड 94 गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के सन्निर्माण और सुरक्षा के मानकों के लिए उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि बुनियादी न्यूनतम मानक सन्निर्माण मानक, न्यूनतम सुरक्षा गियर और उपस्कर, मरम्मत करने, उपांतरित करने, परिवर्तन करने या दुरुस्त करने के लिए मानक राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट और उपबंधित किए जाएंगे तथा नामांकित गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान नियत सुरक्षा मानकों का अनुपालन करेंगे । यह राज्य सरकार को अन्तर्देशीय जल के मार्गो, क्षेत्रों या खंडों को विनिर्दिष्ट करने के लिए और सशक्त करता है जो इस तरह के गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के संचालन के लिए निबंधन और शर्तों के अधीन उपयोग के लिए निषिद्ध हैं ।

विधेयक का खंड 95 गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति का उपबंध करता है । यह राज्य सरकार को गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान द्वारा प्रदषूण को रोकने और कम करने के लिए, सुरक्षित संचालन की बाधाओं को दूर करने के लिए, दुर्घटना और हादसों को टालने के लिए नियम अंगीकृत करने तथा अध्याय 17 के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे गए किन्हीं अन्य उपायों के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 96 कल्याण निधि के गठन का उपबंध करता है । यह राज्य सरकार को गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान की सहायता के लिए कल्याण निधि के जिला स्तर पर गठन का उपबंध करता है तथा यह और उपबंध करता है कि नियुक्त या प्राधिकृत किया गया कोई अधिकारी गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के लिए निधि का भारसाधक होगा जो राज्य सरकार या उक्त प्रयोजन के लिए नियुक्त ऐसे अन्य प्राधिकारी के लिखित में पूर्व अनुमोदन से इस खंड में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए निधि का उपयोग करेगा ।

विधेयक का खंड 97 बिना छुट्टी के अभित्येजन और अनुपस्थिति के लिए उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के बोर्ड पर किसी क्षमता में नियोजित या लगा हुआ कोई व्यक्ति जलयान में पद ग्रहण करने के लिए या जलयान में किसी जलयात्रा पर जाने के लिए बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उपेक्षित या मना नहीं करेगा, बिना किसी छुट्टी और बिना किसी पर्याप्त कारण के किसी भी समय ड्यूटी से या जलयान से अनुपस्थित होने के कारण देगा, जलयान से अभित्येजन नहीं करेगा तथा ड्यूटी और आदेश से उचित अनुशासन के साथ कार्य या व्यवहार करने में विफल नहीं होगा ।

विधेयक का खंड 98 केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की साधारण शक्तियों का उपबंध करता है । यह, अन्य बातों के साथ केन्द्रीय सरकार को अन्तर्देशीय जलमार्गों के भीतर जलयान के विशेष प्रवर्ग के प्रयोग हेतु मानकों का क्रियान्वयन करने, नदी संबंधी सूचना सेवाएं, जलयान ट्रैफिक और परिवहन प्रबंध, सुरक्षा और सूचना सेवाएं, जलयान ट्रेकिंग और रास्ते की सूचना, रास्ते की विपत्तियों और किसी महामारी या सांसर्गिक प्रकृति की बिमारी के नियंत्रण के लिए अपेक्षाएं और मानकों का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है । यह अन्तर्देशीय जलमार्ग में उत्पन्न हुए प्रदूषण से विरत रहने और उसे नियंत्रित करने के लिए मानकों का प्रवर्तन करने, अन्तर्देशीय जलमार्ग में किसी रजिस्ट्रीकृत, मान्यताप्राप्त या पहचान योग्य जलयान के लिए तथा प्रस्तावित विधान के लिए किसी अन्य उपबंध के लागू होने से छूट, सम्मिलित करने या उनका विस्तार करने तथा सुरक्षित नौपरिवहन, जीव सुरक्षा को सुरक्षित करने का उपबंध करता है । यह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को इसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं के प्रशासन के प्रयोजन के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत या नियुक्त करने के लिए सशक्त करने का भी उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 99 आपातकालीन तैयारी का उपबंध करता है । यह राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त उपाय करने के लिए सलाहकारी समिति या अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकृत करने, जो आपत्ति को कम करने या अधिक प्रभावी बनाने तथा अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी, प्रचालक, मास्टर, कर्मीदल या उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा संकट के बारे में सलाहकार समिति या अधिकारी द्वारा सूचना या रिपोर्ट दिए जाने को विनिर्दिष्ट करने तथा ऐसी सूचना या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सकार से निदेश प्राप्त होने पर या स्वयं की पहल पर ऐसे आपात को कम करने या अधिक प्रभावी बनाने का उपबंध करता है । यह भी उपबंध है कि सलाहकार समिति ऐसी सहायता के लिए, जो वह आवश्यक समझे, उपलब्ध किसी अन्तर्देशीय जलयान या नौ-सेना, तटरक्षक या किसी अन्य आपात बल से अनुरोध कर सकेगी । यह भी उपबंध है कि सहायता देने में किसी गैर-यंत्रचालित जलयान को कोई निदेश या स्वैच्छिक कार्य करने के लिए प्रस्तावित विधान के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा बाध्य नहीं किया जाएगा । यह भी उपबंध है कि सुरक्षित जीवन या जलयान या बुनियादी सुख-सुविधा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान द्वारा शैक्षिक रूप से कार्य करना यथासंभव लिखित में कार्य करने के लिए उपस्थिति और कारण संबंधी सलाहकार समिति या अधिकारियों को रिपोर्ट करेगा तथा सलाहकार समिति या अधिकारी को ऐसे आपात द्वारा प्रभावित व्यक्तियों या जलयानों के लिए सभी बुनियादी आवश्यक सुख-सुविधाएं और वे आवश्यकताएं जो वह ठीक समझे, आहरित की जाएंगी तथा

सलाहकार समिति या अधिकारी उसमें यथाविनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को रिपोर्ट करेंगे ।

विधेयक का खंड 100 विधिपूर्ण रूप से बाधा को हटाने का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि यदि किसी अन्तर्देशीय जल के नौपरिवहन के लिए कोई बाधा या अड़चन को विधिपूर्ण रूप से दूर किया गया है तो प्राधिकृत अधिकारी राज्य सरकार को सूचना के लिए रिपोर्ट करेंगे तथा राज्य सरकार की मंजूरी के साथ उसे हटवाएंगे या परिवर्तित करवाएंगे । यह भी उपबंध है कि किसी विवाद के उत्पन्न होने या ऐसे प्रतिकर से बास्ता रखने वाले व्यक्ति को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 101 प्रस्तावित विधान के सिवाय विधियों के अधीन जारी प्रमाणपत्रों की वैधता का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के सिवाय भारत में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति या जलयान के संबंध में जारी किया गया प्रत्येक प्रमाणपत्र वैध होगा तथा प्रस्तावित विधान के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्र के रूप में प्रभावी होगा और प्रस्तावित विधान के सुसंगत उपबंध ऐसे व्यक्तियों या जलयान के संबंध में लागू होंगे जैसे वे किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू होते हैं जिसे अध्याय 6 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान को प्रमाणपत्र जारी किया गया है । यह ऐसे प्रमाणपत्र की मान्यता के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त शर्तें और अपेक्षाएं अधिरोपित करने के लिए राज्य सरकार को भी सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 102 नियुक्त किए गए या प्राधिकृत अधिकारियों को बाधा का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान द्वारा या उसके अधीन तथा उक्त खंड में यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी या अधिकारी को उसके कृत्यों तथा शक्तियों के निर्वहन या उसके कर्तव्यों का पालन करने में कोई भी व्यक्ति बाधा नहीं डालेगा या बाधा डालने का प्रयत्न नहीं करेगा ।

विधेयक का खंड 103 विचारण के स्थान का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन अपराधों के विचारण का स्थान वह होगा जहां अपराधी पाया जाए या राज्य में घटना घटित होने के स्थान, जहां अपराध कारित किया गया है अथवा वह स्थान जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे या कोई अन्य स्थान जिसमें किसी अपराधी का विचारण तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन किया जाए ।

विधेयक का खंड 104 अपराधों के शमन का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि कोई अपराध जो केवल कारावास के साथ या कारावास और जुर्माने के साथ दंडनीय नहीं है, अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा शमन किया जाए । न्यायालय को मामला निर्दिष्ट किए जाने की स्थिति में, ऐसे न्यायालय की अनुज्ञा से सक्षम प्राधिकारी द्वारा शमन किया जाए । यह और उपबंध करता है कि सक्षम प्राधिकारी समुचित सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन किसी अपराध के शमन करने की शक्ति का प्रयोग करेगा । किसी अपराध का शमन करने के लिए आवेदन उस रीति में किया जाएगा जो नियमों द्वारा विहित की जाए । यह और भी उपबंध है कि शमन किए गए अपराध के लिए अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा तथा जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाता है, ऐसा शमन उस न्यायालय की

जानकारी में जहां अभियोजन लम्बित है और अपराध के शमन की ऐसी सूचना पर अपराधी व्यक्ति को उन्मोचित कर दिया जाएगा । यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए अननुपालन के आदेश की दशा में उसमें यथाविनिर्दिष्ट अतिरिक्त जुर्माना संदत्त किए जाने का भी उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 105 अपील का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा किए गए किसी आदेश द्वारा पीड़ित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तावित विधान के अधीन जारी ऐसे अन्य आदेश या उसे मना करने, निलम्बन करने, रद्द करने, निरुद्ध करने, हटाए जाने के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकेगा ।

विधेयक का खंड 106 नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति का उपबंध करता है । यह केन्द्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन उक्त खंड के उपखंड (2) में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में नियम बनाने के सशक्त करता है । यह केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति सम्मिलित करते हुए एक समावेशी उपबंध को भी उपबंधित करता है ।

विधेयक का खंड 107 राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति का उपबंध करता है । यह प्रस्तावित विधान के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उक्त खंड के उपखंड (2) में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में प्रस्तावित विधान के अधीन या इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यायोजित किए गए इसके द्वारा प्रशासित किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट उपबंधों हेतु राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । यह राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति सम्मिलित करते हुए एक समावेशी उपबंध को भी उपबंधित करता है ।

विधेयक का खंड 108 निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति का उपबंध करता है । यह केन्द्रीय सरकार को राज्य में प्रस्तावित विधान के निष्पादन के लिए राज्य सरकार को निदेश देने तथा राज्य सरकार द्वारा पालन किए जाने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 109 सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में किसी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही से प्रस्तावित विधान के अधीन प्राधिकृत या नियुक्त कोई व्यक्ति या अधिकारी संरक्षित होगा तथा उन्मुक्ति का दावा करने के लिए ऐसा अधिकारी अपने कृत्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन अधिकतम सावधानी और सम्यक् तत्परता से करेगा ।

विधेयक का खंड 110 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि यदि प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो प्रस्तावित विधान के उपबंधों से असंगत न हों, जो इसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों । यह और उपबंध करता है की ऐसा कोई आदेश तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा तथा किया गया ऐसा प्रत्येक आदेश, यथासंभव शीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन

के समक्ष रखा जाएगा ।

विधेयक का खंड 111 अन्य विधियों के साथ संगतता का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के उपबंध अन्य विधियों के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे तथा उनका अर्थ संगत रूप में किया जाएगा न कि अन्य विधियों के अल्पीकरण में और संघर्ष की स्थिति में प्रस्तावित विधान के उपबंध ऐसे संघर्ष की सीमा तक अभिभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 112 प्रस्तावित विधान को लागू करने और प्रचालित करने के निलम्बन या परिवर्तन का उपबंध करता है । यह केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा यह घोषित करने के लिए सशक्त करता है कि सुरक्षा, काम करने और प्रदूषण के निवारण हेतु उपबंधों से भिन्न, प्रस्तावित विधान के कोई उपबंध यानों के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या प्रवर्ग को लागू नहीं होंगे या ऐसे उपातंरणों के साथ लागू होंगे तथा वह प्रस्तावित विधान के सभी या किन्हीं उपबंधों को या तो स्थायी रूप से या यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के लिए निलम्बित और लम्बित या शिथिल कर सकेंगी ।

विधेयक का खंड 113 नियमों और अधिसूचनाओं के रखे जाने का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना इसे बनाए या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्यके सदन के समक्ष रखी जाएगी । यह भी उपबंध है कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विधान के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम या जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना इसे बनाए या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी ।

विधेयक का खंड 114 निरसन और व्यावृत्तियों के लिए उपबंध करता है । यह साधारण खंड अधिनियम, 1897 के खंड 6 के साधारण प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना या उसे प्रभावित किए बिना उक्त खंड में यथाविनिर्दिष्ट कतिपय व्यावृत्तियों के साथ अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 के निरसन का उपबंध करता है ।

वितीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 22 यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार अंतर्देशीय जलयानों का ऐसे प्ररूप और रीति में एक केन्द्रीय डाटा बेस बनाए रखने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करेगी और इस प्रकार नियुक्त अधिकारियों के कृत्य वे होंगे जो नियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

2. ऐसी नियुक्तियों पर प्रक्कलित व्यय इस समय विनिर्दिष्ट करना संभव नहीं हो सकेगा क्योंकि यह अधिकारियों के कृत्यों पर निर्भर करता है और उनसे संबंधित है जो नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे । तथापि, अंतर्देशीय जलयानों और उसके कर्मीदल के लिए केन्द्रीयकृत डाटाबेस की स्थापना पर पांच करोड़ रुपए की लागत का प्राक्कलन है ।

3. विधेयक में आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई अन्य व्यय परिकल्पित नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 98 का उपखंड (1) केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित नियम बनाने के लिए सशक्त करता है—

(क) अन्तर्देशीय जलमार्गों के भीतर जलयान के विशेष प्रवर्ग के प्रयोग हेतु मानकों का क्रियान्वयन करना;

(ख) निम्नलिखित के लिए अपेक्षाओं और मानकों का उपबंध करना—

(i) नदी संबंधी सूचना सेवाएं;

(ii) जलयान ट्रैफिक और परिवहन प्रबंध, सुरक्षा और सूचना सेवाएं;

(iii) जलयान ट्रैकिंग और रास्ते की सूचना;

(iv) रास्ते की विपत्तियों और आगे की आपातकालीन तैयारी करना;

(v) किसी महामारी या सासंर्गिक प्रकृति की बीमारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए जलयान के रखरखाव और ऐसे अन्य उपाय को अंगीकार करना ;

(ग) प्रवर्तित मानकों से विरत रहने तथा अन्तर्देशीय जलमार्ग में उत्पन्न हुए प्रदूषण को नियंत्रित करना;

(घ) अन्तर्देशीय जलमार्ग में किसी रजिस्ट्रीकृत, मान्यताप्राप्त या पहचान योग्य जलयान के लिए तथा चलने या चलाए जाने के आशय से इस अधिनियम के किन्हीं या सभी उपबंधों के लागू होने से छूट, सम्मिलित करने या उनका विस्तार करना; और

(ङ) अन्तर्देशीय जलयान के सुरक्षित नौपरिवहन, जीवन सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा निवारण करने के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के उचित क्रियान्वयन में कोई अन्य मामले जो वह ठीक समझे और आवश्यक हो ।

2. (1) विधेयक का खंड 106 का उपखंड (1), केन्द्रीय सरकार को प्रस्तावित विधायन के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए, पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन, नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । उपखंड (2) उन मामलों को विनिर्दिष्ट करता है जिसके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे । इन मामलों में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित शामिल है,—

(क) खंड 3 के उपखंड (च) के अधीन डाटा रिकोर्ड करने के लिए ई-पोर्टल में अनुरक्षित किए जाने वाले केन्द्रीयकृत रिकोर्ड और जलयान, जलयान का रजिस्ट्रीकरण, कर्मीदल, मैनिंग, जारी किया गया प्रमाणपत्र, ग्रहण सुविधाएं और रिकोर्ड किए जाने वाले ऐसे अन्य डाटा के ब्यौरे; (ख) खंड 3 के उपखंड (छ) के अधीन बीमा के प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए कवर नोट में विनिर्दिष्ट किए जाने के लिए अनुपालन हेतु अपेक्षाएं करना; (ग) खंड 3 के उपखंड (न) के अधीन अधिकथित की जाने वाली प्रक्रिया और विनिर्दिष्ट की गई दरें जो विस्तार के दर की गणना कर सके जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन हकदार स्वामी या ऐसे अन्य व्यक्ति दायित्व को सीमित कर सकने या सीमा को अनुज्ञात करने या इस प्रकार दावों से उद्भूत दायित्व को ढक

सकेगी ; (घ) खंड 3 के उपखंड (य) के अधीन जलयान की सुरक्षित मैनिंग और नौपरिवहन के लिए मानक और अपेक्षित व्यक्तियों की संख्या; (ङ) खंड 7 के उपखंड (1) के अधीन किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का वर्गीकरण, ऐसे वर्गीकरण के मानक और डिजाइन, संन्निर्माण, समर्थता और वर्गीकृत या प्रवर्गों के लिए कर्मीदल स्थान सुविधा के मानक ; (च) खंड 8 के अधीन अभिहीत प्राधिकारी से डिजाइन के पूर्व अनुमोदन के साथ यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के किसी संन्निर्माण किए जाने की रीति और कोई परिवर्तन या उपांतरण; (छ) खंड 9 के उपखंड (2) के अधीन सभी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के लिए सर्वेक्षण के प्रकार और उसकी अवधि के लिए मानक जिनका नया संन्निर्माण किया गया है और उपखंड (1) के अधीन पहले से सेवा में हैं और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सर्वेक्षण हेतु अनुरोध की रीति और विषय-वस्तु; (ज) खंड 10 के अधीन सर्वेक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम मानदंड और अर्हताएं जिसे राज्य सरकारें सर्वेक्षकों की नियुक्ति के लिए अंगीकार कर सकेगी ; (झ) खंड 11 के उपखंड (1) के अधीन स्वामियों, मास्टरों या संन्निर्माण यार्ड द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सर्वेक्षण कराए जाने हेतु आवेदन का प्ररूप ; (ञ) खंड 12 के उपखंड (1) के अधीन यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के सर्वेक्षण की घोषणा की रीति और विषय-वस्तु और समयावधि जिसके लिए ऐसा प्रमाणपत्र वैध होगा ; (ट) खंड 12 के उपखंड (3) के अधीन सर्वेक्षण के प्रमाणपत्र का प्ररूप जिसके अंतर्गत कोई विशिष्टि या निबंधन और शर्तें हैं ; (ठ) खंड 13 के उपखंड (1) के अधीन सर्वेक्षण के अनंतिम प्रमाणपत्र का प्ररूप और वैधता की अवधि; (ड) खंड 18 के उपखंड (2) के खंड (ग) के अधीन भारत के सिवाय देशों की ऐसी विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान को अनुज्ञात करने के लिए पालन किए जाने हेतु निबंधन और शर्तें, जिसे केवल अन्तर्देशीय जल के भीतर चलाने की अनुज्ञा प्रदान की जाएगी ; (ढ) खंड 21 के उपखंड (1) के अधीन यथाउपबंधित प्ररूप, विषय-वस्तु या रजिस्ट्री की पुस्तक की विशिष्टियां ; (ण) खंड 22 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों द्वारा अन्तर्देशीय जलयान हेतु केंद्रीय डाटा बेस के रखरखाव के लिए प्ररूप और रीति ; (त) खंड 22 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों द्वारा पूरा किए जाने वाले कृत्य ; (थ) खंड 23 के उपखंड (1) के अधीन यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने का प्ररूप और रीति तथा किए जाने वाले ऐसे आवेदन के साथ संलग्न विशिष्टियां ; (द) खंड 23 के उपखंड (2) के अधीन रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले या पेश किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची; (ध) खंड 24 के उपखंड (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का प्ररूप और विषय-वस्तु; (न) खंड 27 के उपखंड (1) के अधीन आवेदन का प्ररूप और फीस रजिस्ट्रीकरण के अनंतिम प्रमाणपत्र को जारी करने की रीति ; (प) खंड 29 के उपखंड (2) के अधीन किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रक्रियाएं जो स्वामी को प्रविरत करने वाली हैं या रजिस्ट्री के स्थानांतरण की अपेक्षा या रजिस्ट्रीकृत पते के परिवर्तन के लिए किसी ऐसी परिस्थितियों के लिए होती हैं ; (फ) खंड 30 के अधीन यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान की भारत के बाहर स्थानांतरण को वैधता प्रदान करने के लिए प्रक्रिया ; (ब) खंड

32 के उपखंड (1) में वह समय जिसके भीतर यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी उस स्थान पर अन्तर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करेगा जहां ऐसा जलयान रजिस्ट्रीकृत है, यदि ऐसा जलयान खो गया, विनष्ट हो गया, विलुप्त या परित्यक्त घोषित किया गया है या सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य बना दिया गया हो या स्क्रैप किए जाने या खोल देने या बाहर विक्रय किए जाने के लिए नियत किया गया हो; (भ) खंड 33 के उपखंड (1) के अधीन उधार या अन्य मूल्यवान प्रतिफल हेतु बंधक के लिए प्रतिभूति के लिखत का प्ररूप; (म) खंड 33 के उपखंड (2) के अधीन बंधक को शासित करने वाली रीति और शर्तें और उसकी प्रक्रियाएं ; (य) खंड 34 के उपखंड (1) के अधीन अर्हता, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान, परीक्षा और सक्षमता प्रमाणपत्र देने के लिए मानक ; (यक) खंड 35 के उपखंड (1) के अधीन प्रस्तावित अधिनियम या भारत में तत्समय प्रवृत्त ऐसी अन्य विधियों के अधीन प्रवर्गीकृत यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयानों के विभिन्न वर्ग या प्रवर्ग के लिए लागू न्यूनतम मैनिंग मापन; (यख) खंड 36 के उपखंड (1) के अधीन परीक्षकों की नियुक्ति के लिए मानदंड और अर्हताएं; (यग) खंड 37 के उपखंड (3) के अधीन विनिर्दिष्ट सक्षमता प्रमाणपत्र का प्ररूप, विषय-वस्तु और विशिष्टियां; (यघ) खंड 38 के उपखंड (1) द्वारा जारी सेवा के प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि; (यङ) खंड 38 के उपखंड (4) के अधीन सेवा के प्रमाणपत्र का प्ररूप और वे शर्तें जिसके अधीन ऐसा प्रमाणपत्र जारी किया गया है; (यच) खंड 39 के अधीन ऐसी शर्तें जिसके अधीन सक्षमता का प्रमाणपत्र सर्वत्र भारत में वैध होगा; (यछ) खंड 41 के उपखंड (2) के अधीन ऐसे अंतराल और रीति जिसमें राज्य सरकार रिपोर्ट करेगी और डाटा पर जानकारी के साथ संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए, मंजूर किए गए, रद्द किए गए या निरस्त किए गए प्रमाणपत्र या ऐसी अन्य टिप्पणीयों के ब्यौरे को केंद्रीय सरकार अद्यतन करेगी; (यज) खंड 42 के उपखंड (1) के अधीन यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के किसी वर्ग या प्रवर्ग की पहचान के लिए मानदंड और मानक जो उनके डिजाइन, संन्निर्माण, प्रयोग, प्रयोजन, चलाने के क्षेत्र, ऊर्जा या इंधन के स्रोत या कोई अन्य मानदंड हो; (यझ) खंड 42 के उपखंड (2) के अधीन प्रस्तावित अधिनियम में संन्निर्माण, डिजाइन, सर्वेक्षण, रजिस्ट्रेशन, काम पर लगाने, अर्हता, सक्षमता की अपेक्षाएं या अन्यत्र अंतर्विष्ट उनके सिवाय अपेक्षाएं ; (यञ) खंड 47 के उपखंड (1) के अधीन ऐसे जलयानों द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के वर्गीकरण और प्रवर्गीकरण पर आधारित उपस्कर और सिगनल के विनिर्देश और अपेक्षाएं ; (यट) खंड 47 के उपखंड (2) के अधीन कोहरा और संकटग्रस्त सिगनल चलाने या प्रयुक्त करने में पालन किए जाने वाले अभिचालन और चलत नियम अन्तर्देशीय जल में चलने वाले किसी यंत्रचालित जलयान द्वारा प्रकाश, आकार और संकेतों के विभिन्न मानकों के प्रदर्शन और संप्रर्दशन के लिए विभिन्न नवाचार ; (यठ) खंड 51 के उपखंड (1) के अधीन नौपरिवहन सहायकों, जीवन सुरक्षा साधनों, अग्नि अवरोध और निर्वापित साधन तथा संसूचना साधनों के साथ उपस्करित किए जाने वाले यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के वर्ग या प्रवर्ग; (यड) खंड 52 के उपखंड (2) के अधीन किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी या मास्टर द्वारा अपनाए जाने वाले मानक तथा गंदे पानी या कूड़े के बाहर निकालने या

निपटान किए जाने की रीति; (यढ) खंड 53 के उपखंड (1) के अधीन अध्याय 9 के उपबंधों की अपेक्षा के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के संन्निर्माण के मानक और उपस्कर; (यण) खंड 53 के उपखंड (3) के अधीन प्रदूषण प्रमाणपत्र के निवारण का प्ररूप, वैधता और विषय-वस्तु ; (यत) खंड 54 के उपखंड (1) के अधीन सभी कार्गो टर्मिनल या यात्री टर्मिनल पर किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान से गिराए जाने या निकाले जाने से उत्पन्न प्रदूषक को हटाने तथा प्रदूषण के संरोधन के लिए संन्निर्माण के लिए शर्तें, ग्रहण सुविधाओं का प्रयोग और रखरखाव; (यथ) खंड 59 के उपखंड (क) से उपखंड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट अध्याय 10 के प्रयोजन; (यद) खंड 64 के उपखंड (5) में विनिर्दिष्ट किसी दावे के लिए अवधारित प्रतिकर में दायित्व की सीमा और मानदंड; (यध) खंड 68 के उपखंड (1) के खंड (ग) के अधीन सुनिश्चित किए जाने के लिए बीमाधारक द्वारा जारी किए गए बीमा के प्रमाणपत्र जिसके अधीन प्ररूप, विषय-वस्तु और शर्तें हैं; (यन) खंड 68 के उपखंड (2) के अधीन खंड 66 में यथाउपबंधित जोखिम को कवर करने के लिए बीमाकर्ता और बीमाकृत के मध्य किए जाने वाले बीमा की संविदा में संयोजित किए जाने के लिए सेवा और शर्तें; (यप) खंड 73 के अधीन बीमाकर्ता और बीमाकृत के बीच अनुपालन किए जाने वाले निबंधन, शर्तें और प्रक्रियाएं, जिनके अंतर्गत वे भी हैं, जो इसके उपखंड (क) से उपखंड (ज) में विनिर्दिष्ट हैं; (यफ) खंड 80 के अधीन हितों की संरक्षा के लिए न्यूनतम मानक, निबंधन और शर्तें तथा सेवा प्रदाता और सेवा प्रयोगकर्ता की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है; (यब) खंड 81 के अधीन खतरनाक माल की सूची ले जाने के लिए शर्तें ; (यभ) खंड 82 के उपखंड (1) के अधीन माल वहन, यात्रियों के परिवहन, इकाईयों के भंडारण, प्रसूविधा, प्लवमान, इकाई या अन्तर्देशीय जल के भीतर ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए भारत के सिवाय किसी अन्य देश में रजिस्ट्रीकृत जलयान के प्रयोग या नियोजन के लिए ऐसे निबंधन और शर्तें जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार ने अनुज्ञा प्रदान की है ; (यम) खंड 82 के उपखंड (2) के अधीन उस देश में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य देश द्वारा मंजूर किए गए किसी प्रमाणपत्र के समान इस अधिनियम के अधीन प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए फीस ; (यय) उक्त खंड के उपखंड (3) में यथा विनिर्दिष्ट, खंड 82 के उपखंड (2) के अधीन मंजूर प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि और विस्तार ; (ययक) ऐसे उपबंधों के क्रियान्वयन और प्रशासन के प्रयोजन के लिए प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अधीन विहित कोई अन्य मामले जो अपेक्षित हैं या किए जा सकते हैं ।

3. विधेयक के खंड 107 का उपखंड (1) राज्य सरकार को पूर्व प्रकाशन के पश्चात् प्रस्तावित विधान के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा उसे यथा प्रत्यायोजित प्रस्तावित विधान के अधीन उसके द्वारा प्रशासित किए जाने वाले विशिष्ट उपबंधों के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है । (2) उपखंड (2) उन मामलों को विनिर्दिष्ट करता है जिसके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे । इन मामलो में अन्य बातो के साथ साथ निम्नलिखित शामिल है—

(क) खंड 3 के उपखंड (यट) के अधीन पायलट के रूप में अर्हित व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए अपेक्षाएं; (ख) खंड 12 के उपखंड (2) के अधीन सर्वेक्षण के

प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए फीस; (ग) खंड 13 के उपखंड (2) के अधीन वह रीति और शर्तें जिसके अधीन किसी यंत्र चालित अन्तर्देशीय जलयान जिसे सर्वेक्षण या पृष्ठांकन का अनंतिम प्रमाणपत्र जारी किया गया हो तो सर्वेक्षण के प्रमाणपत्र का जारी किया जाना लंबित होने पर, अस्थायी रूप से जलयात्रा में आगे बढ़ सकेगा या सेवा का उपयोग कर सकेगा ; (घ) खंड 15 के उपखंड (2) के अधीन स्वामी प्रचालक मास्टर या संनिर्माण यार्ड सर्वेक्षण के प्रमाणपत्र के निलंबन की सूचना को जारी करने की रीति ; (ङ) खंड 20 के उपखंड (2) के अधीन पत्तन या रजिस्ट्री का स्थान जिसके संबंध में अन्तर्देशीय जलयान के रजिस्ट्रार द्वारा, जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है, निष्पादित किए जाने वाले कृत्य; (च) खंड 21 के उपखंड (2) के अधीन अन्तर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रार, राज्य सरकार को, नियमित अंतरालों पर ऐसी रीति और अवधि में रजिस्ट्री पुस्तक या उसमें की गई प्रविष्टियों के ब्योरों की रिपोर्ट करेगा ; (छ) खंड 24 के उपखंड (1) के अधीन आवेदक के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र मंजूर करने के लिए फीस; (ज) खंड 24 के उपखंड (2) के मद (ड) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में अंतर्विष्ट की जाने वाली अन्य विशिष्टियां; (झ) खंड 24 के उपखंड (3) के अधीन जलयान का सहजदृश्य भाग जहां स्वामी कार्यालय संख्या को प्रदर्शित करेगा; (ञ) खंड 26 के उपखंड (1) के अधीन वह प्ररूप और रीति जिसमें रजिस्ट्रीकृत स्वामी अन्तर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रार को प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए आवेदन करेगा; (ट) खंड 26 के उपखंड (2) के अधीन अन्तर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रार को प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए आवेदन हेतु फीस और अतिरिक्त फीस ; (ठ) खंड 28 के उपखंड (1) के अधीन वह प्ररूप, रीति और वह अवधि जिसके भीतर यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी, प्रचालक या मास्टर रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में परिवर्तन या उपांतरण की प्रविष्टि के लिए आवेदन कर सकेगा; (ड) खंड 28 के उपखंड (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के परिवर्तन के लिए अन्तर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रार के लिए आवेदन हेतु फीस; (ढ) खंड 31 के उपखंड (4) के अधीन अन्तर्देशीय जलयानों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी निलंबन की सूचना में अनुपालन की जाने वाली शर्तें और वह अवधि जिसके लिए ऐसा अनुपालन कथित किया गया हो ; (ण) खंड 41 के उपखंड (1) के अधीन अभिलिखित किए जाने वाले रजिस्टरों के रखरखाव हेतु प्ररूप और रीति, प्रमाणपत्र के ब्यौरे और डाटा उसमें विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र; (त) खंड 43 के उपखंड (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप, उपयुक्तता, प्रमाणपत्र का प्ररूप और ऐसी अन्य शर्तें जिनके अध्यधीन वैधता भी शामिल है और उपयुक्तता प्रमाणपत्र को मंजूर करने की रीति ; (थ) खंड 44 के उपखंड (1) के अधीन सुरक्षा विशेषता, उपस्कर और ऐसे अन्य उपाय जिनके द्वारा कोई यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान विशेष प्रवर्ग जलयानों के रूप में पहचाना गया है, इनका अनुपालन करेगा और ऐसे जलयान के प्रवर्गीकरण के अनुसार उसे सुसज्जित किया जाएगा ; (द) खंड 44 के उपखंड (2) के अधीन ऐसे अन्तर्देशीय जलयान की जलयात्रा के लिए विनिर्दिष्ट सुरक्षित जलरेखा विशेष प्रवर्ग के जलयान के रूप में पहचान किए गए जलयान की अधिकतम वहन क्षमता या उसे जल पर रखने के लिए जलरेखा भार की सीमा और ऐसे अन्य मापदंड और शर्तें ; (ध) खंड 54 के उपखंड (3) के अधीन ग्रहण सुविधा प्रदान करते हुए सभी कार्गो टर्मिनल या यात्री टर्मिनल के स्वामी या प्रचालक

द्वारा प्राप्त की जाने वाली भार की दर ग्रहण की जाएगी ; (न) खंड 54 के उपखंड (5) के अधीन यात्री या कार्गो टर्मिनल के स्वामी या प्रचालक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अनुपालन रिपोर्ट का प्ररूप; (प) खंड 54 के उपखंड (6) के अधीन वह रीति जिसमें अन्तर्देशीय जलों के भीतर प्रयुक्त किए जाने वाले या चलाए जाने वाले किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी, प्रचालक या मास्टर ग्रहण सुविधा पत्तन पर प्रदूषकों का निस्तारण करेगा ; (फ) खंड 63 के अधीन किसी दावे या किसी अपराध से संबद्ध किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के अवरोध की प्रक्रिया ; (ब) खंड 74 के उपखंड (2) के अधीन निकटतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी और नियुक्त किए गए अभिहित प्राधिकारी के लिए अन्तर्देशीय जल में किसी जलयान के लिए बोर्ड पर किसी ध्वंस, अभित्यजन, नुकसान, आपत्ति, दुर्घटना, विस्फोट या उत्पन्न हुई किसी हानि की सूचना देने के प्ररूप और रीति ; (भ) खंड 75 के उपखंड (3) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति और जांच करने में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया ; (म) खंड 76 के उपखंड (2) के अधीन असेसर के लिए अर्हताएं मानदंड और प्रतिफल, फीस या प्रभार जिन्हें वणिक सेवा या किसी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का नौपरिवहन में अनुभव हैं; (य) अवरोध, औपचारिक, फीस, शर्तें, यदि प्रस्तावित विधान में निर्दिष्ट नहीं है तो खंड 85 के उपखंड (4) के अधीन किसी जलयान को अवरुद्ध करने के प्रयोजन के लिए प्रस्तावित विधान के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत या गठित किए गए संबद्ध अधिकारी या प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा पालन और संप्रेषित की जाने वाली प्रक्रिया ; (यक) खंड 89 के उपखंड (1) के अधीन इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रभारित फीस और अतिरिक्त फीस की दर और राज्य सरकार द्वारा एकत्रित की जाने वाली धनीय प्रकृति की शास्तियों के विरुद्ध किए जाने वाले किसी अन्य प्रभार या संदाय, ऐसे अंतराल जिस पर ऐसी फीस, प्रभार्य या शास्तियां संग्रहित की जाएंगी; (यख) खंड 89 के उपखंड (3) के अधीन प्राप्ति की प्रक्रिया, प्ररूप और रूपविधान, लेखा का अनुरक्षण और कोई अन्य मामले जो प्रेषण, संग्रहण, लेखा और धनीय प्रकृति की शास्तियों के विरुद्ध फीस, अतिरिक्त फीस, प्रभार्य या संदाय की जवाबदेहीता के लिए आवश्यक है; (यग) खंड 89 के उपखंड (4) के अधीन वह रीति और फीस या अतिरिक्त फीस की दरें जिसे यथास्थिति, स्वामी, प्रचालकों या उनके प्रतिनिधित्वों को छूट देगी ; (यघ) खंड 91 के उपखंड (3) के अधीन ऐसे कार्यालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और कृत्य और प्राधिकृत विभाग के कार्यालयों का अनुक्रम; (यड.) खंड 91 के उपखंड (3) की मद (ग) के अधीन अध्याय 17 के प्रयोजनों के लिए गठित कल्याण निधि को प्रशासित करने के लिए प्राधिकार और बाध्यता ; (यच) खंड 92 के उपखंड (1) के अधीन प्राधिकृत विभाग के कार्यालय पर गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी या प्रचालक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ऐसे अन्य ब्यौरे और ऐसे प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति; (यछ) खंड 92 के उपखंड (6) के अधीन किसी गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के ब्यौरों को अभिलिखित करने के लिए केंद्रीय डाटा बेस का प्ररूप और रीति; (यज) खंड 93 के उपखंड (2) के अधीन उक्त प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट करने के लिए नामनिर्देशन के प्रमाणपत्र को जारी करने का प्ररूप और रीति तथा स्वामी के ब्यौरे को अंतर्विष्ट करने वाले ऐसे अन्य

दस्तावेज ; (यझ) खंड 93 के उपखंड (4) के अधीन किसी गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के लिए जारी की गई संख्या को प्रदर्शित करने का प्ररूप और रीति ; (यञ) खंड 94 के उपखंड (1) के अधीन बुनियादी न्यूनतम मानक जो किसी गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के संन्निर्माण के दौरान संप्रेषण के लिए उत्तरदायी हो सके; (यट) खंड 94 के उपखंड (2) के अधीन किसी गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के किसी वर्ग या प्रवर्ग द्वारा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट संन्निर्माण की मानकों के अनुपालन की रीति; (यठ) खंड 95 के अधीन किसी गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान को विनियमित करने के उपाय ; (यड) खंड 99 के उपखंड (1) के अधीन आपात को न्यूनतम करने या रोकने के लिए प्राधिकृत सलाहकार समिति या अधिकारियों द्वारा अपनाए गए उपाय ; (यढ) प्रस्तावित विधान के अध्याय 17 के क्रियान्वयन और प्रशासन के प्रयोजन के लिए गैर-यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान का उपयुक्त होना ; और (यण) प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अधीन कोई अन्य मामला जो अपेक्षित हैं या अपेक्षित किया जा सकता है ।

4. खंड 113 का उपखंड (1) उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है और उक्त खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है ।

5. वे विषय जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरें के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।